गोल-सभा

संपादक

श्रीदुलारेलाल भार्गव

(सुधा-संपादक)

गंगा-पुस्तकमाला का एक सौ बयालीसवाँ पुष्प

गोल-सभा

[राउंड टेबिल-कानफ्रेंस का विस्तृत विवरण]

लेखक
आचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री

प्रकाशक
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
प्रकाशक और विक्रेता
लखनऊ

प्रथमावृत्ति

सजिल्द २)] सं० १९८८ वि० [सादी १॥)

प्रकाशक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ
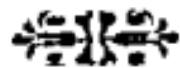
मुद्रक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआर्ट-प्रेस
लखनऊ

भूमिका

'गोल-सभा' की भूमिका में, उचित तो यह था कि इस बात पर प्रकाश डाला जाय कि उसका वास्तविक महत्त्व क्या है। परन्तु ब्रिटिश राजनीति की यह एक सबसे पेचीली और सबसे अधिक लुभाने-वाली घटना है। अब देखना यह है कि भारत इसके झाड़ में फँसकर मुँह की खाता है या अपनी राजनीतिज्ञता का सच्चा परिचय देता है।

पाठकों को यह तो समझ में आ ही गया होगा कि इस गोल-सभा में जो सबसे गोल बात कही गई है, वह सरक्षण नीति के सबंध की है। वह सरक्षण नीति भारत के हित की दृष्टि से हो, यह महात्मा गांधी की हठ है, और भारत तथा इँगलैंड के हित की दृष्टि से हो, यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण है। शाब्दिक दृष्टि से यह बहुत ही साधारण-सी बात मालूम होती है, पर हम कहे देते है कि यदि भविष्य गोल-सभा भग हुई, तो इसी महत्त्व-पूर्ण प्रश्न पर भग होगी। और जहाँ तक हमें विश्वास है, यह निश्चय है कि इँगलैंड कभी इतना उदार नहीं है कि वह केवल भारत के हित के लिये सिरदर्दी मोल लेगा।

सारे संसार के राजनीतिज्ञ इस समय एक भयानक भूल कर रहे हैं, यदि वे यह समझते हैं कि गोल-सभा के निर्णयों से आशान्वित होकर महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की सरकार से सुलह करने के लिये इतना झुक-कर हाथ बढ़ाया है।

महात्मा गांधी की गूढ़ मनोवृत्ति तो सिर्फ़ यह है कि ब्रिटेन की सर-कार भारत के जन-बल और अहिंसा-आंदोलन की शक्ति को बहुत कुछ समझ गई है और वह सुलह की इच्छा रखती है। महात्मा

गांधी और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह किसी भी दशा में नहीं विश्वास करते कि बल से भारत पर शासन हो सकेगा, और जब तक अमन-अमान क़ायम रखने की अभिलाषा प्रजा के दिल में न उत्पन्न हो, तब तक शांति और सुव्यवस्था नहीं बना रह सकता।

परन्तु सबसे अंत की बात तो यह है कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन में सुलह होनी संभव ही नहीं है। सुलह का साधा अर्थ यह है कि दोनों सत्ताओं में से एक आत्मघात करे।

हमने पाठकों के सामने इस पुस्तक को सिर्फ़ इसलिये रक्खा है कि निकट भविष्य में जो कुछ राजनीतिक दाव-पेंच होने वाले हैं, और जिनका परिणाम सुलह नहीं निश्चय है, समझने में आपको सहायता मिले।

अमीनाबाद-पार्क
लखनऊ
ता० २८।३।३१

श्रीचतुरसेन वैद्य

विषय-सूची

गोल-सभा

पहला अध्याय

भारतवर्ष

<u>क्षेत्रफल</u>—भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल १८ लाख ५ हज़ार वर्ग-मील है। इसमें ब्रिटिश-भारत का १० लाख ९४ हज़ार वर्ग-मील और देशी राज्यों का ७ लाख ११ हज़ार वर्ग-मील। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि भारत इँगलैंड से १५ गुना और जापान से ७ गुना बड़ा है।

<u>जन-संख्या</u>—भारत की जन-संख्या ३२ करोड़ है। इसमें नगरों की ३ करोड़ १५ लाख और गाँवों की १८ करोड़ ६५ लाख है। ब्रिटिश-भारत की मनुष्य-संख्या २४ करोड़ ७० लाख है। भारत में १० बड़े प्रांत और २६१ जिले हैं।

<u>प्रांत और जिले</u>—

मद्रास में	२७	जिले	—	मनुष्य-संख्या		४	करोड़	२३	लाख
बंबई में	२६	,,	—	,,	,,	१	,,	९३	,,
बंगाल में	२८	,,	—	,,	,,	४	,,	५२	,,
संयुक्त प्रांत में	४८	,,	—	,,	,,	४	,,	५३	,,
पंजाब में	२९	,,	—	,,	,,	१	,,	२८	,,

क्षेत्र २७० लाख एकड़ और खेती का क्षेत्रफल १,६१६ लाख एकड़ है।

अफ़सरों का वेतन—वाइसराय का २ ५६,०००), गवर्नर जनरल की कौंसिल के प्रत्येक मेंबर का ८०,०००), जंगी लाट को १ लाख रुपया, बंगाल, बंबई, मद्रास और यू० पी० के गवर्नरों को १,२८,०००), प्रांतीय सरकारों के मेंबरों को ६४,०००), पंजाब तथा बिहार-उड़ीसा के गवर्नरों को १ लाख, मध्य प्रांत के गवर्नर को ७२ हजार और आसाम के गवर्नर को ६६,०००) रुपया वेतन वार्षिक मिलता है।

शिक्षा-प्रचार— ब्रिटिश भारत में पुरुषों के लिये १,३७४३७ और स्त्रियों के लिये २८,२३४ विद्यालय हैं। २,०४० हाईस्कूल और १४२ आर्ट-कॉलेज हैं। १३,४०,८४२ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके सिवा ८ मेडिकल कॉलेज, १४ कानूनी कॉलेज, ६ कृषि-कॉलेज, ५ इंजीनियरिंग कॉलेज, ३ पशु-चिकित्सा के कॉलेज, २० ट्रेनिंग कॉलेज हैं। पढ़े-लिखों की संख्या प्रतिशत ५ पुरुषों में और १ स्त्रियों में है। १० करोड़ के लगभग मनुष्य हिंदी-भाषा-भाषी हैं।

जन्म और मृत्यु—जन्म ३२० प्रति हजार और मृत्यु ३०६ फी हजार है।

व्यवस्थापक सभाएँ—राज्य-परिषद् में ६० मेंबर, भारतीय व्यवस्थापिका सभा में १४० मेंबर, बंगाल-कौंसिल में १३६, मद्रास में १२७, बंबई में १११, संयुक्त-प्रांत में १२३, बिहार उड़ीसा में १०३ और पंजाब में ९३ मेंबर होते हैं।

बिहार-उड़ीसा में	२१ ज़िले—	मनुष्य-संख्या	३ करोड़	४० लाख
मध्यप्रदेश और बरार मे	२२ ,, —	,, ,,	१ ,,	६ ,,
आसाम में	१२ ,, —	,, ,,		७६ ,,
सीमा-प्रांत में	५ ,, —	,, ,,		२२ ,,

पशु-धन—			
गाय बैल	११ करोड़	५६ लाख	६५ हजार
भैंस-भैंसे	२ ,,	८३ ,,	३५ ,,
भेड़-भेड़े	२ ,,	२० ,,	८२ ,,
बकरी-बकरे	२ ,,	४३ ,,	३३ ,,
घोड़ी घोड़े		१६ ,,	८४ ,,
खच्चर			७६ ,,
गधे गधी		१२ ,,	८६ ,,
ऊँट-ऊटनी		४ ,,	१० ,,

रेलवे-लाइन—देश-भर मे ३६,५७३ मील मे रेल की लाइनें फैली हैं, जिनमे ७५४ करोड़ रुपया लगा है। प्रतिवर्ष ८० लाख टन माल लादा जाता है।

सेना और पुलिस—भारत में सेना के सिपाही ४ लाख ४० हजार ६०१ हैं। पुलिस ५ लाख १८ हजार है। सेना पर लगभग ६१ करोड़ और पुलिस पर ६½ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है।

बस्ती—७ लाख गाँव हैं। १ लाख से अधिक आबादी के नगर ३४ हैं।

नहरें—नहरों की लंबाई २८,५८३ मील है। आबपाशी का

७—भारत जगत् के प्रचलित छ प्रधान ऐतिहासिक धर्मों में से दो धर्मों का जन्मदाता है।

८—जगत् में प्रचलित छ महाभारत काव्यों में भारत ने दो महाभारत महाकाव्यों का जन्म दिया है।

९—भारत ने जगत् को कालिदास दिया, यह प्रसिद्ध कालिदास, जो पाश्चात्य साहित्य रूपी शृंखला की अंतिम कड़ी था।

१०—भारत ने सबसे प्रथम दशमलव-पद्धति का आविष्कार किया, जो गणित का आदि मूल-सिद्धांत है, जो 'अरेबिक नोटेशन' के नाम से प्रसिद्ध है, और फिर संसार की अन्य जातियों ने इस सिद्धांत को समझा।

ब्रिटिश-साम्राज्य में भारत का आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व असाधारण है। इस समय इँगलैंड को सब मिलाकर भारत से लगभग ३२७ करोड़ रुपया वार्षिक की आय है, जिसमें लगभग ६० करोड़ रुपया व्यापार द्वारा और ४० करोड़ के अनुमान वेतन द्वारा। सवा चार करोड़ की आबादी के क्षुद्र देश के लिये यह आय असाधारण है। इस आर्थिक लाभ से अधिक लाभ भारतीय सेनाओं द्वारा इँगलैंड को है, जिनके बल पर इँगलैंड की राजसत्ता समस्त एशिया में बहुत बढ़ गई है। चीन, मिश्र, रूस, जर्मनी, मेसोपोटैमिया, अरब में ब्रिटिश-साम्राज्य के महाविस्तार में भारतीय सेना से, जो भारतीय रुपए से वेतन पाती है, बड़ी भारी सहायता इँगलैंड को मिलती रही है।

भारतवर्ष अति प्राचीन सभ्यता का केंद्र, खनिज और कृषि के लिये हर तरह उपयुक्त, संसार-भर मे महत्त्व-पूर्ण देश है। भारत के महत्त्व के विषय में अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान् सदरलैंड ने अपने विचार इस प्रकार लिखे हैं—

१—भारतीय जाति सबसे पुरानी जाति है, ३,००० वर्ष से भी पुरानी। इस जाति का अब तक का आद्योपांत इतिहास मिलता है।

२—चीन को छोड़कर भारतीय जाति संसार में सबसे बड़ी जाति है। दूसरे ढंग से यह कह सकते हैं कि रूस को छोड़कर शेष समस्त योरप के बराबर इसकी जन-संख्या है। यदि दक्षिण और उत्तर-अमेरिका को मिलाया जाय, तो उन दोनो की जन-संख्या से इसकी जन-संख्या बड़ी हुई है।

३—भारत सभ्यता में योरप आदि से बहुत श्रेष्ठ है, और आज तक अपनी निजू सभ्यता को क़ायम रख सका है। इसकी सभ्यता का विकास संसार में सबसे प्रथम हुआ था।

४—भारत ही एक ऐसा प्रथम देश है, जहाँ सिकंदर को पराजय हुई, और उसे उलटे पाँव लौटना पड़ा।

५—जब तक गौरकाय सत्ता का यहाँ प्रवेश नहीं हुआ था, तब तक भारत ऐश्वर्य में संसार में सबसे बढ़-चढ़कर था।

६—भारतीय जनता अधिकतर आर्य-जाति की वंश परंपरा है, और आर्य-रक्त उसकी नसों में बह रहा है। उस आर्य-जाति से यह जाति संबद्ध है, जिससे ग्रीक, रोमन, जर्मन, इँगलिश और हमारी अमेरिका भी संबद्ध है।

भारत के कुछ मामूली कुटुम्ब भी व्यापारिक उन्नति के कारण करोड़पति बन बैठे थे, तब इंगलैण्ड में हर घर भारत के ऐश्वर्य की ही चर्चा हुआ करती थी, परन्तु अब भारत के वैभव और उसके व्यापारिक ऐश्वर्य की चर्चा कम हुआ करती है। वास्तव में भारत के निवासियों पर जैसी आर्थिक आपत्ति इस समय पड़ी है, जिस प्रकार उनका रक्त इस समय चूसा गया है, उसका नमूना उनके इतिहास के समस्त पन्ने उलटने पर कहीं न मिलेगा।

"अनुमान किया जाता है कि भारत की रेलों, नहरों और अन्य प्रजाहितैषी उद्योग-धंधों में विदेश की ५० करोड़ पौंड पूँजी लगी है। भारत को ५ प्रतिशत के हिसाब से उसका ब्याज ढाई करोड़ पौंड हर साल को देना पड़ता है। यह ब्याज विलायत के बाद के खरीदारों को दिया जाता है, और इतनी बड़ी रकम से भारत का कोई उपकार नहीं होता। इसके साथ ही फ़ौजी अफ़सरों और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और दूसरे खर्च जोड़ दीजिए। इसे मिलाकर ३ करोड़ पौंड हर साल इंगलैंड चले जाते हैं। भारत में ८० प्रतिशत टैक्स ज़मीन से वसूल किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो टैक्स किसानों से वसूल करती है, वह उनकी उपज का ५० से लेकर ६५ प्रतिशत तक होता है!! इसके अतिरिक्त किसानों को और भी बहुत-से स्थानीय टैक्स देने पड़ते हैं। इस प्रकार बेचारे किसानों की ७५ प्रतिशत उपज केवल टैक्स अदा करने में चली जाती है।

योरप इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली, स्पेन और ग्रीस इन सात प्रबल राज्यों का समूह है, और इन राज्यों की राजनीतिक सत्ता ने ही योरप को समर्थ बना दिया है। भारतवर्ष तमाम योरप के लगभग भू-भाग के बराबर है, और जनसंख्या में रूस को छोड़कर योरप-भर तथा अमेरिका से भी बढ़कर है। बंगाल का क्षेत्रफल फ्रांस से कुछ कम है, तो भी जन-संख्या सात करोड़ के लगभग है। युक्त-प्रांत का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन से कुछ ही कम है, किंतु जन-संख्या अधिक है। मद्रास-प्रहाता आयर्लैंड-सहित ग्रेट ब्रिटेन के बराबर क्षेत्रफल में है, जन-संख्या भी उससे कुछ ही कम है, बल्कि इटली के बराबर है। पंजाब की जन-संख्या स्पेन से कुछ अधिक और बंबई की ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लैंड से कुछ कम है। मध्य-प्रदेश बेलजियम और हॉलैंड से कुछ बड़ा है। जिन प्रांतों में देशी राज्य हैं, उनकी बात पृथक् है। बर्मा और सीलोन भी पृथक् हैं। वास्तव में यह योरप के बराबर घना बसा हुआ—राजाओं, सेनाओं, व्यापारियों और नगरों से भरा हुआ देश है, और न केवल एशिया में, अपितु पृथ्वी-भर में यह एक महत्त्व रखता है।

इसी भारत की दुर्दशा देखकर स्वर्गीय केयरहार्डी ने अपनी पुस्तक में जो उद्गार लिखे थे, वे इस प्रकार हैं—

"भारत के अतीत वैभव और समृद्धि की स्मृति लोगों के हृदय में अभी तक हरी-भरी बनी है। एक शताब्दि पहले, जब

या खराब, चौथाई भाग लिया जाता था। इस प्रकार जब फसल खूब अच्छी होती थी, तब गवर्नमेंट और प्रजा दोनो ही भरे पूरे रहते थे, और दोनो को एक ही प्रकार के लाभ रहते थे। और, जब फसल खराब होती थी, तब दोनो ही हानि सहते थे। परंतु अब तो चाहे फसल अच्छी हो या खराब, या बिलकुल ही न हुई हो, प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम वसूल की जाती है। सन् १८१७ के बाद उपर्युक्त प्रकार से लगान जबर-दस्ती वसूल करने की रीति चल पड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् १८२३ में लगान की आमदनी ८० लाख से १ करोड़ ४० लाख बढ़ गई, और सन् १८५४ में वह बढ़कर ४ करोड़ ८० लाख हो गई।

"जब गत शताब्दि के प्रारंभ में सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तब भी लगान के संबंध में इसी प्रकार की सख्तियाँ की गई थीं, और इसके परिणाम-स्वरूप समस्त प्रांत में किसानों के भूखे मरने के समाचार आने लगे थे, और जाँच के उपरांत गवर्नमेंट को २५ प्रतिशत लगान कम करना पड़ा था। इनके अधीन ऑफिसर पहले तो इनकी आज्ञा-पालन करने में आना-कानी करने लगे, परंतु अंत में उन्हें इनकी कड़ी आज्ञा के सामने नत-मस्तक होना पड़ा। इस लगातार लूट-खसोट का परिणाम यह हुआ कि इस देश की प्रजा इतनी गरीब हो गई, जितनी संसार के किसी अन्य देश की नहीं। सचमुच सौ वर्ष के 'सभ्य' कहलानेवाले शासन

निर्धनता का साम्राज्य

"इँगर्लैंड में आमदनी पर ५ प्रतिशत टैक्स लगाने से सारे देश में सनसनी फैल जाती और जनता उसका विरोध करने पर तुल जाती है। खूबी यह कि टैक्स जमीन की उपज पर नहीं, केवल मुनाफे पर लगाया जाता है। ऐसी दशा में उस देश की क्या स्थिति होगी, जहाँ मुनाफे पर ५ प्रतिशत टैक्स नहीं लगाया जाता, बल्कि उपज पर ७५ प्रतिशत लगाया जाता है। समय समय पर लगान का रेट बदलता रहता है, और यह केवल इसलिये कि गवर्नमेंट इन कर्ज से लदे हुए किसानों से जितना अधिक ऐंठ सके, ऐंठे। लगान में ३० प्रतिशत की वृद्धि करना तो एक साधारण-सी बात है; रजिस्टरों में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जहाँ यह लगान-वृद्धि ५०, ७० यहाँ तक कि १०० प्रतिशत तक की गई है। यह एक ऐसी बात है, जिसके कारण भारत में स्थायी रूप से गरीबी और दुर्भिक्ष का साम्राज्य हो गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि ब्रिटिश-राज्य में किसानों को पुराने जमाने के राजों से कम टैक्स देना पड़ता है। इस तर्क के कई प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं, परंतु नीचे ऐसी कुछ संख्याएँ दी जाती हैं, जिनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

"जब बंबई-प्रांत सन् १८१७ में ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित किया गया, तब उसके शासकों ने अपने किसानों से केवल ८० लाख रुपया लगान में वसूल किया था। उस समय लगान वसूल करने की यह पद्धति थी कि फसल का, चाहे वह अच्छी हो

दूसरा अध्याय

भारत और ग्रेट ब्रिटेन

महारानी एलिज़ाबेथ के शासन के बाद ३ शताब्दियों में इँगलैंड ने अपना साम्राज्य स्थापन किया है। भारत का इँगलैंड के हाथ आ जाना एक जाश्चर्यजनक घटना है। पर उसने इँगलैंड का असाधारण जीवन दिया है। यदि इँगलैंड का भारत और उसके सब्धा उपनिवेशों से संबंध छूट जाय, तो वह शेक्सपियर के समय की तरह 'एक बड़े भारी जलाशय में हंस के समान' रह जायगा।

परंतु यदि भारत और ग्रेट ब्रिटेन में इन साम्राज्य की स्थापना से वह भावात्मक मेल हो गया होता तो उनके राजनीतिक स्वार्थों और आर्थिक समस्याओं का भिन्न भाव में एक करता, तो आशा की जा सकती थी कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य अमेरिका के संयुक्त-राज्यों-जैसा बन जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत को नैतिक राज्य में संगठित करने में ग्रेट ब्रिटेन को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जो अनेक जातियों और समुदायों का शिकार है। इँगलैंड, जो एक हाथ से पृथ्वी भर के भविष्यवाद का दृढ़ता से पकड़े रहना चाहता है, दूसरे से सदैव के लिये उस भारत को पकड़े रहने का अभिलाषी है, जो

के उपरांत ऐसा गरीब और भुखमरा देश तो संसार के कोने मे कहीं ढूँढे न मिलेगा। भारत की संख्या (Statistics)-विभाग के डाइरेक्टर जनरल सर विलियम हंटर ने, जो भारत और उसके निवासियों के सच्चे हितैषी थे, लिखा है कि "भारत के चार करोड़ मनुष्यों को भर-पेट रूखा सूखा भी खाने को नहीं मिलता।" और, पंजाब के अर्थ-विभाग के कमिश्नर ने कहा था कि "भारत के ७ करोड़ किसान इतनी भयंकर ग़रीबी में हैं कि किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं .. "

की । १७वीं शताब्दि में अँगरेजों ने डरते डरते डचों पर हाथ मारा । फ्रेंच और अँगरेजों में स्पर्द्धा बढ़ी । १८वीं शताब्दि-भर दोनो के युद्ध हुए, जो परस्पर के प्राधान्य के निर्णय के लिये थे।

१७५८ में ब्रिटिश-साम्राज्य स्थापित हुआ । १८वीं शताब्दि में अँगरेजों का पंजाब की चिन्ता न थी, वे मद्रास में फ्रेंचों की गड़बड़ से भयभीत थे । पर मिश्र पर नेपालियन की चढ़ाई के बाद वैदेशिक संबंध का अँगरेजी रूप ही बदल गया । अफगानिस्तान पर अँगरेजों दृष्टि पहुँची, और सर जान मालकम का फारस मिशन लेकर भेजा गया । फारस और अफगानिस्तान से संधियाँ हुईं । तिब्बत नैपाल से भी संधियाँ हुईं । इस प्रकार भारत पर ग्रेट ब्रिटेन का प्रभुत्व पक्का हुआ ।

यह वह समय था, जब देश म अविचार बढ़ गया था। सामाजिकता दिमागी गुलामी में दब गई थी । दिल्ली के सम्राट् अपने अत्याचारों का फल भोग रहे थे । मराठों की मार के मारे मुगल-तख्त छिन्न-भिन्न हो गया था। राजपूताना मुगलों का सामना करते-करते चूर-चूर हो गया था। पूर्वी प्रांतों के सूबेदार स्वच्छंद रहकर नवाब बन बैठे थे, और शराब तथा ऐयाशी में डूबे पड़े थे। उनसे प्रजा-रंजन तो दूर, प्रजा-पालन भी न होता था।

परंतु प्रजा में इस राजनीतिक विपत्ति ने कुछ गुण उत्पन्न कर दिए थे। वह वीर, स्वावलंबी और सहनशील बन गई थी। फिर उसके जीवन निर्वाह की विधियाँ बहुत सरल थीं। खाद्य

अपनी तमाम शक्ति से अत्यंत प्राचीनता की ओर आकृष्ट है। यह कैसे हो सकता है कि वह एशिया में स्वेच्छाचारी रहे, और आस्ट्रेलिया में प्रजासत्तावाद का समर्थक। पश्चिम में स्वायत्त-शासन का प्रशंसक रहे, और पूर्व में मुस्लिम अंध विश्वासों और मंदिरों का संरक्षक।

परंतु यदि ध्यान से देखा जाय, तो राजनीतिक प्रभुत्व की अपेक्षा इँगलैंड का भारत पर आर्थिक प्रभुत्व ही अधिक महत्त्व-पूर्ण है। यह बात भी सच है कि अंगरेजों ने प्रारंभ में भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व की बात भी न सोची थी, वह तो घटना-क्रम से आप ही होता चला गया। सर जॉन सीली ने कहा है कि *जब हम अमेरिका के युद्ध में अपनी भारी अयोग्यता दिखाकर* ३० लाख मनुष्यों के प्रदेश को खो बैठे थे, और युद्धों में भी फँसे थे, एवं कुल अंगरेज १ करोड़ २० लाख थे, तब कैसे भारत के दुर्दमनीय विजेता बन बैठे! जब क्लाइव प्लासी और दक्खिन में युद्ध कर रहा था, तब अमेरिका में सात वर्ष का युद्ध चल रहा था, और जब नेपोलियन से इँगलैंड लड़ रहा था, तब लॉर्ड वेल्जली बहुत-सी भूमि अंगरेजी राज्य में मिला रहा था!! योरप में हम जल-युद्ध ही करते थे, और स्थल-युद्ध के लिये किसी मित्र सैनिक राज्य से किराए पर सेना लेते थे। फिर भी हम १० लाख वर्ग-मील का देश जीत गए।

१६वीं शताब्दि तक लगभग आधी एशिया पोर्तुगीजों के अधीन थी। इसी शताब्दि के अंत में डचों ने सफलता प्राप्त

विख्यात है। उनके कष्ट अनगिनत हैं। उनके पशुओं के लिये गोचर भूमि नहीं, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। वह लगान और साहूकार के ब्याज में पिसकर मर रहे हैं।

शिक्षा की दशा सुनिए। फी सदी ७ ८ बच्चों को शिक्षा मिल रही है, जो किसी भी सभ्य देश के लिये लज्जा की बात है। ५५ लाख विद्यार्थियों की शिक्षा में जितना धन खर्च किया जाता है, वह अति नगण्य है। इस समय इँगलैंड और वेल्स में स्कूल जानेवाले बच्चों को संख्या ६० लाख है।

स्वास्थ्य की दशा नगर और ग्राम सर्वत्र ही अति भयानक है। छूत और संक्रामक रोग प्राय नित्य बने रहते हैं, और भारतीयों की परमायु का औसत २३.५ है, जो अतिशय दयनीय है। अस्पतालों में जिस प्रकार रोगियों की दुर्दशा होती है, उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। हर हालत में ग्रेट ब्रिटेन के ससर्ग में भारत दुखी, रोगी, दरिद्र और विकास से रहित एव मूर्ख ही रह रहा है।

पदार्थ बहुत सस्ते थे। नागरिक जीवन की कृत्रिमता व्यापक न थी। लोग शांत और स्थिर होकर जी रहे थे। व्यापार और शिल्प भरपूर रीति से परस्पर एक दूसरे को उत्तेजन देते थे।

ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग ने सर्व प्रथम देश के शिल्प और व्यापार को नष्ट किया, और आज वह एक-मात्र मजदूरी या दलाली के रूप में रह गया है। ग्रेट ब्रिटेन ने इस बात पर खास तौर पर ज़ोर दिया कि भारत कच्चा माल तैयार करे, और उसे इँगलैंड के मजदूर अपनी मशीन के ही बल पर तैयार कर साम्राज्य-भर में बेचकर व्यापार करें। मैकाले ने एक बार कहा था कि अँगरेज़ी उद्योग-धंधों का आश्चर्य-जनक विस्तार और भारत की दरिद्रता दोनों समसामयिक हैं। धीरे-धीरे कच्चे माल का भी व्यापार अँगरेज़ों के हाथ में चला गया।

१००-१५० वर्ष पूर्व भारत का व्यापार अफ़गानिस्तान और फ़ारस होता हुआ योरप जाता था। यहाँ के मलमल और रेशम की संसार-भर में धूम थी। डा० टेलर ने २२ ग्रेन वज़न का सूत १,३४८ गज़ देखा था। यह सब शिल्प और वाणिज्य नष्ट कर दिया गया, जिसकी कहानी बड़ी ही करुण है, और उसे दुह-राने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं।

कृषि की दशा, जिस पर अँगरेज़ सरकार का बड़ा ज़ोर है, बड़ी गंभीर है। लगभग २२ करोड़ किसान कृषि पर अवलंबित हैं, जिनमें, सर चार्ल्स ईलियट के मतानुसार, ७ करोड़ मनुष्यों को जीवन-भर आधा पेट भोजन मिलता है। इनकी दुर्दशा जगत्-

उसका शांत होना संभव नहीं दीख रहा है। इस नवीनता के भीतर भी प्राचीनता का प्रभाव है, यह बिना कहे तो रहा नहीं जा सकता, और जब कभी भारत स्वाधीन होगा, यही विशेषता उसे संसार के राष्ट्रों में खास स्थान देगी।

ग्रेट ब्रिटेन भारत के इस नव्य उत्थान को सदैव ही विद्वेष कह-कर पुकारता रहा है। विद्वेष मानवीय हृदय की अति निकृष्ट भावना है, परंतु जो कुछ देश में आज तक हुआ है, वह ग्रेट ब्रिटेन के लिये चाहे जितना हानिकर हो, पर वह निकृष्ट भावना तो कहा नहीं सकता। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ हो रहा है, उसमें विद्वेष की भावना है ही नहीं। पर घृणा और विद्वेष जहाँ है, वह बदले की भावना से है।

इँगलैंड के पत्रों और मनुष्यों ने भारत के इस उत्थान को जिस विद्वेष, उपेक्षा और घृणा से देखा है, और समय-समय पर रेलों, बाजारों, क्लबों और अन्य स्थलों पर जैसे कमीने आक्रमण किए हैं, उसे निर्विकार भाव से सहना बड़े-से-बड़े सहिष्णु मनुष्य के लिये संभव नहीं। क्रोध एक स्वाभाविक वस्तु है, जो प्राणी के साथ रहता है। सच्चा और सतोगुणी क्रोध जिस मनुष्य की भृकुटी में नहीं, वह मनुष्य ही क्या? स्वार्थ पर आघात होने अथवा अप्रिय आचरण होने पर प्राणी-मात्र के हृदय में क्रोधाग्नि प्रज्व-लित होती है। उसके बढ़ जाने पर विद्वेष का आचरण होता है। भारतवासियों के हृदयों में चिरकाल से अँगरेज व्यक्ति-विशेषों के अन्यायाचरण अथवा सत्ता की स्वेच्छाचारिता से भीतर-ही-

तीसरा अध्याय

राजनीतिक अशांति

गत ४० वर्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार में डूबा हुआ भारतीय राष्ट्र भीतर-ही-भीतर एक नया जीवन प्राप्त कर रहा है। इस बीच में अनेक प्रतिभा-संपन्न आत्माओं ने राष्ट्रीयता की चिनगारी को सुलगाकर एक बड़ा अंगार बना दिया है, जिसने प्रांतीयता, धार्मिक कट्टरता और जातीय स्वार्थों को छिन्न-भिन्न करके राष्ट्रीय जीवन उत्पन्न कर दिया है। देश के विषम विपत्ति-काल में इन आत्माओं ने अपनी शक्ति और प्रतिभा का अमूल्य दान देश को दिया। उन्हीं के इस अमूल्य दान से नवीन जातीयता के बीज उगते हम देख रहे हैं। यह नवीन जातीयता साहसी, तेजस्वी, उच्चाशय, उदार, स्वार्थ-रहित, परोपकारी और देश-हित-साधन के लिये उच्चाकांक्षाओं से परिपूर्ण है। देश-भर में वृद्ध और युवकों में एक अद्भुत अनैक्य जो हम देख रहे हैं, वह इसी जातीयता के उत्थान का कारण है। मालूम होता है, भारत के कलियुग का अंधकारमय युग समाप्त हो रहा है, और देश का तरुण मंडल अग्नि-स्फुलिंग के समान पुराने झोपड़े को ढहाकर नवीन महल का निर्माण किया चाहता है। इस नवीन संतति ने जिस कार्य को प्रारंभ किया है, उसे बिना पूर्ण किए

भीतर क्रोध तथा असंतोष का संचय हो रहा था। इसी समय ब्रिटेन की सत्ता ने इस उदीयमान नई भावना को दमन करने की चेष्टा की। इससे असंतोष ने तीव्र भावना को ग्रहण कर लिया। आज देश में सब धर्म-वचनों, सब आह्लाद-वाक्यों, सब मंतव्यों के ऊपर 'वंदे मातरम्' और 'क्रांति की जय' का स्वर ही सुन पड़ता है।

पूर्ण स्वाधीनता देश की राजनीतिक चेष्टा की चरम सीमा है, और आज भारत ने उसे ही अपना ध्येय बना लिया है।

देश की इस राजनीतिक अशांति के उद्गाता तीन महापुरुष हैं, जिन्होंने इस आकांक्षा को देश की आत्मा में एकत्र किया। वे हैं दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक। इन तीनों महात्माओं के जीवन इस नवीन जीवन के अंकुर पाने और देश में सार्वभौम क्षेत्र तैयार करने में व्यतीत हुए। अंत में लोकमान्य तिलक ने अपने उस युग की आकांक्षा की एक रेखा बनाई, और वह रेखा थी—"स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है।" यह वाक्य एक बार देश-भर के वातावरण में सर्वोपरि रहा था।

कलकत्ते की कांग्रेस में ही यह बात प्रकट हो गई थी कि देश का वातावरण बहुत गर्म हो गया है। इसके बाद ही देश का आंदोलन और ही रूप पकड़ गया। तिलक की नीति अब पुरानी हो गई, और महात्मा गांधी ने अपना असहयोग-सिद्धांत प्रच-लित किया। उसमें एक भयानक आग थी, परंतु एक प्रबल

शांति थी। देश ने इसे धीरे-धीरे समझा, और वह एकाएक उसके अनुकूल हो गया। इस महायुग के संचालक महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू हुए।

इस नीति में महत्त्व-पूर्ण बात अहिंसा और अक्रोध है, और वह ठीक उन्हीं अर्थों में, जिन अर्थों में आध्यात्मवाद में मानी गई है। परंतु देश में उस उच्च नीति का समझनेवाले सब नहीं हो सकते थे। फलतः षड्यन्त्र-दल का भी संगठन होता रहा, और वह बीच-बीच में हत्याओं और दूसरे उपद्रवों से ब्रिटिश सभा के प्रति अपना तीव्र रोष प्रकट करता रहा।

देश से यह गर्म दल शमन हो, इसलिये महात्मा गांधी ने अपनी नीति को स्थगित और आवश्यकतानुसार मंद किया, और अंत में, सन् तीस में, उन्होंने अतर्क्य रीति से प्रबल संग्राम छेड़ दिया, जिसे सारे संसार की महाशक्तियों ने आश्चर्य से देखा। इस संग्राम के संचालक महात्मा गांधी-जैसे मनस्वी, मोतीलाल-जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञ और जवाहरलाल जैसे युवक साम्यवादी रहे। तीनों शक्तियों का एक होना अद्भुत घटना थी, और यह युगांतर करनेवाला निग्रही योग था। शोक है, आज इस योग में एक महाग्रह का वियोग हो गया। जो हो, इस संग्राम में देश के प्रायः सभी प्रमुख नेता और अति प्रतिष्ठित पुरुषों ने भी योग दिया और लगभग २५ हजार महिलाएँ तथा ५० हजार पुरुष जेलों में हुये हैं।

इस महासंग्राम में लॉर्ड इर्विन को तीन ही मास में ८ ऑर्डि-

भीतर क्रोध तथा असंतोष का संचय हो रहा था। इसी समय ब्रिटेन की सत्ता ने उस उदीयमान नई भावना को दमन करने की चेष्टा की। इससे असंतोष ने तीव्र भावना को ग्रहण कर लिया। आज देश में सब धर्म-वचनों, सब आह्लाद-वाक्यों, सब मंतव्यों के ऊपर 'वंदे मातरम्' और 'क्रांति की जय' का स्वर ही सुन पड़ता है।

पूर्ण स्वाधीनता देश की राजनीतिक चेष्टा की चरम सीमा है, और आज भारत ने उसे ही अपना ध्येय बना लिया है।

देश की इस राजनीतिक अशांति के उद्गाता तीन महापुरुष हैं, जिन्होंने इस आकांक्षा को देश की आत्मा में एकत्र किया। वे हैं दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक। इन तीनों महात्माओं के जीवन इस नवीन जीवन के *अंकुर बोने और देश में सार्वभौम क्षेत्र तैयार करने में व्यतीत* हुए। अंत में लोकमान्य तिलक ने अपने उस युग की आकांक्षा की एक रेखा बनाई, और वह रेखा थी—"स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है।" यह वाक्य एक बार देश-भर के वातावरण में सर्वोपरि रहा था।

कलकत्ते की कांग्रेस में ही यह बात प्रकट हो गई थी कि देश का वातावरण बहुत गर्म हो गया है। इसके बाद ही देश का आंदोलन और ही रूप पकड़ गया। तिलक की नीति अब पुरानी हो गई, और महात्मा गांधी ने अपना असहयोग-सिद्धांत प्रच-लित किया। इसमें एक भयानक आग थी, परंतु एक प्रबल

चौथा अध्याय

लाहौर-कांग्रेस

लाहौर में कांग्रेस—इससे प्रथम लाहौर में दो अधिवेशन हो चुके थे, पहला सन् १८९३ में स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में और दूसरा सन १९०० में। परंतु इस कांग्रेस में और उनमें बहुत अंतर था। वह कांग्रेस अर्ध-सरकारी सभा थी। लोग बड़े दिन की छुट्टियों का मजा लूटने, अँगरेजी में सुंदर व्याख्यान झाड़ने और सुनने को इकट्ठे हुआ करते थे। हिंदुस्तानियों को ऊँची नौकरियाँ मिलें—इसी प्रकार के प्रस्ताव होते और उनकी नकलें सरकार को भेज दी जाती थीं।

कांग्रेस का जन्म—स्वर्गीय देशभक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कांग्रेस को जन्म देने का श्रेय मिलना योग्य है। उन्होंने देश में राजनीतिक प्रचार करने और राष्ट्रीयता का भाव भरने को, २६ जुलाई, सन् १८७६ में, कलकत्ते में, इंडियन एसोसिएशन क़ायम किया। श्यामाचरण सरकार उसके सभापति और आनंदमोहन बोस मंत्री बनाए गए। परंतु सच्चे मंत्री तो सुरेंद्रनाथ ही थे। पर चूँकि वह तभी नौकरी से निकाले गए थे, इसलिये राजनीति में अगुआ होना न चाहते थे।

इसी अवसर पर लॉर्ड साल्सबरी ने इंडियन सिविल सर्विस

नेंस निकालने पड़े, और लाठियों के प्रहार तथा कोड़ों की मार एवं और भी निर्दय व्यवहार करने पड़े, क़ुर्कियाँ और जब्तियाँ भी जिनमें सम्मिलित हैं। क्रांतिकारियों के बमनिर्माण, हत्याकांड और उनका क्षण क्षण पर बढ़ता हुआ प्रभाव तथा उनके लिये पुलिस और सत्ता का कठोर शासन हमारे वर्णन का विषय नहीं।

इस समय देश का मूल-मंत्र है 'इन्किलाब जिंदाबाद' और राजनीतिक ध्येय है 'पूर्ण स्वाधीनता'।

सन् १८८२ में सर सी० पी० एलबर्ट ने कौंसिल में वह प्रसिद्ध बिल रक्खा, जिसका मतलब यह था कि गोरे अभियुक्तों का फैसला भी काले मैजिस्ट्रेट कर सकें। ऐंग्लो इंडियन लोगों में भारी तूफान उठा। इससे अँगरेजी पढ़े-लिखे भारतीयों के मन में यह विचार पैदा हुआ कि गोरे लोग हमें तुच्छ ही समझते हैं। जगह-जगह संस्थाएँ स्थापित होने लगीं। १८८४ में, बंगाल में, जितेंद्रमोहन ठाकुर के नेतृत्व में, नेशनल लीग की स्थापना और एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शिनी हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का तीसरा दौरा किया, और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोरदार भाषण दिए। इधर १८८५ में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जन्म हुआ। श्रीफ़ीरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनशा एदलजी वाचा इसके संयुक्त मंत्री हुए।

परंतु इन सभी सभाओं की सीमा प्रांतों में बद्ध थी। इंडियन एसोसिएशन के सिवा सबका उद्देश्य भी प्रांत में ही काम करना था। पर देश भर की समस्याओं का विचार करने की भावना देश में उत्पन्न हो गई थी।

मिस्टर ह्यूम, जो कांग्रेस के पिता कहे जाते हैं, सन् ५७ का विद्रोह देख चुके थे। वह उन दिनों इटावे के कलेक्टर थे। १८७० में वह भारत सरकार के स्वराष्ट्र-सचिव रहे, फिर सन् १८७१ से १८७६ तक लगान, कृषि और व्यापार-विभाग के मिनिस्टर रहे। इन उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्यों में रहने पर आपको देश की परिस्थिति देखने का बारीकी से अवसर मिला। देश की जनता

की परीक्षा के लिये २१ के बजाय १९ वर्ष की आयु की कैद कर दी थी। इस विषय को लेकर उक्त एसोसिएशन ने विरोध में घोर आंदोलन किया। इसके लिये सुरेंद्रनाथजी ने काशी से रावल पिंडी तक और फिर तमाम दक्षिण का दौरा किया। बड़े-बड़े शहरों में आपने भाषण दिए। अलीगढ में सर सैयद अहमद सभापति बने। दक्षिण के काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, महादेव गोविंद रानाडे इस आंदोलन में आपके साथी हुए। अंत में श्रीलालमोहन घोष इँगलैंड की कामंस सभा में इसी उद्देश्य से भेजे गए। अंत को सिविल सर्विस-संबंधी नियमों में आवश्यक सुधार कर दिए गए।

१८७७ में, दिल्ली में, महारानी विक्टोरिया का दर्बार हुआ। वहाँ बड़े-बड़े राजे और विद्वान् आए। सुरेंद्रनाथजी हिंदू-पेट्रिएट के तौर पर उसे देखने गए। उन दिनों देश में भारी अकाल पड़ रहा था। पर वहाँ की फिजूलखर्ची और ठाट देखकर वह विचलित हुए। देश की सार्वजनिक शक्ति को एकत्र करने के विचार इसी समय उनमें उत्पन्न हुए।

सन् १८८० में लार्ड रिपन गवर्नर जनरल होकर आए। प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने भारत की अशांति देखकर ही उन्हें भेजा था। इन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से संधि की, और वैज्ञानिक सीमा-प्रांत की अपेक्षा प्रजा की शांति को अधिक संतोष जनक समझा। इन्होंने १८७८ के देशी अखबारों के नियंत्रण-संबंधी क़ानूनों को रद कर दिया। जिला-बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियाँ क़ायम कीं।

अध्यक्षता न रहे, जिसमें लोगों को संकोच न हो। यह तजवीज नेताओं ने भी पसंद की। वायसराय ने यह कह दिया था कि उनका नाम इस संबंध में तब तक न प्रकट किया जाय, जब तक वह भारतवर्ष में रहें। यही हुआ भी। इसके बाद ह्यूम साहब इँगलैंड गए, और वहाँ लॉर्ड रिपन, जान ब्राइट एम्० पी०, आर० टी० रेड एम्०, पी०, लॉर्ड डलहौसी, चैक्सटन एम्० पी०, स्लैग एम्० पी० और अन्य पुरुषों से भेंट कर अपना अभिप्राय समझा दिया, जिससे कोई गलतफ़हमी न होने पावे। यह करके वह नवंबर में भारतवर्ष लौट आए।

अचानक पूने में प्लेग-प्रकोप होने के कारण यह अधिवेशन बबई मे, सन् १८८५ में, श्रीउमेशचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, ७२ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। यह कांग्रेस के जन्म का संक्षिप्त इतिहास है। इसके बाद ४४ वर्ष का इतिहास तो बहुत विस्तृत है।

<u>सन् ३० की कांग्रेस से प्रथम की नीति</u>—सन् ३० की कांग्रेस, पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, खुले षड्यंत्र की सभा थी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव बहु-सम्मति से पास हुआ। सन् १६०६ में जब कलकत्ते में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में कांग्रेस हुई, तब उसमें स्पष्ट राष्ट्रीयता की गंध आने लगी थी। 'स्वराज्य' शब्द का सबसे प्रथम मंत्रोच्चार उसी समय हुआ था। इसके बाद सन् १६०८ ई० में, इलाहाबाद में, कांग्रेस का ध्येय निश्चित किया गया। उस समय साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य की माँग

एकमत से उठ खड़ो हो, तो कैसी विपद् उठ खड़ी हो सकती है, यह वह समझे हुए थे। सन् १८८२ में उन्होंने नौकरी छोड़ी, और शिमले में रहने लगे। आपने लॉर्ड लिटन का कठोर शासन और उसके बाद लॉर्ड रिपन का शांत प्रोग्राम देखा था। वह गोरों के जाश और देश के असंतोष पर गंभीर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, वैध आंदोलन का मार्ग खोलकर यह असंतोष रोका जा सकता है। यह विचारकर इन्होंने सन् १८८४ में एक इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। इसने १८८५ में, दिसंबर मे, देश-भर के प्रतिनिधियों को एकत्र करने की तैयारी की। भारत के मध्य भाग में होने के कारण इसके लिये पूना स्थान नियत किया गया। उद्देश्य था राष्ट्रीय उन्नति तथा आगामी वर्ष के लिये राजनीतिक कार्य।

चिपलूणकर स्वागतकारिणी के सभापति बने। ह्यूम साहब का विचार इस सभा के द्वारा केवल सामाजिक विषयों पर विचार करना था। पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफ़रिन ने उन्हें राजनीतिक सभा बनाने की सलाह दी। लॉर्ड डफ़रिन ने उनसे कहा—शासन सूत्रधार की हैसियत से मुझे लोगों की वास्तविक इच्छा जानने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। यदि कोई ऐसी जिम्मेदार संस्था हो, जिससे सरकार को देश की इच्छा का पता चलता रहे, तो बड़ी सुविधा हो। १८८५ में, शिमले में, ह्यूम साहब और वायसराय से इस संबंध में बातचीत भी हुई। उसमें वायसराय ने यह भी कहा कि इसमें प्रांत के गवर्नर की

वायसराय की ट्रेन पर बम—२३ तारीख़ के प्रातःकाल ७½ बजे निज़ामुद्दीन-स्टेशन और अजमेरी-दरवाज़े के रेलवे-केबिन के बीच क्रांतिकारी दल ने बम का प्रयोग किया। यह बम बड़ी होशियारी से निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली-स्टेशन के बीच ६४७-६ नंबर के खंभे के पास, लाइन के नीचे, रक्खा था, और उसका संबंध एक बिजली के तार से था, जो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था, और पुराने क़िले की दक्षिणी दीवार से २० गज़ के फ़ासले पर होता हुआ चला गया था। वहाँ से चौथाई मील के फ़ासले पर एक शख़्स बैठा था, और बैटरी तार से लगी हुई थी। जहाँ बम रक्खा था, वहाँ से ३० फ़ीट इधर-उधर ज़मीन ढालू थी। यदि ट्रेन पटरी से भी उतर जाती, तो चकनाचूर हो जाती। उस वक़्त घना कुहरा पड़ रहा था। ट्रेन ४० मील की चाल पर दौड़ रही थी। ट्रेन के ठीक वहाँ पहुँचने पर धड़ाका हुआ। दो डब्बे बुरी तरह नष्ट हो गए। एक ख़ानसामे को चोट आई। खिड़कियों के शीशे टूट गए। उस स्थान की पटरी २ फ़ीट ६ इंच उड़ गई। परंतु ट्रेन बिना रुके नई दिल्ली-स्टेशन पर, ठीक टाइम पर, पहुँच गई। बम की ख़बर 'स्टेशन पहुँचने पर' कर्नल हार्वे ने वायसराय को दी। वह उसी क्षण घटना-स्थल पर गए। लाइन पर पुलीस का कड़ा पहरा था, और घटना-स्थल पर भी पुलीस तैनात थी। ठीक इसी दिन लॉर्ड हार्डिंग पर भी बम फेंका गया था। इस संबंध के सब भेद अब लाहौर के दूसरे षड्यंत्र-केस में खुल गए हैं।

थी। १९२० तक कांग्रेस की यही नीति रही। परंतु नागपुर-कांग्रेस में महात्मा गांधी ने साफ़ कह दिया कि "ब्रिटिश-साम्राज्य के अंदर यदि संभव हो, और ब्रिटिश-साम्राज्य के बाहर यदि जरूरत हो।" ६ वर्ष तक यह युग भी क़ायम रहा।

सन् ३० की कांग्रेस—कलकत्ते की कांग्रेस में महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि ३१ दिसंबर, सन् २९ की रात के १२ बजे तक सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य भारत को न देगी, तो मैं पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में हो जाऊँगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने रात को १२ बजकर ३ मिनट पर पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की। इस कांग्रेस के सभापति का पद ग्रहण करने के लिये महात्मा गांधी से बहुत विनय की गई थी; परंतु उन्होंने यह जवाब दिया कि देश में जो नई उत्तेजना फैली है, उसे रोककर, अपनी ठीक नीति के आधार पर कब्ज़े में कर रखना मेरे लिये अशक्य प्रतीत होता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि उस प्रवाह को अपने ऊपर से गुज़र जाने दूँ। उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू को सभापति पद के लिये पेश किया, और वह चुन लिए गए। देश में इस समय गर्म विचार भरे हुए थे। यद्यपि लोग देश के लिये साधारण क़ुर्बानी भी करने को तैयार नहीं दीखते थे, परंतु वे गर्म-से-गर्म प्रोग्राम को अमल में आने का तमाशा देखना अवश्य चाहते थे। नवयुवक लोग, जिनमें पंजाब, बंगाल और दक्षिण-भारत का ख़ास भाग था, बड़ी उतावली से अपने गर्म विचारों को अमल में लाने की इच्छा करते दीख पड़ते थे।

इस प्रकार यह सम्मेलन व्यर्थ गया।

अफ़वाहें—कांग्रेस से प्रथम चारों तरफ़ अनेक प्रकार की अफ़वाहें फैल रही थीं। लोग कहते थे, हवाई जहाज़ और मशीनगनें पंडाल को उड़ा देंगी। कांग्रेस पूरी न हो सकेगी। कुछ लोग कहते थे, जवाहरलाल स्वराज्य-सेना-संग्रह कर युद्ध शुरू कर देंगे। रूस और अमेरिका से मदद मिल रही है। हिंदोस्तानभर की खुफ़िया पुलीस लाहौर में इकट्ठी हो गई है, आदि-आदि।

सभापति का जुलूस—२५ तारीख़ को ४ बजे पं० जवाहरलाल नेहरू को स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुँची। लोगों का कहना था कि इतनी भीड़ लाहौर में पहले कभी नहीं देखी गई। १ घंटे तक सभापति को रास्ता न मिला। प्लेटफ़ार्म पर बैंड बज रहा था। चर्खेदार झंडियाँ थीं। मोहल्लों की काफ़ी तादाद थी। स्वयंसेवकों ने सभापति को सलामी दी। जनरल ऑफ़िसर कमांडिंग सरदार मंगलसिंह सफ़ेद घोड़े पर सवार, १०० सवारों के साथ, नेतृत्व कर रहे थे।

पं० जवाहरलाल नेहरू सफ़ेद घोड़े पर सवार हुए। आगे-आगे अनाथ-आश्रम और अन्य दो संस्थाओं का बैंड बजता था। उसके पीछे कांग्रेस-स्वयंसेवक बीन बाजा और शहनाई बजा रहे थे। उसके पीछे नियमित कांग्रेस-बैंड था। इसके बाद कुमारी जुतशी के संचालन में महिला-स्वयंसेवक दल था। इसके पीछे सेनापति मंगलसिंह के नेतृत्व में घुड़सवार-दल था। सरदार शार्दूलसिंह, लाला दुनीचंद (लाहौर), नामधारी

वायसराय से नेताओं का सम्मिलन—इसी दिन ३ बजे शाम को महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, माननीय पटेल, सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जिन्ना से वायसराय ने मुलाकात की। २½ घंटे तक बहस होती रही। महात्मा गांधी का कहना था कि सम्राट् की गवर्नमेंट की ओर से जब तक यह विश्वास न दिलाया जायगा कि प्रस्तावित गोल-सभा में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्कीम पर विचार होगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका समर्थन करेगी, तब तक कांग्रेस का उसमें भाग लेना कठिन है। वायसराय ने साफ़ तौर पर कह दिया कि सभा का उद्देश्य केवल यही है कि उन प्रस्तावों में, जिन्हें गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी, अधिक से-अधिक एकमत होने का विचार प्रकट किया जा सके। मेरे लिये अथवा सम्राट् की सरकार के लिये पहले से यह बताना असंभव है कि सभा में क्या होगा। पार्लियामेंट की स्वाधीनता कम करना भी संभव नहीं। महात्मा गांधी ने कहा—मैं भारत के राष्ट्र के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि ३१ दिसंबर तक यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य न मिल जायगा, तो मैं पूर्ण स्वाधीनतावादी बन जाऊँगा। अतः शीघ्र ही पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। वायसराय ने जवाब देते हुए कहा—मैं महात्मा गांधी और पं० मोतीलालजी नेहरू की माँगों से, जो उस के लायक़ और स्वीकार करने के अयोग्य हैं, सहमत नहीं।

"हिंदुस्तानी हिंदोस्तान में आज़ाद होना चाहते हैं।"

"आज़ादी की लड़ाइयाँ बातों से नहीं जीती जातीं, कर्मों से जीती जाती हैं।"

"देश-भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है।"

"जो अपनी आज़ादी खो देता है वह अपना आधा धर्म खो देता है।"

"गाधी सत्य की मूर्ति है; सत्य अमरत्व की मूर्ति है।"

"जवाहरलाल युवकों का प्रतिबिंब है, युवक कार्य के प्रतिबिंब हैं।"

"डायर और ओडायर ने जिस ज़मीन को लाल रंग में रँगा, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं।"

"स्वतंत्रता की वेदी पर अपने को बलिदान कर दो।"

"हिंदू, सिख और मुसलमान एक हो जाओ या सदा के लिये जहन्नुम में जाओ।"

<u>पंडाल और लाजपत-नगर</u>—लाजपत-नगर बहुत सुंदर बनाया गया था। रावी के तट पर पट मंडपों की शोभा देखने योग्य थी। पंडाल एक विशाल शामियाने के नीचे था, जिसमें २० हज़ार आदमी बैठ सकते थे। सभापति तथा नेताओं के लिये मंच बनाया गया था। उसी पर स्वागत-समिति, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों तथा प्रतिष्ठित दर्शकों के बैठने को स्थान था। वेदी के सामने पत्र-प्रतिनिधियों के लिये स्थान थे। आने-जाने के लिये कई मार्ग थे। सर्वत्र खद्दर बिछाया गया था।

सिखों के गुरु और अन्य नेता घोड़ों पर सवार थे। सबके बीच में पं० जवाहरलाल नेहरू थे। पृष्ठ पर नामधारी सिखों का घुड़सवार-दल था। उनके पीछे हथौड़ा और हँसिया लिए हुए सिखों का बड़ा भारी जत्था पैदल चल रहा था। स्वागत मंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, पैदल हो, जुलूस का नियंत्रण कर रहे थे। अनुमान है, जुलूस में १० लाख मनुष्यों की भीड़ थी। जगह-जगह तोरण बनाकर एवं झंडियों से नगर सजाया गया था, और स्वागत हो रहा था। क्रांतिकारी वाक्यों के मोटो जगह-जगह टाँगे गए थे। पुलीस ने प्रबंध में मदद देनी चाही थी, परंतु कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि यदि हम प्रबंध न कर सकेंगे, तो जुलूस ही न निकालेंगे। नगर के तंग और घने रास्तों पर जुलूस को ३ मील का रास्ता तय करना पड़ा था। अनारकली-बाज़ार में पं० मोतीलाल नेहरू ने अपने योग्य पुत्र पर पुष्प-वर्षा की, और इसके उत्तर में राष्ट्रपति ने उन्हें अभिवादन किया। लाला लाजपतराय के मकान पर जुलूस समाप्त हुआ। वहाँ लालाजी की धर्मपत्नी के आतिथ्य-रूप उन्होंने चाय पी, और लाजपत-नगर को प्रस्थान किया।

मूल-मंत्र--मूल-मंत्र या मोटो, जो नगर और पंडाल में लगाए गए, कुछ इस प्रकार के थे—

"हिंदोस्तान के बेताज के बादशाह, हम तेरा स्वागत करते हैं।"

"बापू ! स्वागत, भूखा भारत तुम्हारी ओर टकटकी लगाए देख रहा है।"

"मैं जो चाहता था, वह कर न सका ; पर जो कुछ भी कर सका हूँ, उसका श्रेय महात्मा गांधी और जेनरल सेक्रेटरी को है। मैं सभापतित्व का चार्ज अपने पुत्र को देता हूँ। पर फ़ारसी में कहावत है कि जो काम बाप नहीं कर सकता, उसे बेटा कर दिखाता है। मुझे विश्वास है, जवाहरलाल मुझसे अच्छा काम करेंगे। यह समय मुझ-जैसे बुड्ढों के लिये नहीं है, प्रत्युत यह युग जवानों के लिये है।"

इसके बाद आपने कहा—"मैं जवाहरलाल नेहरू को सभापति का आसन ग्रहण करने की आज्ञा देता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी आज्ञा का सदैव विनय-पूर्वक पालन करूँगा।" (इस पर खूब हर्षध्वनि हुई।)

पं० जवाहरलाल नेहरू ने नम्रता-पूर्वक स्थान ग्रहण किया, और उनकी माता तथा सरोजिनी नायडू ने बधाइयाँ दीं। इसके बाद आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी विषय निर्वाचिनी बन गई।

विषय-निर्वाचिनी—विषय-निर्वाचिनी में वाइसराय के बम-दुर्घटना से बच जाने के उपलक्ष में बधाई देने का प्रस्ताव आया। इस पर एक घंटे तक बहस होती रही। विरोध-पक्ष खूब जोर से बोला, और लोग अधिक हर्षित हुए, पर अंत में ११७ पक्ष और ६६ विपक्ष मत से प्रस्ताव पास हो गया।

इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना मुख्य प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया, उसका सारांश यह है—

"मैं और पं० मोतीलाल बहुत प्रयत्न करने पर भी औप

ऋतु—शुरू में वर्षा और बर्फ़ गिरने से बड़ी दिक़्क़त रही। लाजपत-नगर में सब जगह कीचड़ थी। डेरे टपक रहे थे। सर्दी ख़ूब कड़ी थी, पर २६ तारीख़ को मौसम साफ़ हो गया।

आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की बैठक—२७ दिसंबर की शाम को लाजपत-नगर में आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की बैठक हुई। सभापति पं० मोतीलाल नेहरू थे। दर्शक ठसाठस भर रहे थे। प्रारंभ में जेनरल सेक्रेटरी पं० जवाहरलाल नेहरू ने गत वर्ष की रिपोर्ट पढ़ सुनाई। इसके बाद सुभाष बाबू ने बंगाल कांग्रेस-कमेटी का झगड़ा उठाया। इस पर जो विवाद हुआ, उससे नाराज़ होकर सुभाष बाबू तथा कुछ मदरासी सभ्य वहाँ से उठ गए। सुभाष बाबू ने कार्य-समिति से इस्तीफ़ा भी दे दिया। रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई। उसमें मदरास-सरकार द्वारा मद्य-निवारण के लिये ४ लाख रुपए की मंज़ूरी की जो बात कही गई थी, उसका विरोध मुथुरंग मुदालियर ने किया। इसके बाद मालवीयजी के नाम ४४,८४२) रु० की रक़म का जो पावना है, उस पर बहस हुई। निश्चय हुआ कि इसका निपटारा महात्माजी और मालवीयजी कर लेंगे। श्रीयदरुलहसन के नाम जो २,७००) रु० थे, उनके लिये क़ानूनी कार्यवाही करने का निश्चय प्रकट हुआ। इसके बाद रिपोर्ट स्वीकृत हुई।

इसके बाद पं० मोतीलालजी ने सभापतित्व का भार पं० जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सौंपते हुए हिंदी में भाषण दिया। आपने कहा—

जब तक मालवीयजी बोलते रहे, लोग उनका मज़ाक़ उड़ाते रहे। केलकर ने उनका समर्थन किया।

बंगाल के ज्वलंत युवक सुभाष बाबू ने बड़ी ज़ोरदार स्पीच दी। आपने कहा—

"इस प्रस्ताव में इस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, जिनसे पूर्ण स्वाधीनता का यह अर्थ स्पष्ट हो जाय कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य से कोई सरोकार ही नहीं है। कांग्रेस किसानों, मज़दूरों और युवकों का संगठन करे। व्यवस्थापिका सभाएँ, स्थानिक संस्थाएँ और अदालतें त्याग दी जायँ।"

इसी प्रकार के और भी बहुत-से संशोधन पेश हुए। ३१ तारीख़ को फिर मूल-प्रस्ताव पर बहस हुई। श्रीसत्यमूर्ति ने इस दिन कौंसिल-बहिष्कार के विरुद्ध वक्तव्य दिया। अंत में महात्मा गांधी ने सबको उत्तर देते हुए कहा—

"हमें वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव पर विश्वास रखना चाहिए। यह ठीक है कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं सुन सकते, पर हम स्वतंत्रता की बात सुनने को तो किसी के भी साथ बैठ सकते हैं। मालवीयजी आदि ने सर्वदल-सम्मेलन की बात उठाई है। यह सच है कि उससे हमारी एकता में बहुत सहायता मिलेगी। पर जब औपनिवेशिक स्वराज्य हमें मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी प्रतीक्षा कब तक? नर्मदलवाले हमसे नहीं मिल सकते, तो जाने दीजिए। हमें कलकत्ते के निर्णय के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करना चाहिए।"

निवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। समझौते के लिये वाइसराय ने प्रशमनीय चेष्टा की। वह हमसे प्रेम और नम्रता से मिले। हमें प्रतीत हुआ कि कांग्रेस का समझौते की सभा में सम्मिलित होना व्यर्थ है। मेरे प्रस्ताव का दूसरा भाग कांग्रेस के ध्येय में परिवर्तन से संबंध रखता है। हम कहते हैं कि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। उसे प्राप्त करने को हमें शांत और वैध उपायों से ही काम लेना होगा। प्रस्ताव में कौंसिलों आदि के बहिष्कार की बात आपको बहुत भारी दीखेगी। पर आपका काम भी तो भारी है। आप सम्राट् की सरकार के स्थान पर अपनी सरकार स्थापित करके राजभक्ति की शपथ तो ले ही नहीं सकते। आपको झोपड़ियों में जाना, अछूतों को गले लगाना तथा मुसलमानों को मिलाना होगा। × × × हमें अपनी सारी शक्ति क्रियात्मक काम में लगानी चाहिए। सत्याग्रह के लिये हम अभी तैयार नहीं। यह काम आल इंडिया-कांग्रेस कमेटी के हाथ में रहे। अब नेहरू-रिपोर्ट रद समझी जाय। उसके कारण जो सिक्ख और मुसलमान कांग्रेस से पृथक् थे, वे अब एक होने चाहिए।"

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीनिवास ऐयंगर ने किया।

२८ तारीख को समिति में 'पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय' पर जबर्दस्त बहस हुई। पंडित मदनमोहन मालवीय ने कहा—

"कांग्रेस को गोल-सभा में भाग लेना चाहिए। दिल्ली में, फ़रवरी में, सर्वदल सम्मेलन किया जाय।"

टियरों का एक जत्था था, पीछे दो-दो लीडर इस क्रम से थे—प० मोतीलाल नेहरू और मौ० अब्दुलकलाम आज़ाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू और मौ० मुहम्मदअली, श्रीनिवास ऐयंगर और मदनमोहन मालवीय, डॉ० अंसारी और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और ज० एम० सेनगुप्त। सबका स्वागत होने पर कन्याओं ने "वन्देमातरम्" गाया। इसके बाद और कुछ गायन होने पर स्वागताध्यक्ष डॉ० किचलू का भाषण हुआ।

स्वागताध्यक्ष का भाषण—आपका भाषण अँगरेजी में छपा हुआ था। आपके उसे पढ़ते ही चारों ओर से हिंदी-हिंदी की पुकार उठने लगी। आपने खेद प्रकाश करते हुए कहा,—हिंदी में भाषण तैयार नहीं। मैं पीछे से हिंदी में सुना दूँगा। पंडाल में १८ लाउड स्पीकर लगे थे। अतः सब लोग आसानी से भाषण सुन सके। एक घंटे में यह भाषण समाप्त हुआ। अँधेरा होते ही सहस्रों बिजली के रंग-बिरंगे लैंप जल उठे। आपके भाषण का सारांश यह है—

"भाइयो! मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग राष्ट्रीय युद्ध के, स्वतंत्रता के युद्ध के बड़े ही महत्त्व-पूर्ण स्थान पर पहुँच गए हैं। इस समय हम लोगों को चाहिए कि अपनी अवस्था को अच्छी तरह समझें, और जो-जो शक्तियाँ हमारे पक्ष में और विपक्ष में हों, उन्हें परख लें। अभी विदेशी शासन जारी है, और उससे जनता इस तरह चूसी जा रही है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न की अवहेलना करना संभव ही नहीं। जो

अंत में महात्माजी का मूल-प्रस्ताव ही स्वीकार कर लिया गया।

ध्वजारोपण—२६ तारीख़ को प्रातःकाल १० बजे सुनहरी धूप में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय पताका अपने हाथों में फहराई। पताका की ऊँचाई दो सौ फ़ीट थी। उस पर बिजली के लैंप जड़े हुए थे। जिससे रात के समय ख़ूब जगमगाहट रहती थी। पौने दस बजे तक १ लाख से अधिक आदमी इकट्ठे हो गए। कुछ लोग पेड़ों पर भी चढ़ गए थे।

१० बजे सबसे प्रथम श्रीनिवास ऐयंगर, पं० मोतीलाल नेहरू, डॉ० अंसारी आदि पहुँच गए थे। इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू पहुँचे। महिलाओं ने "वंदेमातरम्" का गीत गाया। फ़ोटोग्राफ़रों ने फ़ोटो लिए। स्वयंसेवकों के जेनरल कमांडर ने फ़ौजी सलाम किया। इसके बाद पताका-संगीत हुआ। इस अवसर पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो छोटा-सा भाषण दिया, वह इस प्रकार था—

"आज जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो, वह किसी धर्म और संप्रदाय का नहीं, सारे देश का है। इसके नीचे खड़े हुए हम लोग हिंदू या मुसलमान नहीं, भारतीय हैं। याद रक्खो, जब तक भारतीयों में एक भी बच्चा जीवित है, यह पताका अपमानित या पद-दलित न होनी चाहिए।"

खुला अधिवेशन—ठीक ५ बजे प्रारंभ हुआ। हाज़िरी १४ हज़ार से अधिक थी। ५ बजे वालंटियरों ने बिगुल बजाकर सभापति के आगमन की सूचना दी। सबसे आगे वालं-

अमृतसर-कांग्रेस में बता दिया कि अब हम शांति से अँगरेजों के नीचे नहीं बैठे रहेंगे।

"महात्मा गांधी ने असहयोग-युद्ध छेड़ा, परंतु देश की कमजोरी ने उसे विफल किया। शक्ति बिखर गई। अंत में हिंदू-मुसलिम वैमनस्य ने सब कुछ नष्ट कर दिया। सरकार की मनचेती हुई। आपस में फूट डालकर शासन करने की उसकी पुरानी नीति है।

"अब एक जबर्दस्त प्रोग्राम सामने रखने की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने में हम आपसी द्वेष भूल जायँ। जनता भूखी है, वह आँसू बहा रही है। पर किसान और मजदूर ही भारत के भावी मालिक हैं। साम्प्रदायिकता को नष्ट कर दो। कोई संप्रदाय खतरे में नहीं है।

"महात्माजी हमारे नेता बनें और युवक उनका अनुसरण करें, यही मेरी प्रार्थना है।

"पं० जवाहरलालजी और मैं केंब्रिज-युनिवर्सिटी के सहपाठी हैं। मैं इनका आज हृदय से स्वागत करता हूँ।"

इसके बाद आपने हार पहनाकर जवाहरलालजी से सभापति का आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की, और उन्होंने प्रचंड तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना भाषण हिंदी-भाषा में देना शुरू किया। यह भाषण एक घंटे से अधिक तक होता रहा। उसका सारांश इस प्रकार है—

"हम अपने उन भाइयों और बहनों को नहीं भूल सकते, जिन्होंने

ब्रिटिश शक्ति हम पर आज शासन कर रही है, वह यहाँ व्यापार के लिये आई थी। उस समय यह देश बहुत उच्च था। यहाँ का वस्त्र और जवाहरात तथा शिल्प विख्यात था। परंतु आज हमारा वह वैभव रेल और जहाजों में भरकर लूट लिया गया है। महायुद्ध के बाद तो हम विदेशी व्यापार के गुलाम बन गए हैं।

"लॉर्ड सेलसबरी ने कहा था—हम भारत का खून पीना है, और इस समय हमें अपना बर्छा उस स्थान पर मारना चाहिए, जहाँ ज्यादा खून जमा हो। परंतु हमें ग्रामीणों से कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वे तो रक्त के अभाव से आप ही मर रहे हैं।

"भारत के ग्रामों की दशा का यह सच्चा रूप है। इसे हम तब तक नहीं सुधार सकते, जब तक कि देश की अर्थ-समस्या हमारे हाथ में न हो।

"युद्ध के बाद धूर्त ब्रिटेन के आश्वासन और लॉयड जॉर्ज से हमें बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। मांटेग्यु-चेम्सफ़ोर्ड-स्कीम भी सिर्फ़ लिफ़ाफ़े-बाज़ी थी। इससे देश में चैतन्यता आई थी, जिसे रौलट-बिल से, घोर विरोध होने पर भी, दबाया गया, जिसके सम्मुख महात्मा गांधी ने सत्याग्रह युद्ध की घोषणा की थी, और हिंदू-मुसलमान एक होकर उनके झंडे के नीचे आ खड़े हुए थे। उस समय नौकरशाही काँप उठी थी।

"इस उत्थान को कुचलने के लिये डायर और ओडायर ने निरीह जनता पर गोली चलाई। माताओं को बेपर्द किया गया। जलियानवाला बाग़ में हमारी कड़ी परीक्षा हुई। अंत में हमने

और औपन का भाव बढ़ता है, परंतु विश्वास और उदारता से ही भय दूर हो सकते हैं।

"वह समय आ गया है, जब हमें स्वराज्य-योजना को एक ओर रखकर स्वतंत्र भाव से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर देनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय और श्रमजीवी नेताओं का बुरी तरह दमन किया जा रहा है, और जबर्दस्ती हमारे साथी क़ैद कर लिए गए हैं। बहुतों को स्वदेश नहीं लौटने दिया जाता। सरकारी सेना अपने फ़ौलादी पंजे में देश को जकड़े हुए है, और हममें से जो सिर उठाता है, उसी पर चाबुक पड़ता है।

"वाइसराय ने समझौता-सभा की घोषणा की है, जिसमें भारतीय नेता निमंत्रित किए जायँगे। पर हमें ब्रिटिश-राजनीति की दुरंगी चाल का पूरा अनुभव हो गया है।

"इस घोषणा के बाद ही दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकत्र होकर यह स्पष्ट कर दिया था कि किन शर्तों पर वह घोषणा स्वीकार की जा सकती है। पार्लमेंट की व्याख्या से उक्त घोषणा का महत्त्व प्रकट हो गया है। अभी जो बहस पार्लियामेंट की साधारण सभा में, भारत के बारे में, छिड़ी है, और भारत-मंत्री ने अपनी सरकार की नीयत साफ़ होने की बात कही है, वह हो सकती है; पर उससे हमें कुछ आशा नहीं। भारत को हानि पहुँचाकर इँगलैंड तो लाभ उठा ही रहा है।

"पिछले दस सालों में सरकार ने भारत की भलाई के लिये

परिणाम की परवा न करके विदेशियों की हुकूमत के विरोध में या तो अपना जीवन दे डाला है, और या जिनकी जोश-भरी जवानी जुल्म सहते बीती है। वे वीर भले ही आज न हों, पर उनका साहस तो आज भी बना है। जतीन और विजय-जैसे पुत्र आज भी भारत पैदा कर सकता है। अब योरप के प्रभुत्व के दिन गए। ये अमेरिका और एशिया के उत्थान के दिन हैं। विश्व क्रांति की लहर से भारत अछूता नहीं बच सकता।

"भारतीय समाज भिन्न भिन्न संस्कृतियों का उच्छेद नहीं, बल्कि समानता देता रहा है। मुसलमानों के आने से इस व्यवस्था में गड़बड़ हुई थी। पर बहुत-सी व्यवस्था ठीक हो गई थी। तभी अँगरेज़ों ने अवसर पाकर अपना मतलब गाँठ लिया।

"दुःख है कि आज भारत में धर्म-सहिष्णुता नहीं। योरप ने धर्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर राजनीतिक और उसके बाद आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त की, और वह अब समाज-स्वाधीनता पर विचार कर रहा है।

"भारत को भी इसके लिये कोई उपाय ढूँढ निकालना पड़ेगा। वरना देश का ढाँचा ठीक न बनेगा। पर इसके लिये हमें अपनी प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप ही चेष्टा करनी पड़ेगी।

"भय, अविश्वास और संदेह हममें जो बने हैं, वे वैमनस्य का बीज हैं। हम मतभेद दूर करना नहीं चाहते, परस्पर के भय और संदेह को दूर करना चाहते हैं। खेद है, इस संबंध में सर्वदल-कमेटी को सफलता नहीं मिली। समाज में अनुपात

इस भाषण के बाद आपने 'विसव दीर्घजीवी हो' का नारा लगाया, और हजारों कंठों से वह तीन बार घोषित किया गया।

अनंतर विषय-निर्वाचिनी के निर्णयानुसार यतीन और विजय पूँगी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया, और इस दिन की कार्यवाही समाप्त हुई।

३१वीं दिसंबर का दिन के एक बजे से कांग्रेस की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई। देश-विदेशों के कितने ही व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से जो सहानुभूति सूचक तार आए थे, राष्ट्रपति के आदेशानुसार, उनमें से कुछ थोड़े-से डॉक्टर अंसारी द्वारा पढ़कर सुनाए गए।

महात्मा गांधी ने पहले दिल्ली की बम-दुर्घटना के संबंध में खेद-प्रकाश करने का प्रस्ताव पेश किया, जो ८६७ अनुकूल और ८१५ प्रतिकूल वोटों से पास हुआ।

इसके बाद महात्माजी ने अपना यह मूल-प्रस्ताव रक्खा—"विगत ३१वीं अक्टोबर को वाइसराय ने औपनिवेशिक स्वराज्य के संबंध में जो घोषणा की थी, और जिसके जवाब में नेताओं ने मिलकर एक नोटिस निकाला था, उसके संबंध में वर्किंग कमेटी ने जो कुछ किया था, उसका यह कांग्रेस अनुमोदन करती है। स्वराज्य-आंदोलन के विषय में बड़े लाट ने जो चेष्टा की, वह भी कांग्रेस की दृष्टि में प्रशंसनीय है। इसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ है, और बड़े लाट से नेताओं

क्या-क्या किया है, इसका विवरण भारत-मंत्री ने बताया है। उसका सार यह है कि कुछ भारतीयों को बड़े-बड़े पद देना और शेष को दमन-चक्र में पीस डालना।

"संकीर्ण राष्ट्रीयता से संसार ऊब गया है, और वह अब राष्ट्रों के व्यापक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता की तलाश में है। हम भी इसी उच्च आदर्श को सामने रखकर स्वाधीनता की घोषणा करने जा रहे हैं। पर इस कार्य में जन-साधारण का शरीक होना बहुत जरूरी है। साथ ही उनका शांति पूर्ण होना भी जरूरी है। सुघटित विद्रोह की बात दूसरी है।

"असहयोग-आंदोलन में विविध बहिष्कार की चर्चा थी। सेना में नौकरी न करने और टैक्स देने से इनकार करने की भी बात थी। कौंसिल-बहिष्कार के संबंध में मैं अधिक कुछ न कहूँगा। पर इन नकली कौंसिलों ने हममें कैसी नीति-भ्रष्टता ला दी है, और हममें से कितने उच्च पुरुषों को ये जाल में फँसाए हुए हैं, यह प्रकट है। कौंसिल छोड़ने से हमें आपकी पूर्ण शक्ति को काम में लगाने का अवसर मिलेगा, जिसका स्वरूप टैक्स न देना और हड़ताल करना होगा। इसके सिवा विदेशी-बहिष्कार हम खास तौर पर शुरू करेंगे। हमारा कार्य-क्रम राजनीतिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से होना चाहिए। हम ब्रिटिश-सरकार से कोई संबंध न रक्खेंगे। हम उस क़र्ज़ के चुकाने के जिम्मेवार भी नहीं, जो इँगलैंड ने भारत के नाम पर ले रक्खा है।

"मैं अंत में सबसे खुला षड्यंत्र करने की अपील करता हूँ।"

श्रीयुत सुभाषचंद्र वसु आदि ने आपके प्रस्ताव मे सशोधन करने के लिये अलग अलग प्रस्ताव पेश किए ।

वोट लेने पर एक-एक कर सभी संशोधक प्रस्ताव रद्द हो गए, महात्मा गांधी का मूल-प्रस्ताव पास हो गया ।

१ली जनवरी, १६३० का दिन के दो बजे से पुन कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ । इस दिन जो जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से मुख्य-मुख्य दिए जाते हैं—

(१) पूर्वी आफ्रिका के प्रवासी भारतवासियों के विषय मे सभापति महोदय की ओर से जो प्रस्ताव किया गया, वह सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया ।

(२) श्रीयुत सकलतवाला कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये भारत आने को तैयार थे, पर उन्हें पास-पोर्ट नहीं दिया गया । सरकार की इस कारवाई का विरोध करने के लिये सभापति की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया गया, वह भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया ।

(३) कांग्रेस का अधिवेशन हर साल जाड़े के मध्य में ही हुआ करता है । शीत प्रधान प्रांत में कांग्रेस होने से स्वागतकारिणी समिति और प्रतिनिधिगण को गर्म कपड़े खरीदने के लिये प्राय बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है । इसके अलावा बहुत जाड़ा होने के कारण इस साल प्राय १,७०० आदमी बीमार पड़े । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि जब जिस प्रांत में कांग्रेस का अधिवेशन होने

के मिलने का जो परिणाम देखने में आया है, उन सब बातों पर विचार कर कांग्रेस यह राय जाहिर करती है कि गोल सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के जाने से कोई भी लाभ न होगा। अतएव कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के निर्णय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना ही कांग्रेस का ध्येय या लक्ष्य है, और साथ ही यह भी घोषणा करती है कि नेहरू-रिपोर्ट भी बेकार हो गई। अब से प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण स्वाधीनता पाने के लिये ही उद्योग करेगा, और पूर्ण स्वाधीनता के लिये ही प्रचार-कार्य करेगा। कांग्रेस की इस नीति की रक्षा के लिये यह कांग्रेस भारतीय और विभिन्न प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओं, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों, लोकल बोर्डों, यूनियन बोर्डों इत्यादि को पूर्ण रूप से त्याग देने का निश्चय घोषित करती है। इसी बात का ध्यान में रखते हुए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संबंध रखनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं से भविष्य में चुनावों से किसी प्रकार का सम्पर्क न रखने के लिये कह रही है, और अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यवस्थापिका सभाओं, जिला बोर्डों और लोकल बोर्डों में काम कर रहे हैं, उनसे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि वे उन्हें एक दम छोड़ दें।

महात्माजी के इस प्रस्ताव का पंडित मोतीलालजी नेहरू ने समर्थन किया ; पर बाद को पंडित मदनमोहन मालवीय

आगामी वर्ष के लिये डॉक्टर महमूद और श्रीयुत श्रीप्रकाशजी जेनरल सेक्रेटरी तथा श्रीजमनालालजी बजाज और श्रीशिव-प्रसादजी गुप्त कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए।

अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होना निश्चित हुआ। स्वागत-समिति के सदस्यों को धन्यवाद देने के लिये श्रीमती सरोजिनी नायडू खड़ी हुईं। आपने धन्यवाद देने के बाद कहा—"कोई भी काम क्यों न हो, उसमें नेताओं की वश-वर्तिता परम आवश्यक है। यदि हम अपने नेता के आदेशानुकूल नहीं चल सकते, यदि हम इसमें पक्के नहीं उतर सके, तो हमारी सब बातें, सब चेष्टाएँ व्यर्थ हो जायँगी।"

फिर स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू ने स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया, और उपस्थित प्रतिनिधियों से अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिये क्षमा माँगी।

अंत में सभापति के अंतिम भाषण के बाद सभा विस-र्जित हुई।

कांग्रेस के अवसर पर बाहर से कुछ संदेश आए थे, जो अनेक भारतीय और विदेशीय गण्य-मान्य संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा भेजे गए थे। चूँकि इनकी संख्या अधिक थी, अत डॉक्टर अंसारी ने कुछ संदेशों का थोड़ा-थोड़ा भाग सुनाया, जो इस प्रकार था—

पहला संदेश साम्राज्य-विरोधी संघ के अँगरेजी-विभाग की ओर से था—

वाला हो, उस प्रांत की कांग्रेस कमेटी, यदि उचित और आवश्यक समझे, तो कांग्रेस का अधिवेशन फरवरी या मार्च के महीने में करा सकती है। इस प्रस्ताव पर बहुत देर तक वाद-विवाद होता रहा। अंत में वोट लेने पर ७२४-४२६ वोटों से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

(४) यह कांग्रेस समझती है कि विदेशी शासन होने के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भाव से भारत पर जिन ऋणों का भार लादा जा रहा है, उन ऋणों के लिये स्वाधीन भारत उत्तरदायी न होगा। सन १९२२ ई० की कांग्रेस में इस प्रकार का जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस बार की कांग्रेस उसका अनुमोदन करती है, और जिन्हें यह बात जानने की आवश्यकता हो, उनके लिये घोषित करती है कि स्वाधीन भारत उत्तराधिकारी की हैसियत से जिन सुविधाओं एवं उत्तर दायित्वों को प्राप्त करेगा, उन पर विचार करने के लिये एक निरपेक्ष मंडली पर भार दिया जायगा, और वह जिन बातों को मानने योग्य न समझेगी, भारत उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं रहेगा।

यह प्रस्ताव भी सभापति महोदय द्वारा उपस्थित किया गया था, और बिना किसी वाद-विवाद के सब-सम्मति से स्वीकृत हो गया।

(५) देशी रजवाड़ों के अधिवासी प्रजाजनों ने पूर्ण स्वाधीनता के लिये अपने को तैयार बताया है। उनके अभाव-अभियोगों के लिये भी एक प्रस्ताव रक्खा गया, जो स्वीकृत हो गया।

जब डॉ॰ अंसारी ने उक्त दाता महापुरुषों का नाम लिया, तो समस्त पंडाल देर तक तालियों की आवाज़ से गूँजता रहा।

कांग्रेस के निर्णय के स्पष्ट होने पर इँगलैंड के कुछ पत्रों ने इस प्रकार सम्मतियाँ दीं—

'मैंचेस्टर गार्जियन'—'हम उन चेष्टाओं पर खेद प्रकट करते हैं, जो भारतीय शासन को असम्भव बनाने के लिये की गई हैं। इसलिये यह निश्चित है कि ऐसी चेष्टाओं के सफल होने के पहले दबाने की आवश्यकता पड़े।"

'डेली एक्सप्रेस' ने भारतीय अधिकारियों को कड़ाई की नीति अख्तियार करने की राय दी, क्योंकि कड़ाई ही भारत को इस नाज़ुक मौक़े से बचा सकती है, जो संभव है, भारत को उन्नति के पथ पर तीन वर्ष पीछे हटा दे।

'डेली न्यूज़' ने लिखा था—"हम भारत के लिये क्रमशः औपनिवेशिक स्वराज्य की कल्पना कर सकते हैं; परंतु पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य तो गैरअमली ही नहीं, कल्पनातीत है।"

'मॉर्निंग-पोस्ट' ने कहा था कि जिस शक्ति ने पिछली २३ दिसंबर को वायसराय की स्पेशल के नीचे बम फेंका है, वही कांग्रेस के इस प्रस्ताव की पीठ पर थी। सरकार ने कांग्रेस का यह विद्रोही अधिवेशन होने की आज्ञा कैसे दी? पंजाब-सरकार ने कांग्रेस के लिये ज़मीन दी, और उसकी रक्षा के लिये एक लाख रुपया खर्च किया। पंजाब-सरकार ने यहाँ तक ही कांग्रेस को आत्म-समर्पण नहीं किया, वरन् सच पूछो, तो

"यह (संघ) भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की राष्ट्रीय लगन के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, और बताता है कि संघ कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन को अत्यंत उत्सुकता के साथ देख रहा है।"

संघ के डच-विभाग ने भी कांग्रेस-सहानुभूति का संदेश भेजा था, और कहा था कि "भारतीयों का पूर्ण स्वतंत्रता के लिये खूब कोशिश करनी चाहिए, और साम्राज्य से छुटकारा पाना चाहिए।"

ईरान की सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से अनुरोध किया था कि वह अपनी स्वतंत्रता का निर्माण मार्शलिस्ट आधार पर करे।

इनके सिवा ह्यूमन-अधिकाररक्षिणी सभा, पेरिस, अंतरजातीय राजनीतिक बंदी समिति, काबुल-जापान-कामस-कमेटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जर्मनबर्ग, अमेरिका-कांग्रेस कमेटी, न्यूयार्क की भारतीय राष्ट्र-समिति, केपटाउन के साउथ आफ्रिकन भारतीय संघ, सीलोन की युवक-परिषद्, ब्रिटिश मज़दूर-नेताओं, साउथ आफ्रिकन भारतीय समिति, अमेरिका की भारतीय समिति और ईस्ट आफ्रिकन भारतीय कांग्रेस के सहानुभूति के संदेश आए थे।

श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, जेनेवा से एक संदेश भेजा था, और कांग्रेस से अनुरोध किया था कि वह मदरास और कलकत्ता के प्रस्तावों को द्व्यर्थकता से निकालकर तर्क-पूर्ण परिणामों में परिणत करे।

शैलेंद्र घोष (न्यूयार्क) और राजा महेंद्रप्रताप के संदेश भी आए थे।

चुकी है कि महात्मा गांधी देश को अनारकी की तरफ ले जाने से रोके जायँगे।"

सामाहिक 'स्पेक्टेटर' ने लिखा था कि "केवल एक काम, जो कांग्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता की नीति का सम्भाव्य बना सकता है, एक स्वतन्त्र या कई स्वतन्त्र देशों पर शासन करने की एक भारतीय स्कीम का अस्तित्व होगा, परन्तु ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है।" इस पत्र ने आगे ब्रिटिश-सरकार को सख्ती, मजबूती और निर्भयता की नीति अख्तियार करने की राय दी थी।

साप्ताहिक 'न्यू स्टेट्समैन' ने सरकार को असहयोगियों का बॉयकॉट करने की सम्मति दी थी, और लिखा था—"हम भारत को प्रजा-तंत्र अथवा स्वराज्य नहीं दे सकते। हमें जबर्दस्ती उसे उस रास्ते पर ले चलना चाहिए, जिस पर हम चाहें, और केवल उन भारतीयों की सुननी चाहिए, जो हमसे सहयोग करने को राजी हों, शेष की कोई परवा न करनी चाहिए। एक सप्रू से अगर हम राय लें, तो वह हमारी मदद करेगा, परन्तु एक नेहरू अपनी वाहियात माँगों की तरफ हमारे बढ़ने का सिर्फ फायदा ही उठावेगा।"

साप्ताहिक 'सैटर्डे रिव्यू' ने ब्रिटेन को आगे बढ़ने की सम्मति दी थी, और भारतीय सहयोग का स्वागत और सहयोग से इनकारों की उपेक्षा करने को कहा था।

'नेशन' ने यह विचार प्रकट किए थे कि "चूँकि लॉर्ड इर्विन की नीति नरम और 'मिले रहने' की है, तो कोई कारण नहीं

उसने लठबंद बदमाशों को, जिन्होंने प्रजा पर लाठियाँ चलाईं, अपना रक्षक बनाने की आज्ञा कांग्रेस को देकर अपने अधिकार का त्याग किया।"

'संडे टाइम्स' ने लिखा कि "हरएक आदमी इस बात को मानेगा कि स्वराजिस्ट लोग शक्तिशाली हो गए हैं, और सरकार से अनुरोध करेगा कि वह गरम दलवालों के साथ बिना रोक-टोक और बिना अधिक सोचे-विचारे सख्ती का व्यवहार करे।"

'डेली मेल' ने लार्ड इर्विन और मि० बाल्डविन को लताड़ते हुए उन्हें मुट्ठी-भर गरम दलवालों से दब जाने का दोष दिया था, और बम-दुर्घटना के निंदात्मक प्रस्ताव-संबंधी विरोध की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा था कि कांग्रेसवालों का एक बड़ा भाग ऐसी बम-दुर्घटनाओं के पक्ष में है।

'डेली टेलीग्राफ़' ने सर फ़िरोज़ सेठना के भाषण पर टिप्पणी करते हुए लिखा था—"माडरेट भी अभी स्वप्न संसार में विचर रहे हैं।"

'डेली टेलीग्राफ़' के विशेष संवाददाता ने एक तार में लिखा था कि पंडित जवाहरलाल के भाषण में अनेक राजद्रोहात्मक वाक्य हैं, परंतु अधिकारीवर्ग उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को प्रस्तुत नहीं दिखाई देता, क्योंकि कांग्रेस-भूमि अत्यंत पवित्र और आदरणीय मानी जा रही है।

'मॉर्निंग-पोस्ट' के नई दिल्ली के संवाददाता ने तार दिलाया कि "जाँच करने पर मालूम हुआ है, भारत सरकार निश्चय कर

पाँचवाँ अध्याय

अध्यक्ष पटेल के दो महत्त्व-पूर्ण पत्र

ये पत्र व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष श्रीपटेल ने अपने पद-त्याग करने के समय लिखे थे—

प्रथम पत्र

-८ एप्रिल, २९

प्रिय लॉर्ड इर्विन,

मैंने सन् १९२५ के अगस्त मास से लेकर अब तक सभापति के लिये उचित पक्षपात शून्य तथा स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया है। मुझे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के अपराध पर नौकर-शाही के क्रोध का पात्र भी बनना पड़ा। मैंने सरकार को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि न तो मैं शासन चक्र का एक अंग हूँ, और न मैं किसी भी विषय में आपकी अधीनता स्वीकार कर सकता हूँ, चाहे वह विषय आपकी सम्मति में कितना ही महत्त्व क्यों न रखता हो।

गत तीन वर्षों से सरकार मुझे भयभीत और तंग करने पर तुली हुई है, यहाँ तक कि मेरे सामाजिक बहिष्कार का प्रयत्न भी किया गया। सभापति की निष्पक्षपातिता पर उसी दल से सब प्रकार के अनुचित आक्षेप, अनुचित भाषा में, प्रेस तथा अन्य साधनों से किए। मेरी प्रत्येक चेष्टा पर कड़ी नज़र रक्खी

कि उसका राज्य-संबंधी प्रबंध भी शिथिल और कायरता-पूर्ण होगा। उसे पूर्ण विश्वास मिलना चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में उसे इंगलैंड से पूरा सहयोग मिलेगा, चाहे वह यथार्थ अशांति को दबाने अथवा पहले से ही वैसा मौका न आने देने की कोशिश करे।"

इस प्रकार महात्माजी की स्वाधीनता की घोषणा बड़ी तेज़ी से समुद्रों को चीरती और पर्वतों को लाँघती हुई संसार के दरवाज़ों पर पहुँच गई, और सारा संसार भारत की जवानी और बुढ़ापे के एक ही चरण के इस निश्चय को क्रियात्मक रूप में देखने को उत्सुक हो गया। संसार पर—ख़ासकर ब्रिटेन पर—इस घटना का कितना बड़ा प्रभाव हुआ, इसका परिचय एक ब्रिटिश-पत्र के यह कहने से मिलता है कि "आज भारत से हमारी सत्ता उठ गई।"

स्ट्रे इस ओहदिम बन गया है। ऐसे समय में, जब कि मेरे देश-भाई जीवन मरण की समस्या सुलझाने में लगे हैं, जब कि संसार के सबसे बड़े व्यक्ति ने सत्याग्रह-संग्राम का डंका बजा दिया है, जब कि सैकड़ों नवयुवक अपनी जान हथेली पर रखकर स्वतंत्रता-संग्राम जीतने के लिये निकल पड़े हैं, और हजारों देश-भक्त सरकार की जेलों के मेहमान बन चुके हैं, मेरे सभापतित्व पर आरूढ़ रहने के स्थान पर देशवासियों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाना अधिक उचित है। सरकार ने भारत की माँगों का औचित्य स्वीकार करने के स्थान में दमन पर कमर कसी है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि पूर्ण स्वाधीनता के संग्राम में शामिल हो जाना मेरे लिए अनिवार्य है। यदि अपने गिरे स्वास्थ्य के कारण मैं अधिक कार्य न भी कर सका, तो मेरा त्याग-पत्र सत्याग्रह-संग्राम को कुछ-न-कुछ प्रोत्साहन अवश्य देगा। यद्यपि मेरा सरकारी रूप में संबंध तो आज से आपके साथ टूटता है, परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय में आपके लिए प्रतिष्ठा के भाव रखता हूँ, और आशा करता हूँ कि कभी ग़ैर-सरकारी तौर पर आपस में मिलने पर हम अपने सरकारी काम की आलोचना जी खोलकर कर सकेंगे।

दूसरा पत्र

३० एप्रिल, ३०

प्रिय लार्ड इर्विन,

अपने पद से त्याग-पत्र देने के कारण मैं २ एप्रिल की सूचना-

गई। केवल इसलिये कि मैं इस्तीफा दे दूँ, और भारत के शत्रुओं को यह कहने का अवसर मिले कि कोई भारतीय उत्तर-दायित्व-पूर्ण स्थान पर बैठाने के योग्य नहीं। सरकारी अफसर चुपचाप सब सह रहे थे, क्योंकि सिवा वोट ऑफ् सेंसर के और कोई तरीका मुझसे पिंड छुड़ाने का न था, और इस तरीक़े से उनकी जीत अनिश्चित थी। कमजोर मनवाला आदमी कभी का इस्तीफा दे चुका या उनकी अधीनता स्वीकार कर चुका होता। परंतु मैंने इतनी दृढ़ता से अपने अधिकारों और कर्तव्य को निभाया, जिसके लिये मैं साहस-पूर्वक कह सकता हूँ, संसार की किसी भी एसेंबली को गर्व होना चाहिए। इन सब कठि-नाइयों और विरोध के होते हुए भी सभापति का अधिकार और मान किसी हद तक बढ़ ही गए।

मुझे किसी व्यक्ति-विशेष से द्वेष नहीं, परंतु मैं उस शासन-नीति का अंत चाहता हूँ, जिसमें इस प्रकार की कुत्सित चेष्टाएँ आसानी से की जा सकती हैं। इससे शासक और शासित दोनो का भला होगा। मैं अब भी सभापति की कुर्सी को न छोड़ता, यदि मैं अपने देश की सेवा कर सकता। परंतु वर्तमान स्थिति में एसेंबली के सभापति-पद से ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जब से पंडित मालवीय आदि ने इस्तीफ़े पेश कर दिए, तब से एसेंबली से प्रतिनिधि-सत्ता जाती रही। मैं समझता हूँ कि ऐसी अवस्था में एसेंबली का सभापति चोट्स की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद एसेंबली केवल नियमों का रजि-

इसके बाद मैं इँगलैंड गया, और वहाँ भी किंगजॉर्ज, लॉर्ड बर्कनहैड तथा अन्य जिम्मेदार आदमियों को भी मैंने यही जताने का प्रयत्न किया कि भावी सुधारों में भारतवासी शीघ्र ही उत्तरदायित्व पूर्ण शासन से कम किसी भी शासन को स्वीकार न करेंगे। और, इसमें विलंब करना दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध के लिये हानिकारक होगा। मेरे सामने ऐसा करने में कठिनाइयाँ रक्खी गई। मैंने कहा, जहाँ इच्छा है, वहाँ उपाय भी हो सकता है। मैंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस की बात न मानी गई, तो १६२० से ज्यादा जोरदार आन्दोलन का सामना सन् ३० में अँगरेज सरकार को करना होगा।

मेरे भारत में लौट आने पर दुर्भाग्य से हमें यह सुनना पड़ा कि एक गोरा-कमीशन साइमन-कमीशन के नाम से बैठाया गया है। देशवासियों ने उसका पूर्ण बॉयकॉट किया। मैंने भी उस समय त्याग पत्र देकर देशवासियों के साथ कंधा भिड़ाना अपना फर्ज समझा, पर आपके एक मित्र के तौर पर त्याग-पत्र न देने की सलाह देने से मैंने विचार छोड़ दिया। बॉयकॉट-आंदोलन की सफलता देखकर आपकी आँखें खुलीं, और आपको कांग्रेस के प्रभाव का पता चला। आप इसीलिये इँगलैंड गए।

मेरे अपने राजनीतिक विचार सबको मालूम हैं। भारतवासी लोग सामान्यतया अँगरेजों पर विश्वास नहीं करते, तथापि जब आप इँगलैंड को रवाना होने लगे, तो आपसे बातचीत

ज्ञात में आपको बता चुका हूँ। मैं यह पत्र आपको अधिकारी के रूप में नहीं लिख रहा, बल्कि अपने सच्चे मित्र के तौर पर लिख रहा हूँ।

भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने पर तुला हुआ है। एक अँगरेज इस बात को समझ भी नहीं सकता कि किस प्रकार स्वतंत्रता के भूखे भारतवासी जेलखानों को तीर्थ-स्थान समझ रहे हैं।

आपके वायसराय बनकर आने के पहले दिन से मैं आपको भारत की असली अवस्था समझाने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि किस प्रकार १९२० में असहयोग-आंदोलन प्रारंभ हुआ, और किस प्रकार यह अपने उद्देश्य को लगभग पूरा करने से पहले ही समाप्त हो गया। मैंने आपको कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का देशवासियों पर जो बड़ा प्रभाव है, वह बताकर यह चाहा कि महात्माजी से मिलकर आप भारतीय समस्याओं का उचित प्रतिकार करें। आप उस समय अजनबी थे। बाद में आप अपने अँगरेज सलाहकारों तथा देश के विभिन्न राजनीतिक विचारवाले पुरुषों से मिलते रहे, पर कांग्रेस का कोई आदमी आपसे नहीं मिला। इससे शायद आप कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के बारे में यह ख़याल करने लगे कि इनका लोगों पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं। आप पर इस प्रकार गलत प्रभाव डाले गए। मैंने आपको पूरी तरह यह समझाया कि महात्माजी शीघ्रता से देश-व्यापी सत्याग्रह-आंदोलन शुरू करेंगे, और उस समय दमन-चक्र चलाना आपके लिये ठीक न होगा।

घोषणा करने से पहले ही मैं आपसे मिला। मैंने उसी समय आपसे कह दिया था कि इस घोषणा से कांग्रेसवाले दुविधा में पड़ जायँगे, क्योंकि इसे स्वीकार करके वे अपने कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्ताव तथा समय-समय पर की हुई घोषणाओं के खिलाफ चलेंगे। और, यदि वे इसे अस्वीकार करेंगे, तो अन्य राजनीतिक पार्टियाँ साथ छोड़ देंगी।

मैं स्वयं निजू तौर पर गोल सभा के हक में था। इसलिये नहीं कि मुझे इससे कोई बड़ी उम्मीदें थीं, बल्कि इसलिये कि यदि यह सफल न हुई, तो कांग्रेस का और भी व्यापक आंदोलन करने का मौका मिल सकेगा। साथ ही मुझे आपकी सचाई पर भी विश्वास था।

पर मैंने यह बात आप तक प्रकट करने में कोई कसर उठा नहीं रक्खी कि यदि इस गोल-सभा में कांग्रेस-पार्टी न गई, तो वह किसी मतलब की न होगी। इसलिये लाहौर-कांग्रेस से पहले ही मैंने आप पर ज़ोर देकर महात्माजी तथा प० नेहरूजी से मुलाक़ात कराई।

मुलाक़ात हुई, पर व्यर्थ गई। क्योंकि महात्माजी की शर्तें स्वीकार नहीं की गई। मैंने उस समय समझा था कि महात्माजी कुछ ग़लती कर रहे हैं, पर पीछे से इंगलैंड में अर्ल रसेल आदि की स्पीचें, जगह-जगह चलाए गए मुक़द्दमे और पार्लमेंट में आपकी की हुई घोषणा तथा अंत में इंपीरियल प्रिफ़रेंस के संबंध में सरकारी नीति को देखकर मेरे विचार बदल गए, और मैंने समझा

करने के बाद मैंने समझा कि आप भारत का भला करेंगे। मैं चाहता था कि आपका प्रयत्न सफल हो। २५ मई, २६ को जब आप इँगलैंड जाने के लिये शिमला छोड़ने लगे, तो मैंने आपको सलाह दी थी कि अच्छा हो, यदि आप महात्मा गाधी तथा पं० मोतीलालजी से मिल लें, और निश्चय कर लें कि किस प्रकार की घोषणा से कांग्रेस को संतोष होगा। पर आपने अपनी प्रतिष्ठा के ख्याल से कांग्रेस तथा महात्माजी के प्रभाव को समझने से इनकार कर दिया।

जब आप इँगलैंड मे थे, मैंने आपको दो पत्र लिखे, और दोनों का ही उत्तर आपने दिया। एक पत्र मे मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी ढंग से कांग्रेसवाले गाल-सभा में भाग लेना स्वीकार कर लें, तो आधी लड़ाई ख़त्म होती है। दूसरे पत्र में भी मैंने यही कहा कि दुर्भाग्य से आपने देश की मुख्य राजनीतिक पार्टी के लोगों से सलाह-मशवरा नहीं किया। यदि मजदूर दल इस दल के मुख्य नेताओं, महात्माजी तथा नेहरूजी, में से एक को या दोनों का विश्वास मे ले सके, तो अच्छा हो। सरकार अपने दबदबे का ख़याल इस मामले मे छोड़ दे।

आपने अपने पत्रों मे विश्वास दिलाया कि आप पूर्ण कोशिश करेंगे कि सब विचारों के लोगों को संतोष प्राप्त हो। आप नवंबर के अंत मे यहाँ लौट आए, और आपने अपनी घोषणा की। इस घोषणा की कापी आपने मेरे पास पहले ही भेजने की कृपा कर दी थी। आपके यहाँ आने पर

मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्थिति को सँभालिए। आपकी बड़ी पोज़ीशन और आवाज़ है, और यदि आपको इस्तेफ़ा ही करना पड़े, तो आप त्याग-पत्र दे दें। यदि आप असफल हुए, तो भारत का इँगलैंड को अंतिम प्रणाम समझें।

कि महात्माजी ठीक ही कर रहे थे। अंत में वही हुआ। लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करके उसके लिये सत्याग्रह प्रारंभ करने का एलान कर दिया। महात्माजी ने आपको 'अल्टीमेटम दिया, और युद्ध प्रारंभ कर दिया। सारा देश इस युद्ध में पूरे उत्साह से लग गया है। मेरे देश-भाई अपनी जान की भी परवा न करके मैदान में आ गए हैं। सरकार दमन पर उतारू हो गई है। पर इससे आंदोलन और भी बढ़ गया है। आपने जितने भी प्रयत्न किए, वे इसीलिये व्यर्थ हुए, क्योंकि आपने महात्माजी तथा कांग्रेस का जनता पर प्रभाव नहीं समझा। अब भी आप सब काम बंद करके महात्माजी को मिलने के लिये बुलाइए। मुझे कहा जायगा कि इस मामले में तो पार्लियामेंट का ही अधिकार है। यह ठीक है, पर आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं।

यद्यपि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, तथापि यदि भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देने का विचार कर लिया जाय, तो कांग्रेस इस पर विचार करेगी। मेरी निजू सम्मति है कि दोनो राष्ट्रों का परस्पर संबंध रहना अधिक आवश्यक है। अभी तो इस तरह के विचारवाले बहुत-से लोग भारत में हैं भी, पर यदि इस तरफ ध्यान न दिया गया, और उचित उपायों का अवलंबन न किया गया, तो वह समय शीघ्र आएगा, जब कि डोमीनियन स्टेटस का नाम लेनेवाले भी देशद्रोही समझे जायँगे।

और अपना पैगाम लिखने में लगे। एक और दो मार्च को उन्होंने यह पैगाम लिखकर देश के प्रमुख कांग्रेस-नेताओं से सलाह की, और उसे तैयार कर लिया। इसे वायसराय के पास ले जाने के लिये मि० रेजीनल्ड रेनाल्ड्स, जो उन दिनों, साबरमती-आश्रम में ऑक्टोबर मास से रह रहे थे, चुने गए। यह २४ वर्ष के नवयुवक थे। आश्रम में रविवार २ मार्च, सन ३० का शाम के ५३ बजे ईश्वर-प्रार्थना की गई, और महात्माजी ने अपनी इस लिखित चेतावनी का बंद लिफ़ाफ़ा मि० रेजीनल्ड रेनाल्ड्स के हाथों में वायसराय तक पहुँचाने के लिये सौंप दिया। यह अँगरेज़ युवक दूत उसे लेकर रात की डाकगाड़ी से दिल्ली के लिये रवाना हुए। ४ मार्च को सबेरे ही वायसराय के स्थान पर जाकर मि० रेजीनल्ड रेनाल्ड्स ने बंद लिफ़ाफ़ा वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी मि० कनिंघम को सौंप दिया, और रसीद ले ली। इस समय यह खादी की कमीज़ और कोट तथा गांधी-टोपी पहने हुए थे। वह उसी दिन शाम की गाड़ी से साबरमती वापस लौट गए, और पत्र की रसीद महात्माजी के हवाले की। अहिंसात्मक युद्ध के सेनापति महात्मा गांधी की वह चेतावनी यह थी—

सत्याग्रह आश्रम, साबरमती

२ मार्च, १९३०

प्रिय मित्र,

निवेदन है कि इसके पहले कि मैं सविनय कानून-भंग शुरू करूँ, और शुरू करने पर जिस जोखिम को उठाने के लिये

छठा अध्याय

महात्माजी की चेतावनी

यह कहा जा चुका है कि सन् १६२८ की कलकत्ता-कांग्रेस में महात्मा गांधी ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था—"आज से १ साल के अंदर-अंदर यदि सरकार 'नेहरू रिपोर्ट' के अधिकार हमें प्रदान न कर देगी, तो अवधि समाप्त हो जाने पर भारत 'पूर्ण स्वाधीनता' के सिवा और कुछ न चाहेगा, और अपने अहिंसात्मक असहयोग-आंदोलन को शक्ति-भर आरंभ कर देगा।" इस 'अल्टीमेटम' को कलकत्ता-कांग्रेस ने स्वीकृत कर लिया था। इसके बाद नेता लोग साल-भर तक देश की स्थिति सुधारते रहे, और सरकार की ओर से अल्टीमेटम के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन वह तो चुप थी। आख़िर सन् २६ की लाहौर-कांग्रेस ने अपने प्रस्तावानुसार पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी, और निश्चय कर लिया कि किसी भी आशा में न रहकर अब अहिंसात्मक युद्ध प्रारंभ किया जाय। महात्मा गांधी ने इस युद्ध के नेतृत्व की माँग की, और कांग्रेस ने उन्हें इसका अधिकार दे दिया। अब महात्माजी ने इस युद्ध की तैयारियाँ कीं। ये तैयारियाँ वास्तव में अलौकिक थीं। युद्ध-प्रस्थान के पहले उन्होंने सरकार को चेतावनी देना निश्चय किया,

तो फिर मैं किन कारणों से अँगरेज़ी राज्य को शाप-रूप मानता हूँ? कारण ये हैं। इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिये बढ़ते हुए परिमाण में बराबर चूसा जाता रहे। इसके अलावा इस तंत्र का फ़ौजी और दीवानी खर्च इतना ज्यादा तबाही करनेवाला है कि मुल्क उसे कभी बरदाश्त नहीं कर सकता। नतीजा इसका यह हुआ कि हिंदोस्तान के करोड़ों बेज़बान लोग आज कंगाल बन गए हैं।

राजनीतिक दृष्टि से इस राज्य ने हमें लगभग गुलाम बना छोड़ा है। इसने हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद को ही उखेड़ना शुरू कर दिया है, और लोगों से हथियार छीन लेने की सरकारी नीति ने तो हमारी मनुष्यता को ही कुचल डाला है। संस्कृति के नाश से हमारी जो आध्यात्मिक हानि हुई, उसमें हथियार न रखने के कानून के और बढ़ जाने से देश के लोगों की मनोदशा डरपोक और बेबस गुलामों की-सी हो गई है।

अपने दूसरे कई भाइयों के साथ-साथ मैं भी यह आशा लगाए बैठा था कि आपके द्वारा प्रस्तावित गोल-सभा से ये सब शिकायतें रफ़ा हो सकेंगी। लेकिन जब आपने मुझसे साफ़-साफ़ कह दिया कि औपनिवेशिक स्वराज्य—डोमीनियन स्टेटस—की किसी भी योजना का समर्थन करने का आश्वासन देने के लिये आप या ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल तैयार नहीं, तब मैंने महसूस किया कि हिंदुस्थान के समझदार लोग स्पष्ट ज्ञान पूर्वक और अज्ञान के कारण चुप रहनेवाले करोड़ों देशवासी धुँधली-

मैं इतने साल से हिचकिचाता रहा हूँ, उसे उठाऊँ, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूँ कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके, तो उसके लिए कोशिश कर देखूँ।

अहिंसा में मेरा विश्वास तो जाहिर ही है। जान बूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य हिंसा की तो बात ही क्या है? फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, उनका बड़े-से-बड़ा अहित ही क्यों न किया हो। इसलिये यद्यपि अँगरेजी सल्तनत को मैं एक बला मानता हूँ, तो भी मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अँगरेज का या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुकसान पहुँचे।

गलतफहमी से बचने के लिये मैं अपनी बात जरा और साफ किए देता हूँ। यह सच है कि मैं भारत में अँगरेजी राज्य को एक बला मानता हूँ, लेकिन इसके कारण मैंने यह तो कभी माना ही नहीं कि सब-के-सब अँगरेज दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा दुष्ट हैं। बहुतेरे अँगरेजों के साथ गहरी दोस्ती रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही नहीं, बल्कि अँगरेजी राज्य ने हिंदोस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है, उसके बारे में बहुतेरी हकीकतें तो मुझे उन अनेक अँगरेजों की लिखी हुई किताबों से ही मालूम हुई हैं, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में, निडरता पूर्वक, प्रकट किया है। और, इसके लिये मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ।

बाद तो ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनसे ब्रिटिश-राज-नीति का रुख साफ़ ही जाहिर हो जाता है।

हिंदुस्थान को पीस डालनेवाला तंत्र

यह बात रोज़रोशन की तरह साफ़ ज़ाहिर है कि जिन राज-नीतिक परिवर्तनों से भारत के साथ इँगलैंड के व्यापार को ज़रा भी नुक़सान पहुँचने की संभावना हो, और भारत के साथ इँगलैंड के आर्थिक लेन देन के औचित्य-अनौचित्य की गहरी छान बीन के लिये एक निष्पक्ष पंचायत मुक़र्रर करनी पड़े, वैसे राजनीतिक हेर-फेर होने देने की नीति अख़्तियार करने की ओर ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों का ज़रा भी रुख नहीं पाया जाता। पर अगर हिंद को चूसते रहनेवाले इस तर्ज़े अमल का ख़ात्मा करने का कोई इलाज न किया गया, तो हिंद की बरबादी की चाल रोज़ ब रोज़ तेज़ ही होनेवाली है। आपके अर्थ सचिव या ख़ज़ाची कहते हैं कि १८ पेंस की विनिमय की दर तो विधि की लकीर की तरह अमिट है।

इस तरह कलम के एक इशारे से भारतवर्ष के करोड़ों रुपए बाहर खिंचे चले जाते हैं। और जब इस और ऐसी दूसरी बहुतेरी विधि की लकीरों को मेटने के लिए सत्याग्रह या सविनय क़ानून-भंग की आज़माइश करने का गंभीर प्रयत्न शुरू किया जाता है, तो आप भी धनवानों और ज़मींदारों वग़ैरा से यह अनुरोध किए बिना नहीं रहते कि वे देश में अमन-क़ानून की रक्षा के लिये ऐसे आंदोलनों को कुचलने में आपकी मदद

सी समझ के साथ जिन दु खों का मिटाने के लिये तरस रहे हैं, इस गाल-सभा में उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यहाँ यह कहने की तो शायद ही जरूरत हो कि इस मामले में पार्लमेंट को आखिरी फैसला करने का जो हक़ है, उसे छीन लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें मंत्रि मंडल ने इस आशा से कि पार्लमेंट की अनुमति या इजाजत मिलेगी ही, पहले ही से अपनी नीति ठहरा ली थी।

इस तरह दिल्ली की मुलाकात का कोई नतीजा न निकलने से सन् १९२८ मे कलकत्ते की महासभा ने जो गभीर प्रस्ताव किया था, उसका अमल कराने की पैरवी करने के सिवा पंडित मोती-लालजी के और मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया था।

पर आपकी घोषणा में जिस 'डोमीनियन स्टेटस'-शब्द का जिक्र है, अगर वह शब्द उसके सच्चे अर्थ में प्रयुक्त किया गया होता, तो आज 'पूर्ण स्वराज्य' के प्रस्ताव से भड़कने का कोई कारण ही न था। क्योंकि 'डोमीनियन स्टेटस' का अर्थ लगभग पूर्ण स्वाधीनता ही है। इस बात को प्रतिष्ठित ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों ने खुद ही क़बूल किया है, और इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही 'डोमीनियन स्टेटस' दे दिया जाय।

लेकिन ये तो सब गई-गुजरी बातें हैं। आपकी घोषणा के

घेरा बनाकर लगान की सारी नीति को ही बदल डालने और नई नीति कायम करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। लेकिन सरकार की नीति से तो यह मालूम होता है कि यह जनता के प्राणों को भी चूस लेने के इरादे से ठहराई गई है। नमक जैसी रात दिन की जरूरी चीज पर भी, जिसके बिना करोड़ों मनुष्यों का काम चल ही नहीं सकता, महसूल का बोझ इस तरह लाद दिया गया है कि इसका भार खासकर गरीबों पर ही ज्यादा पड़ता है। कहा जाता है कि यह कर निष्पक्ष होकर वसूल किया जाता है, पर इसकी निष्पक्षता ही तो निर्दयता है। नमक ही एक ऐसी चीज है, जिसे धनवान या अमीर व्यक्तियों अथवा समुदायों के मुकाबले गरीब लोग अधिक खाते हैं। इस बात का विचार करने से हमें पता चलता है कि गरीबों के लिए यह कर कितना भाररूप है। शराब और दूसरी नशीली चीजों से होनेवाली आमदनी का जरिया भी ये गरीब ही हैं। ये चीजें लोगों की तंदुरुस्ती और नीति को जड़-मूल से मिटानेवाली हैं। पर व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के बहाने, जो कि झूठा बहाना है, इसका बचाव किया जाता है। सच तो यह है, इनसे जो आमदनी होती है, उस आमदनी के लिये ही ये विभाग कायम हैं। सन् १९१९ में जो सुधार जारी किए गए, उनके अनुसार इन मदों की आमदनी चतुराई के साथ नामधारी निर्वाचित मंत्रियों के जिम्मे कर दी गई, जिससे सब तरह की नशीली चीजों का व्यवहार बंद करने से होनेवाला अधिक नुकसान उन्हें ही सहना पड़े, और इस तरह शुरुआत

करें। लेकिन आपके इस अमन-कानून के भार से दबकर भारत का सत्यानाश हो रहा है।

जो लोग जनता के नाम से काम कर रहे हैं, वे अगर आज़ादी की लगन के वजूहात का—स्वाधीनता की रट के उद्देश्य को साफ़ तौर से न समझें, और अपनी बात को आम लोगों के सामने न रखते रहें, तो अंदेशा यह है कि जिनके लिये आज़ादी चाही जाती है, और हासिल करने के लायक़ है, उन रात-दिन एड़ी-चोटी का पसीना एक करनेवाले करोड़ों बेज़बानों के लिये यह आज़ादी इतने बोझ से लदी हुई—दबी हुई मिलेगी कि उनके लिये उसका कोई मूल्य ही न रहेगा। इसीलिये इधर कुछ दिनों से मैं लोगों को आज़ादी का—स्वतंत्रता का सच्चा मतलब समझा रहा हूँ।

अब इस संबंध की कुछ ख़ास बातें आपके सामने पेश करने का साहस करता हूँ।

सच्ची आज़ादी किसमें है ?

जिस मालगुज़ारी से सरकार को इतनी अधिक आमदनी होती है, उसी के भार से रिआया का दम निकला जा रहा है। स्वतंत्र भारत को इस नीति में बहुत कुछ हेर-फेर करना होगा। जिस स्थायी बंदोबस्त की तारीफ़ के पुल बाँधे जाते हैं, उससे सिर्फ़ मुट्ठी भर धनवान् ज़मींदारों को ही फ़ायदा पहुँचता है, आम रिआया को नहीं। इसीलिये मालगुज़ारी को बहुत-कुछ घटाने की ज़रूरत है। यही नहीं, बल्कि रैयत के भले की ही ख़ास

से ये सारे पाप किए जा रहे हैं। अपने वेतन का ही ले लीजिए। वह माहवार २१,०००) से भी ज्यादा है। इसके सिवा उसमें भत्ता और दूसरे सीधे-टेढे आमदनी के जरिए हैं ही। इंगलैंड के प्रधान मंत्री की तनख्वाह से इसका मुकाबला कीजिए। उन्हें सालाना ५,००० पाउंड, यानी मौजूदा दर के हिसाब से माहवार ५,४००) से कुछ अधिक, मिलता है। जिस देश में हरएक आदमी की औसत रोजाना आमदनी दो आने से भी कम है, उस देश में आपको रोजाना ७००) से भी अधिक मिलते हैं, उधर इंगलैंड के बाशिंदे की औसत दैनिक आय लगभग २) मानी जाती है, और प्रधान मंत्री को रोजाना सिर्फ १८०) ही मिलते हैं। इस तरह आप अपनी तनख्वाह के रूप में ५,००० से भी अधिक भारतीयों की औसत कमाई का हिस्सा ले लेते हैं, उधर इंगलैंड के प्रधान मंत्री सिर्फ ९० अंगरेजों की कमाई ही लेते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इस आश्चर्य जनक विषमता पर ध्यान पूर्वक थोड़ा विचार कर देखें। एक कठोर, पर सची हकीकत को ठीक से समझाने के लिये मुझे आपका व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना पड़ता है, नहीं तो जाती तौर पर मेरे दिल में आपके लिये इतनी इज्जत है कि मैं ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपको इतनी ज्यादा तनख्वाह मिले। मुमकिन है, आप अपनी सारी-की-सारी तनख्वाह दान

ही से देश-हित का काम करना उनके लिये नामुमकिन हो जाय। अगर कोई अभागा मंत्री इस आमदनी से हाथ धोना चाहे भी, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस हालत में उसे शिक्षा-विभाग ही बंद कर देना पड़ता है, और मौजूदा हालत में शराब के बजाय आमदनी का कोई दूसरा जरिया पैदा करना उसके लिये मुमकिन नहीं। इस तरह गरीबों को इन करों के बोझ-तले पिसने का ही दुःख नहीं है, वे इसलिये भी दुखी हैं कि उनकी आमदनी को बढ़ानेवाला चर्खे जैसा गृह-उद्योग नष्ट कर दिया गया है, और इस तरह उन्हें आमदनी के इस जरिए से जबर्दस्ती महरूम रक्खा गया है—वंचित किया गया है।

हिंदुस्थान की तबाही का यह दर्द-भरा क़िस्सा अधूरा ही कहा जायगा, जब तक हिंद के नाम जो कर्ज़ा लिया गया है, उसका जिक्र इस सिलसिले में न किया जाय। लेकिन इस बारे में इन दिनों अखबारों में काफी चर्चा हो चुकी है, अतः विस्तार के साथ इसका जिक्र करना अनावश्यक है। यह कहना ही काफी होगा कि इस तरह के तमाम क़र्जों की पूरी-पूरी जाँच एक निष्पक्ष पंचायत द्वारा कराई जानी चाहिए। इस जाँच के फल स्वरूप जो क़र्ज अन्याय पूर्ण और अनुचित ठहराया जायगा, उसे देने से इनकार करना ही आज़ाद हिंदुस्थान का सच्चा फ़र्ज होगा।

इस तंत्र को तिलांजलि दो

यह जाहिर है कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनिया भर में ज्यादा-से-ज्यादा खर्चीली है, और इसे बनाए रखने की गरज ही

सभी वह इलाज नहीं। दलीलों से बुद्धि को विश्वास कराने का अब कोई सवाल ही नहीं रहा है, अब तो सिर्फ दो परस्पर विरोधी ताकतों की मुठभेड़ का सवाल ही बाकी रहता है। उचित हो या अनुचित, इंगलैंड तो अपनी पाशवी ताकत के बल पर ही भारत के साथ के व्यापार को और भारत में रहे हुए अपने स्वार्थों को बनाए रखना चाहता है। इस यम पाश से छुटकारा पाने के लिये जितनी ताकत ज़रूरी है, वह ताकत इकट्ठा करना अब भारत के लिये लाज़िमी हो पड़ा है।

इसमें तो किसी भी पक्ष का शक नहीं कि हिंदुस्थान में जो हिंसक दल है, भले आज वह असंगठित और उपेक्षणीय हो, फिर भी दिनों दिन उसका बल बढ़ता जा रहा है, और वह प्रभावशाली बन रहा है। इस दल का और मेरा ध्येय तो एक ही है; पर मुझे यक़ीन है कि हिंदुस्थान के करोड़ों लोगों को जिस आज़ादी की ज़रूरत है, वह इनके दिलाए नहीं मिल सकती। इसके अलावा मेरा यह विश्वास दिनोंदिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अहिंसा के सिवा और किसी भी तरीक़े से ब्रिटिश-सरकार की यह संगठित हिंसा अटकाई नहीं जा सकेगी। बहुतेरे लोगों का यह ख़याल है कि अहिंसा में कार्य-साधक शक्ति नहीं होती। यद्यपि मेरा अनुभव एक ख़ास हद तक ही महदूद रहा है, तो भी मैं यह जानता हूँ कि अहिंसा में ज़बर्दस्त कार्य-साधक शक्ति है। ब्रिटिश-सल्तनत की संगठित हिंसा-शक्ति और देश के हिंसक दल की असंगठित हिंसा-शक्ति के मुक़ाबले यह

में दे डालते हों। पर जिस राज्य-प्रणाली ने ऐसी खर्चीली व्यवस्था बना रक्खी है, उसे तुरत तिलांजलि दे देना ही उचित है। जो दलील आपकी तनख्वाह के लिये ठीक है, वही सारे राज्यतंत्र पर लागू होती है।

थोड़े में बात यह कि जब राज्य-प्रबंध के खर्च में बहुत ज्यादा कमी कर दी जायगी, तभी राज्य की आमदनी में भी बहुत कुछ कमी की जा सकेगी, और यह तभी हो सकता है, जब कि राज-काज की सारी नीति ही बदल दी जाय। इस तरह का परिवर्तन बिना स्वतन्त्रता के हो नहीं सकता। मेरी राय में इन्हीं भावों से प्रेरित होकर ता० २६ जनवरी के दिन लाखों ग्रामवासी स्वातन्त्र्य-दिवस मनाने के लिये की गई सभाओं में अपने आप, सहज ही, शामिल हुए थे। उनके मन तो स्वाधीनता का मतलब उक्त कुचल डालनेवाले बोझों से छुटकारा पाना है।

इँगलैंड जिस तरह इस देश को लूट रहा है, सारा हिंदुस्थान उसका एक स्वर से विरोध कर रहा है, तो भी मैं देखता हूँ, इँगलैंड का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस लूट को बंद करने के लिये तैयार नहीं है।

अहिंसा ही यम-पाश से छुड़ा सकती है

पर भारतीय जनता को जिंदा रखने और अन्न की कमी के कारण धीरे-धीरे होनेवाले उसके विनाश को अटकाने के लिये शीघ्र ही कोई-न-कोई इलाज तो ढूँढ ही निकालना होगा। सिवा इसके और कोई चारा ही नहीं। आपके द्वारा प्रस्तावित

क्योंकि मैं अहिंसा द्वारा अँगरेज़ों के हृदय को इस तरह बदलना चाहता हूँ कि जिससे वे यह साफ़-साफ़ देख सकें कि उन्होंने हिंदुस्थान को कितना नुक़सान पहुँचाया है। मैं आपके देश-भाइयों का बुरा नहीं चाहता। अपने देश-भाइयों की तरह ही मैं उनकी भी सेवा किया चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा उनकी सेवा ही की है। सन १९१९ तक मैंने आँखें बंद करके उनकी सेवा की। लेकिन जब मेरी आँखें खुलीं, और मैंने असहयोग की आवाज़ बुलंद की, तब भी मेरा मक़सद उनकी सेवा करना ही था। जिस हथियार का मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय संबंधी के ख़िलाफ़, नम्रता से, पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है, वही हथियार मैंने सरकार के ख़िलाफ़ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान ही अँगरेज़ों का भी चाहता हूँ, तो यह ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगा। बरसों तक मेरी परीक्षा लेने के बाद जैसे मेरे कुनबेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को क़बूल किया है, वैसे ही अँगरेज़ भी किसी दिन क़बूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में आम रिआया मेरा साथ देगी, और अगर उसने साथ दिया, तो सिवा उस हालत के कि अँगरेज़ लोग समय रहते ही समझ जायँ, देश पर आफ़त और दुःख के जो पहाड़ टूट पड़ेंगे उनके कारण वज्र से भी कठोर दिलवालों के दिल पसीज जायँगे।

सविनय भंग द्वारा सत्याग्रह करने की योजना में इन अन्यायों का विरोध करना ख़ास बात होगी। ब्रिटिश या अँगरेज़-जनता

जबर्दस्त अहिंसक शक्ति खड़ी करने का मेरा इरादा है। अगर मैं हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा, तो इन दोनों हिंसक शक्तियों को निरंकुश होकर खुल खेलने का मौका मिल जायगा। अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे अहिंसा की अमोघ शक्ति में निःशंक और अविचल श्रद्धा है। इतना होते हुए भी अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग करने के बजाय चुपचाप बैठा रहूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे पाप लगेगा।

यह अहिंसा-शक्ति सविनय भंग द्वारा व्यक्त होगी। फ़िलहाल तो सिर्फ़ सत्याग्रह-आश्रम के लोगों द्वारा ही इसकी शुरुआत होगी, लेकिन बाद में तो जो इस नीति की स्पष्ट मर्यादाओं को क़ायम रक्खेंगे, वे सब इसमें शामिल हो सकेंगे। यही सोचा गया है।

बग़ैर जोखम के जीत कहाँ ?

मैं जानता हूँ कि अहिंसात्मक संग्राम शुरू करके मैं पागलों का-सा साहस कर रहा हूँ, वैसा जोखम उठा रहा हूँ। लेकिन भारी-से-भारी जोखम उठाए बिना सत्य की कभी जीत नहीं हुई है। जो लोग अपने से ज्यादा बहुसंख्यक, पुराने और अपने समान ही सभ्य, संस्कृत लोगों का जाने-अनजाने नाश कर रहे हैं, उन लोगों के हृदय को बदल देने के लिये जितना जोखम उठाना पड़े, कम ही है।

अँगरेज़ों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है

'---र का बदल देने' की बात मैं जान-बूझकर कह रहा हूँ।

आप नहीं ढूँढ निकालेंगे, और मेरे इस खत का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की ग्यारहवीं तारीख को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूँगा, उतने साथियों के साथ नमक-संबंधी कानून तोड़ने के लिये कदम बढ़ाऊँगा। गरीबों के दृष्टि-बिंदु से यह कानून मुझे सबसे ज्यादा अन्याय-पूर्ण मालूम हुआ है। आज़ादी की यह लड़ाई खास-कर देश के गरीब-से-गरीब लोगों के लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जायगी। आश्चर्य तो यह है कि हम इतने सालों तक इस दुष्ट एकाधिकार को मानते रहे। मैं जानता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करके मेरी योजना को निष्फल बना देना आपके हाथ में है। परंतु मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद लाखों आदमी संगठित होकर इस काम को उठा लेंगे, और नमक-कर का जो कानून कभी बनना ही न चाहिए था, उसे तोड़कर कानून की रू से होनेवाली सज़ा को भोगने के लिये तैयार रहेंगे।

अगर संभव होता, तो मैं आपको फिजूल ही—या जरा भी—धर्म-संकट में डालना नहीं चाहता। यदि आपको मेरे पत्र में कोई तत्त्व की बात मालूम हो, और मुझसे वार्तालाप करने-लायक महत्त्व आप उसे देना चाहें, और इसलिये इस खत को छापने से रुकना पसंद करें, तो इस खत के मिलते ही बज़रिए तार मुझे इत्तिला दीजिएगा। मैं खुशी से इसे छापना मुलतवी रख दूँगा। किंतु अगर मेरे पत्र की खास-खास बातों को मंजूर

के साथ का संबंध तोड़ डालने की हमारी इस इच्छा का कारण ऊपर गिनाए गए ये अन्याय ही हैं। इनके मिटने ही से रास्ता साफ़ होगा, और फिर सुलह के लिये दर्वाज़े खुल जायँगे। भारत के साथ अँगरेज़ों के व्यापार में से लाभ का पाप धुल जाय, तो हमारी आज़ादी को कबूल करने में अँगरेज़ों को कोई कठिनाई न हो। मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि आप इन अन्यायों को स्वीकार करें, इन्हें तत्काल दूर करने का कोई रास्ता निकालें, और इस तरह सारी मानव-जाति के कल्याण के उपायों का ढूँढ निकालने की इच्छा से कोई ऐसा तरीक़ा अख़्तियार करें, जिससे दोनों पक्ष बराबरी के नाते सलाह करने को इकट्ठा हों। ऐसा करने से अपने आप ही दोस्ती बँधेगी, और दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिये तैयार रहने तथा दोनों को अनुकूल हो, इस तरह व्यापार करने की नीति ठहरा सकेंगे। बदनसीबी से देश में आज जो क़ौमी झगड़े फैले हुए हैं, उन्हें आपने बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा महत्त्व दिया है। राजनीतिक विधान की किसी भी योजना के बनाने में इन बातों का महत्त्व अवश्य है, लेकिन जो सवाल क़ौमी झगड़ों से परे हैं, और जिनके कारण सब कौमों को समान रूप उठानी पड़ती है, उन सवालों का इन झगड़ों से कोई सरोकार ही नहीं।

अगर आप न सुनेंगे, तो ?

लेकिन ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज

चाहते हैं, जिसके फल-स्वरूप निश्चय ही सार्वजनिक शांति के भंग होने का और कानून के अनादर का पूरा पूरा खतरा है।

सेवक—

वी० कनिंघम

(प्राइवेट सेक्रेटरी)

करना आपको नामुमकिन मालूम होता हो, तो मुझे अपने पथ से लौटाने का प्रयत्न न कीजिएगा, यही प्रार्थना है।

यह खत धमकी के लिये नहीं लिखा है, बल्कि सत्याग्रही के सरल और पवित्र धर्म का पालन करने के लिये लिखा है। इसलिये मैं यह खत एक अँगरेज नौजवान के हाथों आप तक पहुँचाने का ख़ास तरीका अख़्तियार कर रहा हूँ। यह नौजवान भारत की लड़ाई को इंसाफ़ की लड़ाई मानते हैं। अहिंसा में इन्हें पूरी श्रद्धा है, और मानो ईश्वर ने इस खत के लिये ही इन्हें मेरे पास भेज दिया हो, इस तरह ये मेरे पास आ पहुँचे हैं। इति।

आपका सच्चा मित्र—

मोहनदास-कर्मचंद गांधी

इस पत्र के वाइसराय के पास पहुँचने के बाद २६ घंटे तक उनके तार की राह महात्माजी ने देखी, और कोई भी जवाब न आने से गुरुवार ता० ६ मार्च, १६३१ को प्रातःकाल इस पत्र को प्रकाशित करने की अनुमति दे दी, और युद्ध यात्रा की तैयारी करने लगे। परंतु इसके बाद ही वाइसराय का उत्तर डाक द्वारा उन्हें मिल गया। वह वाइसराय के सेक्रेटरी का लिखा हुआ था। उसका मजमून यह था—

प्रिय मि० गांधी,

आपका २ मार्च का पत्र वाइसराय साहब को मिला है। उन्हें यह जानकर दुःख हुआ है कि आप ऐसा काम शुरू करना

श्यकता नहीं होगी, सिर्फ़ छायादार साफ़ जगह मिल जाय, तो बस है। जहाँ छायादार साफ़ जगह न हो, वहाँ बाँस और घास-फूस का काम-चलाऊ छप्पर तैयार करा लेना काफ़ी होगा। इन दोनों चीज़ों का बाद में पूरा उपयोग हो सकता है।

यह मान लिया है कि खाना गाँववाले ही खिलाएँगे।

भोजन के लिये सीधा सामान मिलने पर संघ के लोग अपने हाथ से रसोई बना लेंगे। पक्का-कच्चा जो भी हो, सादे-से-सादा होना चाहिए। रोटी, चपाती अथवा खिचड़ी, शाक और दूध या दही के सिवा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पकान्न या मिठाई बनी भी होंगी, तो उसका त्याग किया जायगा। शाक सिर्फ़ उबाला हुआ होना चाहिए। उसमें तेल, मसाला, मिर्च—लाल या हरी, पिसी हुई या सारी, कुछ भी न होगी। मैं चाहता हूँ कि सब जगह इसी तरह खाना तैयार किया जाय।

सवेरे कूच करने से पहले राब और मोटी रोटी दी जाय। राब बनाने का काम हमेशा संघ के ज़िम्मे ही रहने दिया जाय।

दोपहर को भाकरी, शाक और दूध या मट्ठा दिया जाय।

साँझ को कूच करने से पहले चने और पोंवे दिए जायँ।

रात को खिचड़ी, शाक तथा मट्ठा या दूध दिया जाय।

घी फ़ी आदमी सब मिलाकर तीन तोले से ज़्यादा किसी हालत में न होना चाहिए। एक तोला राब में, एक तोला भाकरी पर ऊपर से, और एक तोला रात को खिचड़ी में। मेरे लिये सवेरे-शाम और दोपहर को बकरी का दूध, अगर मिल सके तो,

सातवाँ अध्याय

युद्ध-यात्रा

युद्ध-यात्रा का प्रारंभ १२ मार्च को प्रातःकाल हुआ। इसमें १०० सत्याग्रही योद्धा सम्मिलित थे। यात्रा प्रारंभ करने के प्रथम महात्माजी ने यात्रा-संबंधी निम्न-लिखित नियम प्रकाशित करा दिए थे। वे नियम ये थे—

सत्याग्रही की कूच

इस संघ में लगभग १०० मनुष्यों के सम्मिलित होने की संभावना है। इस समय आश्रम में रहनेवालों के सिवा भी जो दूसरे लोग आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, और जाने को उत्सुक हैं, एवं जिन्हें साथ लेना बहुत जरूरी है, उन्हें भी ले जा रहा हूँ। इसीलिये अंतिम सूची तैयार नहीं कर पाया हूँ।

ता० १२ मार्च को सवेरे ६½ बजे कूच शुरू होगा।

गाँवों के मुखियों और सेवकों से मेरा निवेदन है कि वे नीचे-लिखी सूचनाओं को ध्यान में रक्खें।

आशा है, हर जगह संघ सवेरे ८ बजे पहुँच सकेगा, और १० से १०½ के बीच खाने का बैठ जायगा। मुमकिन है, पहले दिन असलाली (पड़ाव का पहला गाँव) पहुँचते-पहुँचते ६½ बज जायँ। दोपहर को या रात को किसी प्रकार की आव-

की तादाद। ७ फी आदमी कितना नमक खर्च होता है? मवेशी वगैरह के लिये कितने नमक का उपयोग होता है? ८ गाँव में गाय-भैंस की संख्या। ९ लगान कितना दिया जाता है? लगान की दर क्या है? १० गोचर भूमि है? है, तो कितनी? ११ लोग शराब पीते हैं? शराब की दूकान कितनी दूर है? १२ 'अस्पृश्यों' के लिये पढ़ने लिखने की और दूसरी सुविधाएँ हों तो उनका उल्लेख।

ये सब बातें एक साफ़ कागज पर लिखकर मेरे पहुँचते ही मुझे दे दी जायँ, तो अच्छा हो।

मोहनदास-करमचंद गांधी

और सूखी दाख अथवा खजूर और तीन चार नीबू होंगे, तो बस होगा।

मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सादे भोजन के प्रबंध के सिवा और किसी तरह का खर्च गाँववाले न करेंगे।

हरएक गाँव के और आस-पास के गाँवों के लोगों से मिलने की मैं आशा रक्खूँगा।

सोने के लिये जरूरी बिछौना वगैरह सामान हरएक आदमी के पास होगा, अतएव सोने के लिये साफ़ जगह के सिवा गाँव-वालों को और किसी तरह का प्रबंध करने की ज़रूरत न होगी।

गाँववालों के लिये पान-सुपारी या चाय का खर्च करना निरर्थक होगा।

हरएक गाँव में सफ़ाई का ठीक-ठीक प्रबंध किया जाय, और सत्याग्रहियों के लिये पाखाने की जगह पहले से ही मुकर्रर कर ली जाय, तो अच्छा हो। नज़दीक ही कुछ झाड़ हो, तो और भी अच्छा हो। यह इष्ट है कि यदि गाँववाले अब तक खादी का उपयोग न करते हों, तो अब करने लगें।

मैं चाहूँगा कि हरएक गाँव के बारे में नीचे-लिखी हक़ीकतें तैयार रक्खी जायँ—

१. आबादी स्त्री-पुरुष—हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी इत्यादि की संख्या। २. 'अस्पृश्यों' की संख्या। ३. मदरसा हो, तो उसमें पढ़नेवाले बालक-बालिकाओं की संख्या। ४. चर्खों की संख्या। ५. खादी की माहवार खपत। ६. पूर्ण खादीधारियों

इससे देश में एक राजनीतिक हलचल मच गई। इसके बाद वार्षिक अधिवेशन में उस प्रस्ताव का खूब ज़ोरों के साथ समर्थन हुआ। साथ ही हिंदू-मुस्लिम ऐक्य ने आश्चर्यकारक रूप धारण किया। देखते-देखते प्रबल युद्ध छिड़ गया, और छोटे-बड़े नेताओं से लेकर सर्व-साधारण तक लगभग ३० हज़ार मनुष्य जेल में जा बैठे। महात्मा गांधी उस युद्ध के संचालक और अली-बंधु, दास, अजमलखाँ, स्वामी श्रद्धानंद, नेहरू, लालाजी-जैसे वीर उसमें सम्मिलित होकर जेल गए। संसार-भर में उसकी धूम मच गई।

महात्माजी ने बारडोली को ख़ास तौर से युद्ध की दूसरी किश्त के लिये तैयार किया। यह देखकर सरकार दहल गई, और प्रथम बार महात्माजी के साथ समझौते के लिये गोल-सभा की स्थापना की इच्छा प्रकट की। महात्माजी अपनी कुछ शर्तों के साथ गोल-सभा में जाने को राज़ी हो गए। शर्तों पर विचार होने लगा। इसी बीच में, चौराचौरी में, हत्याकांड हो गया, जिसमें कुछ सरकारी मुलाज़िम मारे गए। महात्माजी ने अपने अहिंसा-सिद्धांत के आधार पर समस्त आंदोलन को बंद कर दिया। सारे देश-भर की प्रार्थना सुनकर भी उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। देखते-देखते ही वह तूफ़ान एक-दम शांत हो गया। सरकार ने भी गोल-सभा की इच्छा मुल्तवी कर दी।

इधर महात्माजी ने समझा कि देश अहिंसक युद्ध के लिये

आठवाँ अध्याय

गोल-सभा का आयोजन

लखनऊ की कांग्रेस में 'स्वराज्य प्राप्ति' कांग्रेस का ध्येय बनाया गया था, और सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह 'स्वराज्य देने की नीति' की घोषणा कर दे। इस पर देश की परिस्थिति पर विचार करके सरकार ने देश की राजनीतिक अवस्था की तहक़ीक़ात करने का निश्चय किया, और इसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उस कमीशन ने बड़े-बड़े शहरों में घूमकर तथा सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक मुक़दमों के कागजात देखकर अपनी तहक़ीक़ात ख़तम की, और तहक़ीक़ात की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका नाम रौलेट-रिपोर्ट हुआ। उसमें उसने लिखा कि भारत में क्रांति के उद्योग हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप एक नया कानून बना, जिसका नाम हुआ रौलेट-ऐक्ट और जिसका अभिप्राय था राजनीतिक जीवन को कुचल डालना।

इस ऐक्ट का प्रबल विरोध हुआ। महात्मा गांधी उसी समय आफ्रिका से आए थे, उन्होंने इसके विरोध में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। फलस्वरूप यह ऐक्ट कुछ काल के लिये स्थगित ही हो गया। इसके बाद ही कलकत्ते की ख़ास कांग्रेस में असहयोग-आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई। यह प्रथम कहा ही जा चुका है।

साथ ही प्रचंड शांत युद्ध प्रारंभ हो गया। उसकी गति दुर्घर्ष थी। सरकार ने फिर जोरों से गोल-सभा की चर्चा उठाई, और महात्मा गांधी को उसमें भाग देने की पूरी चेष्टा की। पर महात्मा गांधी बिना अपनी शर्तों का सम्मान उसमें जाने को तैयार न थे, और शर्तों के पालन का वचन देना वाइसराय के लिये असम्भव था। निदान नरम दल के नेताओं और राज-प्रतिनिधियों को लेकर यह सभा करने का निश्चय कर लिया गया।

तैयार नहीं, उधर भीतरी विद्वेष उत्पन्न हो गए। दास ने कांग्रेस की शक्ति को बाँट दिया। वह कौंसिल के पक्ष में हुए। और भी कई दल बने। उधर स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि और संगठन का हाथ में लिया। मुसलमानों ने भी तबलीग में हाथ डाल दिया। बाजे का प्रश्न उठा, और पहाड़ हो गया।

उधर मौका पाकर सरकार ने फिर एक तहकीकात-कमेटी की घोषणा की। देश इस प्रकार की तहकीकातों से थक गया था, उसने बहुत विरोध किया। इस कमेटी में कोई भारतीय न था और इसके प्रमुख साइमन साहब थे। उसके बाद गोल-सभा करने की घोषणा की गई।

यह साइमन कमीशन जब भारत पहुँचा, तो सवत्र ही उसका प्रबल बहिष्कार हुआ। लाहौर में इसी अवसर पर लाला लाजपतराय पर लाठियाँ पड़ीं, और अंत में उनका देहावसान हो गया।

सरकार का कहना था कि कांग्रेस में भारत की सब जातियाँ सम्मिलित नहीं हैं। तब कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार की। प० मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख थे। इसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई, तब देश भर में उसका समर्थन हुआ, और कलकत्ता-कांग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग पेश की गई। इसके लिये १ वर्ष का समय सरकार को दिया गया। १ वर्ष बीत गया, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। वह साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पाने पर कुछ निर्णय करना चाहती थी। फलतः लाहौर-कांग्रेस में

योग-काल में पैदा किया हो एवं जिसकी पूर्ति और स्वीकृति गोल-सभा के द्वारा होनी हो। इसका विश्वास दिलाने पर और एक तीसरी पार्टी के इस विश्वास की जिम्मेदारी लेने पर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से, पंडित मोतीलाल नेहरू अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेंगे। यदि इस प्रकार के विश्वास दिलाए गए, और वे स्वीकृत भी हो गए, तो किसी प्रकार संधि संभव हो सकेगी। उसके आधार पर, कुछ शर्तों के साथ, एक ओर सत्याग्रह-आंदोलन वापस लिया जायगा, और दूसरी ओर सरकार का दमन बंद होकर समस्त राजनीतिक कैदी छोड़े जायँगे, और अंत में इस संधि की शर्तों के अनुकूल गोल सभा में कांग्रेस का अनुसरण करना होगा।"

इसी संबंध में श्रीसप्रू और जयकर ने वाइसराय से भेंट की, और फिर १३ जुलाई को एक पत्र लिखकर महात्मा गांधी और नेहरू पिता पुत्रों से मिलने की आज्ञा माँगी। वाइसराय की आज्ञा मिलने पर उक्त दोनों सज्जन यरवदा-जेल में २३-२४ जून को महात्माजी से मिले, और बातचीत की। फल-स्वरूप महात्माजी ने एक नोट और एक पत्र नेहरू पिता-पुत्र के नाम लिखकर उन्हें दिया। वह नोट इस प्रकार था—

महात्माजी की शर्तें

(१) यह प्रश्न जहाँ तक मुझसे संबंध रखता है, वहाँ तक मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि गोल-सभा में स्वाधीनता का प्रस्ताव रखने पर वह गैर-कानूनी करार न दे दिया जाय, बल्कि गोल-

नवाँ अध्याय

सप्रू-जयकर-समझौता

२० जून, १६३० को पंडित मोतीलाल नेहरू ने डेली हेरल्ड (लंडन) के विशेष पत्र-प्रतिनिधि मि० स्लाकोंब से बंबई में कुछ बातें की, फलस्वरूप मि० स्लोकोंब ने पंडित मोतीलालजी की शर्तों पर एक मसौदा लिखा। उसका समर्थन बंबई में मि० जयकर और मि० स्लोकोंब की उपस्थिति में पंडित मोतीलालजी ने किया। इन स्वीकृत शर्तों की एक प्रति मि० स्लोकोंब ने मि० जयकर के पास और एक कापी शिमला में डॉक्टर सप्रू के पास भेजकर उनके आधार पर वाइसराय के साथ समझौता कराने के लिये चेष्टा करने का अनुरोध किया। वह मसौदा इस प्रकार था—

"यदि कुछ विशेष अवस्थाओं में भारत-सरकार और ब्रिटिश-गवर्नमेंट हमारी उस स्वाधीनता का समर्थन करने में आज असमर्थ है, जो गोल-सभा में निश्चित होगी अथवा जो ब्रिटिश-पार्लियामेंट को भारत को देनी पड़ेगी, तो भी एक प्रकार से भारत-सरकार की ओर से इस प्रकार का विश्वास मिलने की आवश्यकता है, जो भारतवर्ष के उस उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन का समर्थन करे, जो उसकी विशेष आवश्यकताओं और अवस्थाओं की माँग हो और जिसको उसने ग्रेट ब्रिटेन के लंबे-चौड़े सह-

म—वे जुर्मानों और ज़मानतों की रक़में, जो नमक़ कानून तथा प्रेस-ऐक्ट के अनुसार लोगों से ली गई हैं, वापस दे दी जायँ।

द—आंदोलन के कारण जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से तथा सरकारी संस्थाओं से त्याग पत्र दे दिए हैं, उनमें से जो लोग अपने इस्तीफ़े वापस लेकर सरकारी नौकरी या अपना वह संबंध फिर क़ायम रखना चाहें, तो वे स्वीकार किए जायँ।

ह—वाइसराय के बनाए हुए आर्डिनेंस हटा दिए जायँ।

मेरे ये विचार एक क़ैदी के विचार हैं, क्योंकि मैं एक क़ैदी की हैसियत में हूँ, जो इस बात का कोई हक़ नहीं रखता कि वह राजनीतिक मामलों में अपने विचारों को प्रकट कर सके, क्योंकि जिसके संबंध में वह अपने विचार प्रकट करेगा, उससे वह अलग करके जेल के तालों के भीतर बंद कर दिया गया है, उसके संबंध में उसकी अब कुछ जानकारी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि मेरे विचार हों, इसके संबंध में, अंतिम विचार नहीं हैं। मेरा तो इसके लिये तभी दावा हो सकता है, जब मैं आंदोलन के साथ होता। मि० जयकर और डॉ० सप्रू को चाहिए कि वे इसके संबंध में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल को तथा उन लोगों को समझावें, जो आंदोलन के इंचार्ज हैं।

यदि शर्तें मंज़ूर हो जायँ, तो मुझे गोल-सभा में सम्मिलित होने के संबंध में चिंता न करनी चाहिए, किंतु उसी अवस्था में जब जेल से निकलकर सभा में जानेवालों के साथ बात-

सभा के नियुक्त करने का अर्थ ही यह हो कि वह उत्तरदायित्व पूर्ण शासन के विधान और उसकी व्यवस्था पर विचार करे, तो हमें उस पर कुछ एतराज न करना चाहिए। कांग्रेस के सभा में सम्मिलित होने के संबंध में पूर्ण रूप से मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए।

(२) यदि गोल-सभा के संबंध में कांग्रेस को पूर्ण रूप से संतोष हो जायगा, तो सत्याग्रह-आंदोलन अपने आप रुक जायगा, किंतु विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार का शांति-पूर्ण कार्य फिर भी होता रहेगा, और तब तक बराबर होता रहेगा, जब तक कि सरकार स्वयं विदेशी कपड़ा और शराब का आना बंद न कर देगी। सर्व-साधारण से नमक का बनाना बराबर जारी रहेगा, और नमक क़ानून का कुछ भी उपयोग न हो सकेगा, किंतु सरकारी नमक के कारख़ानों अथवा प्राइवेट नमक की दूकानों पर धावा न होगा। मैं इस बात पर भी राज़ी हूँ कि इस पर कोई दफ़ा न रखकर केवल जानकारी के लिये इसको लिख लिया जाय।

(३) अ—सत्याग्रह-आंदोलन की रुकावट के साथ ही सत्याग्रही और राजनीतिक क़ैदियों को, जो किसी हत्या अथवा क्षति के अपराध में अपराधी नहीं हैं, चाहे वे सज़ा में हों और चाहे हिरासत में, छोड़ देने का ऑर्डर हो जाना चाहिए।

ब—जो रियासत अथवा संपत्ति नमक क़ानून, प्रेस-ऐक्ट और मालगुज़ारी के क़ानून के अनुसार ज़ब्त हो गई है, वह वापस दे दी जाय।

कार नहीं, किंतु विशेष अवस्थाओं में उसकी कुछ पार्तों में हम सिफ़ारिश कर सकते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी और पहली कठिनाई यह है कि हम दोनो जेल में बंद और कुछ समय से बाहरी संसार तथा आंदोलन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमको तीन मास से किसी समाचार-पत्र के मँगा सकने की आज्ञा नहीं। गांधीजी स्वयं कई महीनों से जेल में हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी के सभासद् जेलों में बंद हैं, और कार्यकारिणी कमेटी स्वयं गैर-क़ानूनी संस्था क़रार दे दी गई है। जो आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी देश के राजनीतिक संगठन की एक मात्र संस्था है, और जिसके संपूर्ण भारतवर्ष के ३६० सभासद् हैं, उसके सभासदों में ७५ फ़ीसदी कार्यकर्ता हमारी ही तरह, आंदोलन से अलग करके, जेलों में बंद कर दिए गए हैं। ऐसी अवस्था में, बिना सब कार्यकर्ताओं से और विशेष-कर महात्माजी से परामर्श किए, हम लोग किसी प्रकार, समझौते की कोई निश्चित बात करके, अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते।

'गोल-सभा के संबंध में किसी नतीजे तक पहुँचना उस समय तक हम व्यर्थ और अनावश्यक समझते हैं, जब तक कि ख़ास-ख़ास बातों पर शर्तनामा न हो जाय। हमारा शर्तनामा ऐसा होना चाहिए, जिसमें न तो किसी प्रकार का भ्रम पैदा किया जा सके, और न वह किसी प्रकार बेकार ही साबित हो। सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने इसको बिल्कुल स्पष्ट

चीत करके अपनी माँग के कम-से-कम परिमाण पर शर्त-नामा हो जाय, जिस पर उनको गोल-सभा में प्रत्येक अवस्था में खड़ा होना पड़े। मेरे लिये यह अधिकार होगा कि यदि स्वराज्य के विधान की एक एक बात के निश्चय करने का समय आ जाय, तो मैं अपनी उन ग्यारह शर्तों के आधार पर उसकी व्यवस्था करने के लिये अपने आपको स्वतंत्र समझूँ, जिनका मैंने वाइसराय के नाम लिखे हुए पत्र में जिक्र किया है।

२३।७।३० यरवदा सेंट्रल जल — एम० के० गांधी

दूसरे पत्र का आशय

दूसरे पत्र का आशय यह था कि मैं जेल में बंद रहने के कारण अपने विचार नहीं स्पष्ट कर सकता। मैंने जो शर्तें दी हैं, वे मेरे व्यक्तिगत संतोष के लिये हैं। मैं आदर-पूर्ण समझौते के लिये उत्सुक हूँ, पर वह दूर प्रतीत होता है। अंतिम निर्णय तो जवाहरलाल ही कर सकते हैं। हम लोग केवल सलाह दे सकते हैं। मैं स्थायी संधि किया चाहता हूँ।

इन पत्रों को लेकर उक्त दोनों सज्जन २८ जुलाई को, नैनी-जेल में, नेहरू पिता-पुत्रों से मिले, और बहुत-सी बातचीत कर उनके दो पत्र ले फिर ३१ जुलाई को यरवदा-जेल में महात्माजी से मिले। उन दोनों पत्रों का आशय इस प्रकार था—

"...कांग्रेस के प्रतिनिधि होने की हैसियत से हमें उसके स्वीकृत प्रस्तावों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधि-

दूसरा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के नाम लिखा—

नैनी सेंट्रल-जेल

प्रिय बापूजी,

यह हर्ष की बात है कि बहुत दिनों के बाद आपका पत्र लिखने का समय मिला, और वह भी एक जेल से दूसरी जेल के लिये। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पत्र का विस्तार के साथ लिखूँ, किन्तु मैं ऐसा कर न सकूँगा। इसलिये मैं केवल उन मामलों पर ही कुछ बातें लिखता हूँ, जो मेरे सामने हैं। मि० जयकर और डॉ० सप्रू कल यहाँ आए, और उनसे तथा पिताजी से बहुत देर तक उन्होंने बातें कीं। आज वे फिर आवेंगे। उन्होंने सभी प्रकार की बातें मेरे सामने रक्खीं, और आपका दिया हुआ पत्र तथा नोट भी हम दोनों के सामने प्रकट किया। हमने वर्तमान समय पर उनसे बातें कीं, और बिना दूसरी भेंट का रास्ता देखे ही बहुत-सी बातें तय कर डालीं, किन्तु बाद दूसरी भेंट में कुछ नई बातें पैदा हो सकती हैं, तो हम अपने उन विचारों को, जो इस समय हमारे सामने हैं बदल देने के लिये तैयार हैं।

हम अपने विचारों को इसके साथ के दूसरे पत्र में आपको लिख चुके हैं। हमारे विचारों के संबंध में आपको बहुत कुछ इस पत्र के द्वारा मालूम होगा। हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके संबंध में हम और पिताजी आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। आपके पत्र में लिखी हुई शर्तों में नंबर १

रखने की चेष्टा की है। लॉर्ड इर्विन ने स्वयं अपने छपे हुए पत्र में लिखा है कि वह यह सब अपनी ओर से कर रहे हैं, किंतु जो कुछ वह कर रहे हैं, उससे न तो वह अपने को धोखा देना चाहते हैं, और न अपनी गवर्नमेंट को। संभव है, यह बात हो सके, और इस प्रकार का मार्ग पैदा करने में डॉ० सप्रू और मि० जयकर को सफलता मिले, जो कांग्रेस और सरकार—दोनों को किसी प्रकार का धोखा न दे।

"हम समझौते के संबंध में, बिना महात्माजी तथा अपने अन्य सहयोगियों से परामर्श किए, कोई भी निश्चित बात कहने में असमर्थ हैं, इसलिये सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर की उपस्थित की हुई दलीलों और २३ जुलाई को लिखे हुए महात्माजी के नोट पर, जो उन्होंने हमारे लिये भेजा है, बातें करने में हम विवश हैं। महात्माजी ने अपने नोट में जो शर्तें लिखी हैं, उनमें से हम नंबर २ और ३ में किसी प्रकार सहमत हो सकेंगे, किंतु हम इन शर्तों को और भी स्पष्ट करना पसंद करेंगे, और विशेषकर महात्माजी के नंबर १ की बातों पर अपना मत प्रकट करने के पूर्व महात्माजी तथा अन्य सहयोगियों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि हमारा यह पत्र बिल्कुल गुप्त रक्खा जायगा, और केवल गांधीजी तथा उन्हीं लोगों को दिखाया जा सकेगा, जिन्होंने महात्माजी का २३ जुलाई का नोट देखा है।"

में जो परिवर्तन कर दिया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। भविष्य हमारे लिये क्या लाना चाहता है, मुझे नहीं मालूम ! किन्तु अतीत काल ने हमको सजीव और मूल्यवान् बनाया है, और हमारे शुष्क जीवन में उत्थान की ओर तेजी के साथ दौड़ने में एक अद्भुत गति उत्पन्न कर दी है ! यहाँ नैनी-जेल में बैठकर मैंने अहिंसा-अस्त्र की अद्भुत शक्ति का भली भाँति मनन किया है। उसने मेरे जीवन का बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया है। अहिंसा के सिद्धान्त का देश ने इस समय, और विशेषकर हिंसा की स्वाभाविक उत्पत्ति कर देनेवाले स्थलों के सामने आ जाने पर भी, जिस प्रकार पालन किया है, उससे मेरा विश्वास है कि आप असन्तुष्ट न होंगे।

मैं अब भी आपकी ग्यारह शर्तों के संबंध में असंतोष रखता हूँ। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनमें से किसी एक बात से भी सहमत नहीं। वास्तव में वे बहुत महत्त्व-पूर्ण हैं, किन्तु मैं नहीं समझता कि वे स्वाधीनता की पूर्ति करेंगी ! फिर भी मैं निश्चय-पूर्वक आपकी इस बात से सहमत हूँ कि न होने की अपेक्षा कुछ भी राष्ट्र को शक्ति प्रदान करनेवाले अधिकारों के प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

पिताजी को इंजेक्शन दिया गया है। कल संध्या-काल की बातचीत में बड़े परिश्रम और कष्ट के साथ उन्होंने भाग लिया था।

जवाहरलाल

इन मुलाकातों में महात्माजी ने मि० जयकर से जो बातचीत

से हमारा और साथ ही पिताजी का भी विरोध अवश्य है। मैं नहीं समझता कि वह हमारी आवश्यकता, हमारी माँग और वर्तमान परिस्थितियों की किस प्रकार रक्षा करेगा। पिताजी और साथ ही मैं इस बात से भली भाँति सहमत हूँ कि कुछ समय की संधि के लिये हम लोग समझौता न करेंगे, जो आज हमारी इस पहुँची हुई स्थिति का विफल कर सके। इसीलिये किसी निर्णय तक पहुँचने के पहले ही हमको उसके सबंध में अधिक-से-अधिक सावधानी के साथ सोच समझ लेना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि दूसरी ओर से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, जिस पर बहुत कुछ विश्वास किया जाना चाहिए। इसलिये मुझे अपनी ओर से उपस्थित की जानेवाली बातों में किसी प्रकार का भ्रम और भूल हो जाने का बहुत डर मालूम होता है। मैं स्वयं अपने आपको इस समय बहुत झुका हुआ देखता हूँ, मैं तो युद्ध पसंद करनेवाला आदमी हूँ। इसी के द्वारा मुझे आज अनुभव होता है कि मैं जिंदा हूँ। गत चार महीनों में भारत के स्त्री-पुरुषों और बच्चों ने जो काम किया है, उससे मेरा गर्व बहुत बढ़ गया है, और आज मेरा मस्तक ऊँचा हो रहा है। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ कि बहुत से आदमी युद्ध पसंद नहीं करते, वे शांति चाहते हैं। इसीलिये मैं अपनी आत्मा के खिलाफ, शांति के लिये, इस समझौते पर विचार करता हूँ। आपने अपने पवित्र स्पर्श से भारत को नवीन भारत के रूप

आदि का यरवदा-जेल में परामर्श होता रहा। अंत में एक मंतव्य लिखकर वाइसराय को भेज दिया गया तथा श्रीसप्रू-जयकर भी स्वयं उनसे मिलने शिमले चल दिए। वह मंतव्य इस प्रकार था—

प्रिय मित्रो,

कांग्रेस और ब्रिटिश-गवर्नमेंट के बीच शांति-पूर्ण समझौता कराने के लिये आपने जो प्रयत्न किया है, उसके लिये हम आपके चिर-कृतज्ञ हैं। इसके संबंध में आपके और वाइसराय के बीच जो प्रारंभ में पत्र-व्यवहार हुआ और उसके बाद आपके साथ हम लोगों की जो बातचीत हुई, उसको जानकर हम लोग यह समझते हैं कि अभी समझौता होने का समय नहीं आया। देश के सार्वजनिक जीवन में गत पाँच मास के भीतर जो जागृति उत्पन्न हुई और देश का जिन जिन विपत्तियों तथा हानियों का सामना करना पड़ा है, वे विपत्तियाँ और हानियाँ न तो दब सकती हैं, और न उनका इस प्रकार अंत ही हो सकता है।

आपका और वाइसराय का यह सोचना कितना व्यर्थ और सारहीन है कि सत्याग्रह-आंदोलन देश के लिये हानिकारक है अथवा वह असमय और अनियमित संचालित हुआ है, यह बताने और कहने की आवश्यकता नहीं। अँगरेज़ी इतिहास रक्त-पात और क्रांति का समर्थन करते हैं, उनमें रक्त-पात करनेवाले साधनों का ही उपयोग किया गया है, और

जवानी की, उसके निष्कर्ष स्वरूप नेहरू पिता-पुत्रों के दोनो पत्र पढ़कर महात्माजो ने मि० जयकर को ये बातें लिखा दीं—

(१) कोई ऐसी स्कीम मुझे स्वीकृत न होगी, जिसमें एक तो अपनी इच्छा पर ब्रिटिश-साम्राज्य से संबंध-विच्छेद करने का भारत को अधिकार न हो, और दूसरे भारत को ऐसा अधिकार न दिया जाय, जिससे वह पूर्व प्रकाशित ११ शर्तों के आधार पर, संतोष के साथ, उसको स्वीकृत-अस्वीकृत कर सके!

(२) वाइसराय को मेरी यह अवस्था मालूम होनी चाहिए कि गोल-सभा में जो कुछ मैं करूँगा, उसको देखकर वाइसराय यह बात न सोचें कि गोल-सभा के उपस्थित होने का संयोग आने पर मैं अभिमान में आकर इस प्रकार के विचार प्रकट करता हूँ।

(३) वाइसराय को यह बात भली भाँति मालूम होनी चाहिए कि गोल सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखने का मेरा दृढ़ निश्चय है, जिसके फल-स्वरूप एक निर्वाचित कमेटी, एक ही साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रजा और ब्रिटिश-प्रजा—दोनो को दिए गए अधिकारों पर, निष्पक्ष भाव से, विचार करेगी।

इसके बाद महात्माजी की सम्मति से यह उचित समझा गया कि सब नेता मिलकर परामर्श करें। वाइसराय ने आज्ञा दे दी, और १३-१४ अगस्त को महात्माजी, नेहरू पिता-पुत्र, सप्रू, जयकर, सरदार पटेल, डॉ० महमूद तथा श्रीमती नायडू

सरकारी अधिकारियों के द्वारा भारत के लिये जो पवित्र और शुभचिन्तना-पूर्ण घोषणाएँ हुई हैं, उन पर हमें हार्दिक दुःख है। अपने शासन-काल में अँगरेज़ी राज ने प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था का नाश करके सब प्रकार इसको अयोग्य बना दिया है। वह स्वयं इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकती कि उसने जो कुछ भारत में बढ़कर अपने शासन में किया है, उससे हम बर्बाद होने के अतिरिक्त किसी प्रकार भी उन्नति की ओर अपने पैर नहीं उठा सके।

परंतु हम समझते हैं कि आप और हमारे अन्य कुछ देश के शिक्षित भाई इसके विपरीत सोचते हैं। आप गोल-सभा पर विश्वास करते हैं, इसलिये हम प्रसन्नता के साथ उसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं, और उसके संबंध में हम जो कुछ कर सकते हैं एवं जिन अवस्थाओं में कर सकते हैं, उन सब बातों का निम्न-लिखित पंक्तियों में उल्लेख है—

चार शर्तें

हम समझते हैं कि वाइसराय के पत्र में जो उन्होंने आपको दिया है, जिस सभा का जिक्र है, और उस सभा के लिये जिस भाषा का उपयोग किया गया है, लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत माँगों के आधार पर उसका कोई मूल्य और महत्त्व ही नहीं रह जाता। हम इस समय कुछ भी उत्तरदायित्व के साथ कह सकने में तब तक असमर्थ हैं, जब तक कि हम अपने

उसी की वे हमको शिक्षा देते हैं। ऐसी अवस्था में वाइस-राय अथवा किसी बुद्धिमान् अँगरेज के लिये राजद्रोह की निंदा करना और शांत रहने का दम भरते हुए उसको कुचल डालना क्या अर्थ रखता है ?

सत्याग्रह-आंदोलन द्वारा हम निंदा-पूर्वक लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। देश ने आंदोलन के द्वारा अपनी शक्ति का जो अद्भुत परिचय दिया है, हम तो उसी को महत्त्व देना चाहते हैं। फिर भी यदि संभव हुआ और समय आया, तो सत्याग्रह-आंदोलन प्रसन्नता-पूर्वक बंद अथवा स्थगित होगा। यहाँ पर स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को जेल भेजने का, उन पर लाठियाँ चलवाने का तथा इससे भी अधिक अत्याचार पूर्ण घृणित व्यवहार जो किए गए हैं, उनका ज़िक्र करना अनावश्यक है, और हम स्वयं उसे उचित नहीं समझते। हम आपको और आपके द्वारा वाइसराय को जब इस बात का विश्वास दिलावें कि शांति-पूर्ण समझौते के लिये जितने मार्ग हो सकते हैं, उनका अवलंबन करने में हम कोई बात उठा न रक्खेंगे, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए।

यह प्रकट करने के लिये हम स्वतंत्र हैं कि अभी तक ऐसे कोई चिह्न नहीं दिखाई देते, जिनसे समझौते की संभावना मालूम हो। हम अँगरेज अधिकारियों को यह स्पष्ट बतलाना चाहते हैं कि भारत के स्त्री-पुरुष उसी बात का निर्णय करेंगे, जो भारतवर्ष के लिये सबसे उत्तम होगा। समय-समय पर

अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस ले ले। किंतु उस अवस्था में, विदेशी कपड़ों और शराब की दूकानों पर शांति-पूर्वक उस समय तक *धरना जारी रहेगा, जब तक कि सरकार स्वयं क़ानून* बनाकर उनका भारत में आना रोक न देगी। नमक देश में बराबर बनता रहेगा, किंतु कोई ऐसा क़ानून न रहेगा, जिससे नमक बनाना ग़ैर-क़ानूनी हो। सरकारी नमक के कारख़ानों और प्राइवेट नमक की दूकानों पर चढ़ाइयाँ न होंगी।

(३) सत्याग्रह-आंदोलन के स्थगित होने के साथ-ही-साथ (अ) समस्त सत्याग्रही एवं राजनीतिक क़ैदी, जो किसी ख़ूनी मामले के अपराधी नहीं हैं, चाहे वे सज़ा पा चुके हों अथवा अभी हिरासत में हों, छोड़ दिए जायँगे। (ब) नमक-क़ानून, प्रेस-ऐक्ट, मालगुज़ारी-ऐक्ट आदि के अनुसार जो संपत्ति ज़ब्त हो चुकी है, वापस दे दी जायगी। (स) जिन लोगों ने आंदोलन के कारण सरकारी काम-काज तथा उसके संबंध से इस्तीफ़े दे दिए हैं, उनके इस्तीफ़े वापस देकर उनको अपने अपने कामों पर बहाल कर दिया जायगा। (द) वाइस-राय के बनाए हुए सभी ऑर्डिनेंस रद हो जायँगे।

(४) गोल-सभा में सम्मिलित होने की अवस्था में उसमें उपस्थित किए जानेवाले सभी विषयों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने यहाँ संतोषजनक परामर्श कर लेंगे। किंतु यह सब तभी होगा, जब हमारी ऊपर कही हुई सब बातें स्वीकृत होकर घोषित कर दी जायँगी।

साथ कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी और आवश्यकता पड़ने पर आलइंडिया-कांग्रेस का निर्णय न रक्खें। किंतु आवश्यकता होने पर, बिना कांग्रेस और उसकी कार्यकारिणी कमेटी का परामर्श लिए, हम कह सकते हैं—

(१) कोई भी निर्णय हमें स्वीकृत नहीं हो सकता, जब तक कि (अ) उसमें स्पष्ट रूप से यह न कहा जाय कि भारतवर्ष अपनी इच्छा और आवश्यकता पर साम्राज्य से पृथक् हो जाने का अधिकार रखता है। (ब) भारतवर्ष को उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन, जिसमें महात्माजी की लिखी हुई ११ शर्तों का सम्मिश्रण होगा, और पुलिस, पल्टन और देश की आर्थिक आय उसके अधिकार में होगी, न दिया जायगा। (स) भारतवर्ष को, यदि आवश्यकता होगी, तो इस बात का पूरा अधिकार न होगा, जिससे वह ब्रिटिश प्रजा के पूर्ण अधिकारों को प्राप्त करने के लिये एक निर्वाचित कमेटी के द्वारा निर्णय कराने की व्यवस्था कर सके, जिसमें भारतीय सार्वजनिक ऋण के अन्याय-पूर्ण होने की बात भी सम्मिलित होगी।

नोट—इस प्रकार शासनाधिकार की सभी बातें भारत की आवश्यकता के अनुसार होंगी, जिनका निश्चय निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा।

(२) यदि इन शर्तों का ब्रिटिश सरकार ने उत्तर दिया, और संतोष के साथ वह स्वीकृत हो सका, तो हम आलइंडिया-कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी से सिफ़ारिश कर सकेंगे कि वह

भारत-सरकार का सामना किया, तो वाइसराय इस बात को स्पष्ट रूप से कह देंगे कि गवर्नमेंट इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं। यदि महात्मा गांधी ने इस प्रश्न को धारा-सभा में उठाने का विचार किया, तो वाइसराय सेक्रेटरी आफ स्टेट को उनके इस विचार की सूचना दे देंगे।

(ग) धारा-सभा में भारतीय ऋण के संबंध में प्रश्न उठाने और एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा उसके औचित्य और अनौचित्य के निर्णय का प्रस्ताव करने के लिए किसी को भी अधिकार होगा। किंतु वाइसराय का कहना है कि भारतीय सार्वजनिक ऋण रद करने और उसकी अदायगी में इनकार करने का कोई प्रस्ताव नहीं रक्खा जा सकता।

(घ) नमक-कानून के रद करने के संबंध में वाइसराय का कहना यह है कि (१) यदि साइमन-कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई, तो यह कानून प्रांतीय अधिकारियों के हाथ में चला जायगा। (२) सरकारी मालगुजारी में इतना नुक्सान हुआ है कि सरकार इस कानून को रद करना स्वीकार न करेगी। किंतु यदि व्यवस्थापक सभा में इसको रद करने और इसके स्थान पर कोई दूसरा कर लगाने का प्रस्ताव किया जाय, तो वाइसराय और उनकी गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। जब तक नमक-कर एक कानून के रूप में है, तब तक उसको उठा देने का कार्य वाइसराय के बस में नहीं। यदि यह संधि हो गई, और भारतीय नेताओं ने वाइसराय तथा उनकी गवर्नमेंट

आपके शुभचिंतक—

मोतीलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल
एम्० के० गांधी जयरामदास-दौलतराम
सरोजिनी नायडू सैयद महमूद
जवाहरलाल नेहरू

यह पत्र २१ अगस्त को वाइसराय को मिला। उन्होंने उस पर मंत्रिमंडल-सहित विचार किया। फिर जयकर और सप्रू महाशय से भी विचार होता रहा। अंत में २८ अगस्त को वाइसराय ने एक पत्र सर-सप्रू को लिखा। उसके तथा जबानी बातचीत के आधार पर भी सप्रू-जयकर ने यह मंतव्य प्रकट किया कि इन विचारों के आधार पर हम संधि के उद्योग में लगे थे—

(क) कांग्रेस-नेताओं की माँग के संबंध में वाइसराय का परामर्श, जो उन्होंने हमको २८ अगस्त को लिखे हुए अपने पत्र के दूसरे पैराग्राफ में प्रकट किया है।

(ख) गोल-सभा में साम्राज्य से पृथक् हो जाने का प्रश्न उठाने का अधिकार महात्मा गांधी को होने के लिये यह बात है—जैसा कि वाइसराय ने २८ अगस्त के अपने पत्र में लिखा है—कि सभा तो एक स्वतंत्र सभा होगी, इसलिये उसमें कोई भी व्यक्ति जो विषय पसंद करे, उस पर बोलने और प्रस्ताव करने का अधिकारी है। किंतु वाइसराय का कहना यह है कि महात्मा गांधी को उसके लिये इस समय कहना बिल्कुल अनुचित है। यदि इसके लिये महात्मा गांधी ने आग्रह किया, और

(छ) प्रेस-ऑर्डिनेंस के कारण ज़ब्त किए हुए प्रेस वापस करने में कोई अड़चन न होगी।

(ज) मालगुज़ारी-क़ानून के अनुसार लिए हुए जुर्माने तथा ज़ब्त एवं नीलाम की हुई संपत्ति अथवा रियासत पर तो तीसरे का अधिकार हो गया। जुर्माने की रक़म का वापस करना भी कठिन हो गया। फिर भी यदि संभव हुआ, तो स्थानीय अधिकारी उन मामलों पर फिर विचार करेंगे, और जहाँ तक होगा, वापस करने की शर्त को पूरा करेंगे।

(झ) क़ैदियों को छोड़ने के संबंध में, २८ जुलाई को, हमको लिखे हुए पत्र में, वाइसराय ने स्पष्ट कर ही दिया है।

इन मंतव्यों को पढ़कर नेहरू पिता-पुत्रों तथा डॉ० महमूद ने महात्माजी को एक पत्र लिखा, जिसे लेकर उक्त सज्जन फिर एक बार महात्माजी से मिले। वह पत्र इस प्रकार था—

नैनी-सेंट्रल-जेल
३१।८।३०

कल और आज सर सप्रू और मि० जयकर से भेंट करने का फिर हमको अवसर प्राप्त हुआ। इस भेंट में उनसे ख़ूब बातें हुईं। वाइसराय ने २८ अगस्त को सर सप्रू और मि० जयकर के नाम जो पत्र लिखा था, उस पत्र को आगंतुक महानुभावों ने हमारे सामने रक्खा। इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि हम लोगों ने समझौते के संबंध में सर सप्रू और मि० जयकर के नाम तारीख़

के साथ इस विषय पर बातचीत करनी चाहो कि इसके संबंध में गरीबों को किस प्रकार आर्थिक सुविधाएँ दी जा सकती हैं, तो उस विषय पर विचार करने के लिये प्रसन्नता के साथ वाइसराय भारतीय नेताओं की एक छोटी-सी कान्फ्रेंस करेंगे।

(ङ) पिकेटिंग के संबंध मे वाइसराय का कहना है कि यदि उसने इस प्रकार का रूप धारण किया, जिससे सर्वसाधारण में उत्पात की संभावना हुई, किसी प्रकार समाज में उसने अशांति का जीवन उत्पन्न किया अथवा उसमें किसी के प्रति धमकी, डर पैदा करने के लिये शक्ति का उपयोग किया गया, तो उस दशा में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अथवा अन्य कोई नैतिक प्रयत्न करने के लिये वाइसराय विवश होंगे। और, यदि संधि हो गई एवं पिकेटिंग उठा ली गई, तो उसके खिलाफ लगाए गए आर्डिनेंस भी उठा लिए जायँगे।

(च) आंदोलन के कारण जिन्होंने अपनी नौकरियां से त्याग पत्र दे दिए हैं अथवा जो सरकारी नौकरियों से पृथक् कर दिए गए हैं, उनको फिर उन नौकरियां अथवा स्थानों पर ले लेने के संबंध में वाइसराय का कहना है कि यह प्रश्न स्थानीय अधिकारियों से संबंध रखता है, फिर भी यदि उनके स्थान खाली होंगे, और उनके स्थानों पर किसी की नियुक्ति न हो चुकी होगी और वे सरकारी नौकर रह चुके होंगे तथा अपनी सेवाओं में वे राजभक्त साबित हो चुके होंगे, तो स्थानीय अधिकारी उनको पुनर्वार नियुक्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

सरकार की ओर से जो व्यवहार किया जा रहा है, और वाइसराय की ओर से जो पत्र लिखा गया है, उसका एक-एक अक्षर यह साबित करता है कि समझौता करने की सरकार की इच्छा नहीं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का गैर-कानूनी संस्था करार देना और आंदोलन के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का गिरफ्तार करना सिवा इसके और क्या अर्थ रखता है? हम इन गिरफ्तारियों और अमानुषिक व्यवहारों की कोई शिकायत नहीं करना चाहते, वरन् हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे ऐसा लिखने का अभिप्राय केवल यह है कि समझौते के संबंध में सरकार की इच्छा और अनिच्छा का हम भली भाँति जानते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में वर्किंग कमेटी का अस्तित्व मिटाने की इच्छा और उसकी बैठकों को रोकने का प्रयत्न यह अर्थ रखता है कि आंदोलन बराबर चलता रहे, और समझौता न हो, और सरकारी जेलें आंदोलनकारियों से भरी रहें।

लॉर्ड इरविन का पत्र और ब्रिटिश सरकार का व्यवहार इस बात को स्पष्ट करता है कि सर सप्रू और मि० जयकर की कोशिशों का कोई नतीजा न निकले। हमारे और लॉर्ड इरविन के बीच जो अवस्था है, उसकी एक-एक बात पर विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता थी, किंतु वैसा न करके हम लॉर्ड इरविन के पत्र की खास-खास बातों का ही यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं। प्रारंभ में वाइसराय

१४ अगस्त को जो पत्र लिखा था, उसके अनुसार एक भी बात संभव नहीं हो सकी, और सर तेजबहादुर सप्रू तथा मि० जयकर ने समझौते के लिये जो परिश्रम किया, वह बिल्कुल बेकार गया, उसका कोई भी नतीजा न निकला। ता० १४ अगस्त को कांग्रेस के नेताओं ने जो पत्र लिखा था, आप जानते हैं कि उस पर हस्ताक्षर करनेवालों ने पत्र को कितना सोच-विचार-कर लिखा था, और जो कुछ उसमें प्रस्तावित किया गया था, वह सब व्यक्तिगत शक्तियों के आधार पर था। उसमें हम लोगों ने जो लिखा था, उसका यह स्पष्ट अर्थ था कि तब तक कोई भी निर्णय संतोष-जनक नहीं हो सकता, जब तक हमारी प्रस्तावित बातों के खास-खास अंश पूरे नहीं हो जाते और हमारी शर्तों के अनुसार ब्रिटिश सरकार संतोष-जनक घोषणा नहीं कर देती। यदि इस प्रकार की घोषणा हो जाय, तो सत्याग्रह-आंदोलन स्थगित करने के लिये हम लोग कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी से सिफारिश करेंगे, जिसके साथ ही हमारे आंदोलन के प्रति वाइसराय ने जो क़ानूनी हमले किए हैं, और जिनका हवाला हमारे पत्र में दिया जा चुका है, उन सबको ब्रिटिश सरकार वापस ले लेगी। यह तो था फिलहाल संतोष-जनक समझौता, जिसके आधार पर एक स्कीम तैयार की जाती, जिसका निर्णय लंदन में होनेवाली गोल-सभा में होता। लॉर्ड इरविन हमारी प्रस्तावित बातों पर बातचीत करना भी असंभव समझते हैं। ऐसी अवस्था में समझौते का कोई भी आशय नहीं है।

कही गई हैं। हम लोगों से यह भी कहा जाता है कि यदि भारत के ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाने का प्रश्न उठाया जायगा, तो लॉर्ड इरविन साफ़ कह देंगे कि वह इस प्रश्न को मानने और उस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं, और महात्मा गांधी यदि न मानेंगे, तो लॉर्ड इरविन महात्माजी के इन विचारों की सेक्रेटरी आफ़-स्टेट को सूचना दे देंगे।

लॉर्ड इरविन केवल कुछ विशेष आर्थिक मामलों की जाँच की जाने की बात स्वीकार करते हैं। यह प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है, जो केवल ब्रिटिश-प्रजा के समस्त अधिकारों को अपनी सीमा के अंतर्गत कर लेता है, और वह बात भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, जो भारतीय ऋण के नाम से हमारे पत्र में लिखी गई है।

राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के संबंध में जो बात लॉर्ड इरविन ने अपने पत्र में लिखी है, वह अत्यंत रत्नकर्नों से भरी हुई और असंतोष पूर्ण है। निश्चय-पूर्वक यह बतलाने में वह असमर्थ हैं कि राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जायँगे। वह इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के हाथ में छोड़ देना चाहते हैं। हम स्थानीय अधिकारियों और अफ़सरों की सहानुभूति तथा दया पर विश्वास नहीं कर सकते। लॉर्ड इरविन के पत्र में इससे अधिक किसी बात का, इन कैदियों के छोड़ने के बारे में, ज़िक्र नहीं है। कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी तादाद में, राजनीतिक अभियोगों में, जेलों में भेजे जा चुके हैं। मेरठ के अभियोग में जो

ने अपनी उन बातों को दुहराया है, जिनको उन्होंने एसेंबली के भाषण में कहा था। पत्र में कुछ इस प्रकार के शब्दों की भरमार है, जिनका कोई एक अर्थ नहीं होता। उन दुटप्पी बातों का कोई भी जब जो चाहे, मतलब निकाल सकता है। हमने अपने पत्र में यह साफ कर दिया था कि भारत में यथासंभव शीघ्र एक ऐसी पूर्ण स्वतंत्र शासन की व्यवस्था हो, जो भारतवासियों के सामने उत्तरदायी हो। देश की सेनाओं और आर्थिक प्रश्नों पर इस नवीन सरकार का पूरा-पूरा अधिकार होगा। हमारे सामने न तो किसी प्रकार की देरी का प्रश्न है, और न उसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश है। ब्रिटिश सरकार के हाथ से नई सरकार के हाथ में अधिकार आने में कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। उस व्यवस्था का भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्णय करेंगे।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी होगी कि भारत जब चाहेगा, अपनी इच्छा और आवश्यकता पर ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जायगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि अपने उस आर्थिक प्रश्न का, जो उसके ऊपर ऋण के रूप में दिखाया जाता है, एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा निर्णय करा सके! इन सब बातों के संबंध में हमसे केवल यह कहा जाता है कि गोल-सभा बिल्कुल स्वतंत्र होगी, वहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि लोग प्रश्न उठा सकेंगे। ये तो वही बातें हैं, जो पहले कही जा चुकी हैं। इसमें नई बातें क्या

कपड़ों और शराब की दूकानों पर पिकेटिंग के संबंध में हमसे कहा जाता है कि वाइसराय पिकेटिंग-आर्डीनेंस उठा लेने के लिये तैयार हैं, किंतु लॉर्ड इर्विन का कहना है कि यदि हमने आवश्यक समझा, तो उसके खिलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई, नए और पुराने क़ानूनों के आधार पर, कर सकेंगे। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट प्रकट कर दिया है कि यदि हम आवश्यकता समझेंगे, तो उसे रोकने के लिये न केवल पुराने वरन नवीन क़ानून बनाकर उपयोग में लावेंगे।

नमक-क़ानून के संबंध में भी—जिसका उल्लेख हमारे पत्र में किया गया है—जो कुछ लॉर्ड इर्विन लिखते हैं, वह संपूर्ण असंतोष-जनक है। हम आपके सामने, उसके संबंध में, अधिक कुछ नहीं रखना चाहते, और न नमक-कर के संबंध में आपके सामने कोई बात रखने की ज़रूरत ही है। हमारे कहने का अभिप्राय यह कि हम अब तक कोई ऐसी बात नहीं देखते, जो हमारी परिस्थितियों पर संतोष-जनक उत्तर रखती हो।

समझौते के संबंध में हम लोगों ने जो पत्र लिखा था, और उसके उत्तर में लॉर्ड इर्विन ने जो पत्र लिखा है, इन दोनो पत्रों में अंतर है, और अंतर है ज़मीन-आसमान का। हमें विश्वास है कि आप यह पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ-भाई पटेल और मि० जयरामदास दौलतराम को दिखाएँगे, और उनकी सम्मति लेकर सर तेजबहादुर सप्रू तथा मि० जयकर को अपना जवाब दे देंगे।

लोग गिरफ्तार किए गए थे, वे डेढ़ साल मे हवालात मे मड़ रहे हैं। हमने अपने पत्र मे जिन राजनोतिक कैदियों के छोड़ने का उल्लेख किया है, उनमे ये कैदी भी हैं।

बंगाल, लाहौर के मामलों के सबंध मे, जैसा कि लॉर्ड इरविन ने कहा है, हम समझते हैं कि कोई विशेष बात नहीं है। हम उन कैदियों के छोडे जाने की बात नहीं कहते, जो खूनी अभियोगों मे गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा हमारा ध्येय नहीं। खूनी अभियुक्तों के छोडने की बात हम नहीं कह सकते। हाँ, उनके संबध मे इतना कह सकते हैं कि उनके मुक़द्मों के फ़ैसले का इतना लंबा समय न लेकर साधारण समय मे—जो अदालत के लिये आवश्यक हो—निर्णय कर दिया जाय। हमें उन घटनाओं के संबध मे भी आश्चर्य है, जो खुली अदालत मे क़ैदियों के साथ, अन्याय के रूप में, होती हैं, और वे भी उनके मुक़द्मे के समय! उस समय ये असाधारण आक्रमण न होने चाहिए। हम जानते हैं कि दुर्व्यवहारों के प्रति क़ैदियों ने अनशन किया है और अधिक दिनों तक किया है और अपने इस अनशन में मृत्यु की घड़ियाँ गिनने की अवस्था मे वे पहुँच गए हैं। बंगाल-कौंसिल के द्वारा बंगाल-आर्डीनेंस को स्थान मिला है, हम आर्डीनेंस को और इसके आधार पर बने हुए किसी भी क़ानून को बहुत अनुचित समझते हैं। बंगाल-कौंसिल के जिन सभासदों ने इसको पास किया है, वे देश के बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने इसको पास करके कुछ अच्छा नहीं किया। भविष्य में विदेशी

उसे हमने ध्यान-पूर्वक पढ़ा, और आपका लिखी हुई उन बातों को भी पढ़ा, जिनके आधार पर वाइसराय समझौता करना चाहते हैं। उस पत्र का भी हमने देखा, जो पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ० महमूद ने हस्ताक्षर करके आपकी मारफ़त भेजा है। इस पत्र में हस्ताक्षर करनेवालों ने समझौते के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। मैंने सभी पत्रों और तत्संबंधी कागज़ों को बड़ी सतर्कता के साथ पढ़ा है, और अत्यंत स्वतंत्र भाव से आपके साथ बातें की हैं। समझौते की परिस्थिति पर विचार करते हुए दो रातें हमने बड़ी चिंता के साथ बिताई हैं, और सबके अंत में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो सकने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता।

समझौते के संबंध में नैनी-जेल से नेताओं ने इस बार आपकी मारफ़त जो पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे हम सहमत हैं। किंतु उनकी यह इच्छा है कि समझौते के संबंध में, जिसको देश-भक्ति के भावों से प्रेरित होकर आपने त्याग और परिश्रम के साथ पूरा करने के लिये कठिन परिश्रम किया है, हमारे ही द्वारा अंतिम निर्णय हो। इसलिये उसका जवाब देते हुए अत्यंत संक्षेप के साथ हम उन कठिनाइयों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे, जो समझौते के मार्ग में खड़ी हो रही हैं।

वाइसराय ने १६ जुलाई को आपको जो पत्र लिखा है, और

हमारा विचार है कि समझौते के संबंध में सब बातें प्रकाशित करने में अब अधिक विलंब न किया जाय। इसलिये कि अब सर्वसाधारण को अंधकार में रखना उचित न होगा। इसके लिये हम सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर से अनुरोध करेंगे कि वे समझौते के संबंध में जो पत्र व्यवहार हुआ है, वह सब प्रकाशित कर दें, और उस कार्यवाही की एक प्रति कांग्रेस के स्थानापन्न सभापति चौधरी खलीकुज्जमा के पास भेज दें। हम समझते हैं कि इसके संबंध में हमको कुछ भी न करना चाहिए, जब तक कि वर्किंग कमेटी हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना न दे।

नैनी सेंट्रल-जेल
३१। ८। ३०

मोतीलाल
सैयद महमूद
जवाहरलाल

५ सितंबर को १ बजे फिर महात्माजी और कांग्रेस के नेताओं के साथ सप्रू-जयकर-सम्मेलन हुआ। १ घंटे तक विवाद होता रहा। अंत में महात्माजी ने समझौते से इनकार कर दिया। इस समय उन्होंने इन दोनों सज्जनों को एक पत्र दिया। वह इस प्रकार था—

यरवदा सेंट्रल-जेल
५। ६। ३०

प्रिय मित्रो,

वाइसराय ने २८ अगस्त को आपके नाम जो पत्र लिखा है,

के लिये कुछ शर्तें पेश की जायँ, और उन पर विचार हो। हम इँगलैंड में रहनेवाले अँगरेजों के साथ उन शर्तों पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करेंगे एक राष्ट्र के प्रतिनिधि होने की हैसियत से, दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ, समान अधिकारी होकर। ?

मोतीलालजी की स्वीकृति

भारत को उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन का अधिकार दिया जाय, सरकार इसका समर्थन करेगी। इतने दिनों के सहयोग-काल के नाते भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच परस्पर क्या व्यवहार होंगे, नई सरकार की स्थापना में किन किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, ये बातें गोल सभा में निर्धारित होंगी।

वाइसराय की इच्छा

यह मेरी वास्तव में इच्छा है, और जैसा कि मेरी सरकार भी चाहती है, जिसके संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं कि भारतीय लोगों के उन प्रयत्नों में सब प्रकार सहायता की जाय, जो वे अपने यहाँ प्रबंध करने के लिये करें, और जिसके कर सकने के लिये वे क्षमता प्रदर्शित करें। किंतु कुछ बातों का उत्तरदायित्व लेने के लिये ये अभी समर्थ नहीं। ये मामले क्या हो सकते हैं, और किस प्रकार के प्रबंध भारतीय लोगों के लिये उपयोगी हो सकते हैं—ये बातें गोल-सभा से संबंध रखती हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि बिना दोनो के परस्पर एक दूसरे पर विश्वास किए कुछ भी निर्णय हो सकता है।

जिसके आधार पर आपको समझौते के लिये खड़ा होना पड़ा है, वह हमारे सामने है। और, वह पत्र भी हमारे सामने है, जिसमें समझौते के संबंध में पंडित मोतीलाल नेहरू और मि० स्लोकोंब के बीच तारीख २० जून को कुछ शर्तें निर्धारित हुई हैं, जिन्हें पंडित मोतीलाल नेहरू ने २५ जून को स्वीकार किया है। इसी पत्र के आधार पर १६ जुलाई को जो पत्र वाइसराय ने आपके नाम लिखा है, खेद है, उसमें हमें कोई भी संतापजनक बात नहीं मिलती। यहाँ प्रसंग वश पंडित मोतीलाल नेहरू की स्वीकृत की हुई शर्तों का और वाइसराय के लिखे हुए पत्र का कुछ उल्लेख करना आवश्यक हो गया है।

शर्तें

यदि गोल-सभा की शर्तें स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दी जायँ, तो हम डोमीनियन-स्टेटस का प्रश्न लेकर उस कान्फ्रेंस में जा सकते हैं। यदि यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया जाय कि गोल-सभा भारतवर्ष के लिये डोमीनियन स्टेटस की व्यवस्था करेगी, और उन व्यवहारों का निर्णय करेगी, जो भविष्य में भारतीय राष्ट्र और ग्रेट ब्रिटेन, दोनों के बीच बर्ते जायँगे, एवं उन बातों का तत्काल निर्णय करेगी, जिनको भारतवर्ष चाहता है, तो मैं कांग्रेस से सिफारिश करूँगा कि वह लंदन में होनेवाली इस सभा का निमंत्रण स्वीकार कर ले। हम अपने घर के स्वयं ही मालिक होंगे। लेकिन हम इसके लिये तैयार हैं कि ब्रिटिश-शासन के स्थान पर उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन की व्यवस्था करने

वाइसराय स्पष्ट रूप से यह कह देंगे कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये वह तैयार नहीं। एक ओर यह अवस्था है, और दूसरी ओर भारत की स्वतंत्र व्यवस्था का प्रश्न है। यदि भारतवर्ष उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था का निर्माण करने जा रहा है, तो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर। भारत अब अधिक समय तक साम्राज्य के अन्तर्गत उसका एक अंश न रहकर कामनवेल्थ का समान अधिकारी होने जा रहा है। वह केवल इसी आवश्यकता और उत्सुकता का अनुभव कर रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब तक ब्रिटिश सरकार हमारी इस आवश्यकता के सामने सिर नहीं झुकाती, तब तक हमारी यह आज़ादी की लड़ाई बराबर जारी रहेगी। नमक-कर के संबंध में हमने एक साधारण प्रस्ताव किया था। उसके संबंध में वाइसराय ने जो अपना मत प्रकट किया है, उससे बड़ा दुःख होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि शिमला शिखर पर निवास करनेवाले भारत के शासक खेतों में काम करनेवाले गरीब किसानों और मज़दूरों की विपदाओं और कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में नमक एक ऐसी चीज़ है, जिसकी, हवा और जल के बाद, गरीबों को सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। इस नमक पर सरकार ने जो अपना एक-मात्र अधिकार जमा रक्खा है, इसके विरोध में निरपराध आदमियों ने गत पाँच

हम समझते हैं कि दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। कहाँ पंडित मोतीलालजी के शब्दों में स्वतंत्र भारत के लिये गोल सभा के द्वारा उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की व्यवस्था और कहाँ वाइसराय के पत्र मे वाइसराय और उनकी गवर्नमेंट और ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल की इच्छा, जो भारतीयों को प्रबंध करने के संबंध में सहायता करने के लिये है, जिस पर वाइसराय को कोई संदेह नहीं, और यह भी निश्चित है कि जिसके लिये भारत के लोग अभी समर्थ नहीं हैं। वाइसराय के पत्र में जिन बातों का आभास मिलता है, वह आभास हमके पहले भी सुधारों की टीका-टिप्पणी करते हुए Lansdowne Reforms के रूप में मिला था। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा० महमूद के हस्ताक्षरों के साथ जो पत्र लिखा गया था, उसमें उल्लेख की गई बातों के उपयुक्त होने मे हमें बार-बार संदेह होता था, यद्यपि उसमें यह बताया गया था कि कांग्रेस का कौन-सा निर्णय स्वीकार हो सकता है। आपको वाइसराय से जो अंतिम पत्र मिला है, उसमें उन्होंने अपनी उन्हीं पुरानी बातों को दुहराया है, जिनको वे अपने पहले पत्र में लिख चुके थे। ऐसी अवस्था में हमने जो पत्र लिखा था, उस पर हमको पश्चात्ताप है। पत्र में जिन बातों का उल्लेख है, वे सार-हीन और अव्यवहार्य हैं, आपने यह कहकर परिस्थिति को और भी साफ़ कर दिया है। यदि म० गांधी ने साम्राज्य से पृथक् हो जाने के संबंध में प्रस्ताव करने का विचार किया, तो

युद्ध में उपयोग किया है, उसकी शक्ति और सफलता से शासक बिल्कुल अपरिचित हैं, इसलिये उनको इसकी शक्ति और मर्यादा के समझने में कुछ समय लगेगा। इधर कुछ महीनों के हमारे कष्ट-सहन और बलिदान से यदि शासकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस देश में जो उन्होंने अपने स्वार्थों की स्थापना की है अथवा जो उन्होंने अपने लिये यहाँ पर अधिकार प्राप्त किए हैं, कांग्रेस उनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुँचाना चाहती। भारत का यह युद्ध अँगरेजों के साथ नहीं है, किंतु इस देश में ब्रिटिश-साम्राज्य का जो असह्य प्रभुत्व है, उसका नैतिक रूप से भारत विरोध करता है, और असंतोष के साथ अंत तक उसे हटाने का प्रयत्न करेगा। हमारा यह प्रयत्न अंत तक अहिंसात्मक रहेगा, और इसीलिये हमारे इस प्रयत्न में सफलता भी निश्चित है, यद्यपि अधिकारी लोग हमारे इस प्रयत्न का अत्यंत कटुता और अपमान के साथ देखते हैं।

अंत में हम आप लोगों को, फिर एक बार, शांति-स्थापन के अर्थ आपके कष्ट और प्रयत्न के लिये, धन्यवाद देते हैं, और साथ ही यह भी बताए देते हैं कि अभी ऐसा समय नहीं आया, जब समझौते की संभावना समझी जाय। कांग्रेस के प्रधान कार्य-कर्त्ता और अधिकारी इस समय जेल में बंद हैं। हम लोगों ने इस संबंध में जो कुछ किया, वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर। इस-लिये हमारी शर्तों और उपस्थित की गई शर्तों में कदाचित् कुछ भूलें

महीनों में अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार यह नहीं समझ सकी कि यह कर कितना अन्याय पूर्ण है, तो फिर वाइसराय के साथ भारतीय नेताओं के समझौते की कोई कान्फ्रेंस नहीं हो सकती। वाइसराय का कहना है कि जो लोग इस कर को रद करावें, वे इतनी ही आय के किसी दूसरे कर के लगाए जाने का प्रस्ताव करें। वाइसराय ने यह कहकर न केवल भारत को दूसरी हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया है, वरन् भारतीय नेताओं का अपमान किया है। ये सब बातें इस बात का प्रमाण हैं कि इस प्रकार भारत को हर प्रकार कुचलनेवाली शासन-प्रणाली अनंत काल तक जारी रहेगी। हम यह भी बता देना चाहते हैं कि न केवल भारत-सरकार, किंतु समस्त संसार की सरकारें उन कानूनों के बनाए रखने की चेष्टा करती हैं, जिनको जनता अनुचित समझती है, और क़ानूनों के रूप में आ जाने पर उनका अस्तित्व जल्दी नहीं मिटता।

नमक के अतिरिक्त जनता की माँग के संबंध में हमने जो बातें उपस्थित की थीं, सरकार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने जिन शर्तों को उपस्थित किया है, उनको देखते हुए भारत और भारत-सरकार के बीच एक विशाल अंतर है। ऐसी अवस्था में समझौता हो सकना कैसे संभव था? अतएव समझौता विफल हो जाने के कारण किसी प्रकार का असंतोष अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस और सरकार के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा है। राष्ट्र ने जिस अस्त्र का हम

सर तेजबहादुर सप्रू

श्रीयुत जयकर
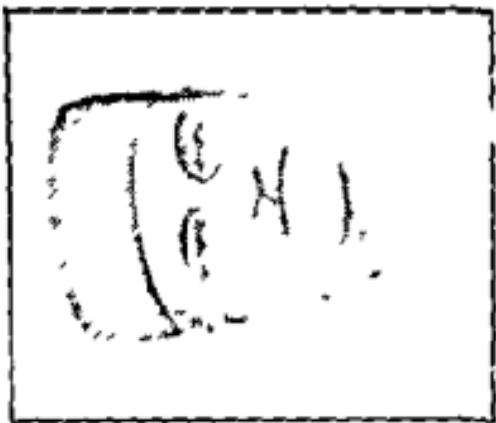
हो गई हों। ऐसी अवस्था में इस समय जिनके हाथों में कांग्रेस का कार्य है, उन लोगों में से किसी ने यदि हम लोगों से मिलना चाहा, और शांति की स्थापना के लिये स्वयं सरकार भी उत्सुक हुई, तो फिर हम तक उनके पहुँचने में कोई कठिनाई न होगी।

मो० क० गांधी वल्लभभाई पटेल
सरोजिनी नायडू जयरामदास-दौलतराम

सप्रू जयकर के बाद मि० एलेक्जेंडर ने संधि-चर्चा शुरू की। आप इँगलैंड के फ्रेंड्स एसोसिएशन के एक कार्यकर्ता हैं, और २२ जुलाई सन ३० को भारत में पहुँचे थे। उक्त एसोसिएशन का उद्देश्य संसार में शांति स्थापित करना है। मि० एलेक्जेंडर ने अर्थ-सदस्य मि० जॉर्ज शुस्टर और इरविन से १० दिन तक शिमले में बात की, और अपनी एक गुप्त संधि योजना पेश की। लॉर्ड इरविन ने योजना देखकर उसे कांग्रेस-नेताओं को दिखाने को कहा। इसलिये वह डॉ० अंसारी से (जो उस समय स्थानापन्न प्रेसिडेंट थे) मिलने दिल्ली चल दिए। लेकिन दिल्ली पहुँचने के कुछ ही पहले डॉ० अंसारी आदि सब लीडर गिरफ्तार कर लिए गए थे। अतः वह बंबई गए, और ६ अगस्त को वहाँ के गवर्नर से भेंट की। ७ को यरवदा-जेल में गांधी से एकांत में बात की। फिर वह इलाहाबाद प० जवाहरलाल से मिलने आए। वह नैनी-जेल पहुँचे, पर अधिकारियों ने भेंट न करने दी। फिर वह मंसूरी गए, और मोतीलालजी से बात की। पर फल कुछ न हुआ, और यह चर्चा भी रही हुई।

दसवाँ अध्याय

प्रतिनिधि

गोलसभा में सम्मिलित होने के लिये जो प्रतिनिधि चुने गए थे, वे इस प्रकार थे—

भारतीय प्रतिनिधि

१—सर तेजबहादुर सप्रू, २—श्रीयुत एम० आर० जयकर, ३—डॉक्टर मुंजे ४—श्रीयुत वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, ५—राजा नरेंद्रनाथ, ६—सर पी० सी० मित्तर, ७—मिस्टर एम० ए० जिन्ना, ८—मौलाना मुहम्मदअली, ९—श्रीयुत जे० एन० बसु, १०—सर मुहम्मद शफी, ११—श्रीयुत एन० एम० जोशी, १२—सर फिरोज सेठना, १३—श्रीयुत नरेंद्रनाथ लॉ, १४—श्रीयुत आर० डी० रंगनेकर, १५—श्रीयुत ए० के० फज़लुलहक़, १६—श्रीयुत एम० रामचंद्र राव, १७—हिज हाइनेस दि आगाखाँ, १८—श्रीयुत ए० टी० पानीरसेलवम, १९—सर ए० पी० पेट्रो, २०—पार्लाकिमेडी के राजा साहब, २१—श्रीयुत एच० पी० मोदी, २२—श्रीयुत ए० रामास्वामी मुदालियर, २३—नवाब सुल्तान अहमदखाँ, २४—श्रीयुत बी० वी० यादव, २५—सर शाहनवाज गुलाम हसनखाँ भुट्टो, २६—नवाब मुहम्मद यूसुफ, २७—श्रीयुत ए० एच० गजनवी, २८—दरभंगा

स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली

माननीय श्रीनिवास शास्त्री

शंकर पट्टनी, ७२—सर मनू भाई मेहता, ७३—कर्नल के० एन्० हक्सर।

ब्रिटिश-प्रतिनिधि

७४—श्रीयुत रेमजे मेकडॉनेल्ड (लेवर), ७५—लार्ड शेनकी (लेवर), ७६—श्रीयुत वेजवुड बेन (लेवर), ७७—श्रीयुत आर्थर हेंडरसन (लेवर), ७८—श्रीयुत जे० ए० टॉमस (लेवर), ७९—लॉर्ड पील (कंजरवेटिव), ८०—सर सेमुअल होर (कंजरवेटिव), ८१—लॉर्ड रीडिंग (लिवरल), ८२—श्रीयुत ऑलिवर स्टेनले (कंजरवेटिव), ८३—मारकिस ऑफ़ लोथियन (लिवरल), ८४—सर रॉबर्ट हैमिल्टन (लिवरल), ८५—श्रीयुत आइज़क फुट (लिवरल), ८६—मारकिस ऑफ़ ज़ेटलैंड (कंजरवेटिव)।

सलाहकारों की हैसियत से

८७—सर चार्ल्स इंस, ८८—मिस्टर एच्० जी० हेग, ८९—सर ए० मेकवाटर्स, ९०—मिस्टर एल्० डब्ल्यू० रेनॉल्ड्ज़, ९१—सर मालकम हेली, ९२—मिस्टर आर० ए० एच्० कार्टर (सेक्रेटरी जनरल)।

(क) राव बहादुर आर० श्रीनिवास, (ख) डा० शफ़ात अहमदखाँ, (ग) सर इब्राहीम रहमतुल्ला।

इन प्रतिनिधियों के चुनने पर, लॉर्ड इरविन ने, पंजाब-सरकार की ओर से दिए गए २९ सितंबर के भोज में, जो शिमले में दिया गया था, अपने भाषण में कहा था।

के महाराजा बहादुर, २६—श्रीयुत के० टी० पाल, ३०—श्रीयुत एम्० एम्० ओन लाइन, ३१—सर पी० सी० रामस्वामी अय्यर, ३२—सरदार उज्जलसिंह, ३३—सर कावसजी जहाँगीर, ३४—श्रीयुत शिवाराव, ३५—नवाब सर ए० कय्यूमखाँ, ३६—डॉक्टर बी० आर० अंबेडकर, ३७—श्रीयुत यू० बी० पे, ३८—श्रीयुत चंद्रधर बरुआ, ३९—श्रीयुत शाहनवाजखाँ, ४०—सर हरबर्ट कार, ४१—श्रीयुत सी० वाई० चिंतामणि, ४२—कर्नल एच्० ए० ज० गिडनी, ४३—खानबहादुर हफ़ीज़ हिदायतहुसेन, ४४—श्रीयुत टी० जे० गेविन जोंस, ४५—सर चिम्मनलाल सीतलवाड, ४६—रावबहादुर सिंहप्पा टाटप्पा, ४७—छतारी के नवाब साहब, ४८—राजा कृष्णचंद्र, ४९—सरदार संपूरनसिंह, ५०—केप्टन राजा शेरमुहम्मदखाँ, ५१—श्रीयुत एम्० बी० तावे, ५२—श्रीयुत यू० आँगथिन, ५३—श्रीयुत सी० ई० वुड, ५४—श्रीयुत ज़फ़रुल्लाखाँ, ५५—सर पी० एन० मित्र, ५६—श्रीमती शाहनवाज़, ५७—श्रीमती सुब्रायन ।

रियासतों के प्रतिनिधि

५८—महाराजा बीकानेर, ५९—महाराजा अलवर, ६०—महाराजा काश्मीर, ६१—महाराजा नवानगर, ६२—महाराजा पटियाला, ६३—महाराजा धौलपुर, ६४—साँगली के चीफ़, ६५—श्रीयुत बी० टी० कृष्नम आचारियर, ६६—सर मिर्ज़ा एम्० इस्माइल, ६७—नवाब भोपाल, ६८—सर अकबर हैदरी, ६९—महाराजा बड़ौदा, ७०—महाराजा रीवाँ, ७१—सर प्रभा-

सममौते में खासी पंचायत जमा हो गई थी। कांग्रेस की ओर से तो कोई सदस्य गया ही न था। कांग्रेस के सिवा जो दूसरे दल देश में हैं, और गोल-सभा में गए, उनमें लिबरल पार्टी ही बलशाली थी। इस पार्टी के प्रमुख सदस्य सर तेजबहादुर सप्रू की सम्मति में उस समय गोल-सभा न तो विशेष आशा ही बँधानेवाली थी, और न विशेष निराश ही करती थी। श्रीनिवास शास्त्री ने कहा था—"कांग्रेस के न शरीक होने से बाधा अवश्य पड़ी, पर जो सदस्य चुने गए हैं, वे संतापप्रद और यथेष्ट हैं।" तीसरे प्रमुख सदस्य सी० वाई० चिंतामणि ने कहा था—"गोल सभा में हम किसी प्रसन्नता के साथ नहीं जा रहे। हमारा कर्तव्य महान् है, और हमारी अवस्था संकट-जनक।"

मौलाना का बलिदान

गोल-सभा के प्रतापी सदस्य मौलाना मुहम्मदअली ने अघटित रूप से गोल-सभा को आत्म-बलिदान दिया। यद्यपि उन्होंने अपने भाषण में ललकारकर कहा था कि यदि मेरे मुल्क को अँगरेज आजादी नहीं देंगे, तो मेरी क़ब्र के लिये जगह देनी होगी। परंतु यह किसी को भी भरोसा न था कि वह इस प्रकार सचमुच ही अपना बलिदान दे देंगे।

भारत से रवाना होने के समय आप अस्वस्थ थे, और आपको कुर्सी पर बैठाकर जहाज में सवार कराया गया था। वहाँ आप कड़ी मेहनत करते रहे। भाषण, लेखन, मुलाक़ातों में निरंतर व्यस्त रहे। उधर डॉक्टर लोग देख भाल भी करते रहे।

"मैंने गोल-सभा के लिये जिन भारतीय प्रतिनिधियों को चुना है, मुझे आशा है, देश सहमत होगा। कांग्रेस ने गोल-सभा में जाना अस्वीकार कर भयानक अदूरदर्शिता दिखाई है। हमने शक्ति-भर मेल की कोशिश की, पर सफलता न मिल सकी। कांग्रेस-नेता हमसे निजी तौर पर विश्वास दिलाने को कहते थे, पर वह बात मुझे पसंद नहीं। मैं सब कुछ प्रकट रीति से करना चाहता हूँ। मेरे बड़े-से-बड़े विरोधी भी मुझ पर दुरंगी नीति ग्रहण करने का दोष नहीं लगा सकते। कांग्रेस के साथ किसी भी गुप्त प्रतिज्ञा का करना ठीक नहीं था। भारत के अन्य दलों के साथ हम विश्वासघात कैसे कर सकते थे। कांग्रेस ने देश का भीषण क्षति पहुँचाई है। विलायत के व्यापार का धक्का लगा है . . ।"

सभा में भारत और इंगलैंड के दल तो दो ही थे, परंतु परिस्थितियों के कारण उनमें कई उप-विभाग भी हो गए थे। भारत में और देशी राज्यों ब्रिटिश भारत के प्रधान विभागों के सिवा आर्थिक और धार्मिक समस्याओं को लेकर कुछ और उप-विभाग भी बन गए थे। विलायत की ओर से एक तो पार्लियामेंट का दल था, और दूसरा भारत-सरकार का। पार्लियामेंट का एक ही दल हो, सो बात नहीं थी। उसमें भी मजदूर, लिबरल और अनुदारदल, य तीन खंड थे। भारत का समष्टि-रूप से एक दल था, यह मान सकते हैं; यद्यपि लॉर्ड इरविन और उनके सहयोगी प्रायः भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों के भाव मानते रहे। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन के

हम दो ही आदमी थे, तो भी मौलाना इतने जोर से बोल रहे थे, जैसे १० हजार की हाजिरी में व्याख्यान दे रहे हों।"

स्व० मौलाना ने गोल सभा में जो भाषण दिया था, उसका मर्म इस तरह है—

"मुझे इस बात का दावा नहीं कि मुझमें आर्य-रक्त मौजूद है, किंतु मुझे इस बात का अवश्य दावा है कि जो रक्त लॉर्ड रीडिंग की धमनियों में दौड़ रहा है, वही रक्त मुझमें भी मौजूद है। आज मैं सात हजार मील समुद्र पार करके भारत की समस्या के भीषण प्रश्न पर विचार करने के लिये आया हूँ। जहाँ भारत और इस्लाम का प्रश्न है, वहाँ मैं पागल हूँ। 'डेली हेरल्ड' का कहना है कि 'मैं शिक्षित हूँ, सरकार का साथ देने में मैं देश-द्रोही और धोखेबाज हूँ, और मैं सरकार के साथ सहयोग दे रहा हूँ।' इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे पवित्र कामों के लिये परमात्मा के नाम पर शैतानों के साथ भी काम करने के लिये मैं तैयार हूँ। मेरे सामने मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है, उसी के लिये मैं आज सात हजार मील समुद्र पार करके आया हूँ। उस उद्देश्य की पूर्ति में ही मैं अपने जीवनोद्देश्य की पूर्ति समझता हूँ। मैं भारत में स्वतंत्र होकर जाना चाहता हूँ। मैं बिना पूर्ण स्वाधीनता के परतंत्र देश में जाना नहीं चाहता। यदि देश को स्वतंत्रता प्राप्त न हुई, तो मैं अपनी मातृभूमि में अपनी कब्र न बनवाकर विदेश में बनवाऊँगा। यदि आज आप लोग भारत को पूर्ण स्वाधीनता

बीच-बीच में रूटर ने आपके स्वास्थ्य की चिंतनीय अवस्थाएँ तार द्वारा संसार को बता दी थीं, पर यह तो किसी को भी खयाल न था कि आप सचमुच ही इतना शीघ्र एकाएक प्राण त्याग देंगे। आपकी मृत्यु गोल सभा के इतिहास में एक असाधारण घटना हुई। मौलाना मुहम्मदअली एक प्रचंड शक्ति के स्वामी थे। वह प्रकृत योद्धा थे। जहाँ जब तक रहे, बराबर उद्ग्रीव रहे। जिस प्रकार गोखले, तिलक, लालाजी और स्वामी श्रद्धानन्दजी के अंतिम क्षण देश के लिये अर्पित हुए, उसी प्रकार इनके भी हुए। यह सदैव, सर्वत्र प्रथम श्रेणी के व्यक्ति रहे। दबना इनका स्वभाव न था। दबंग रहना इनकी बपौती थी। उनके काम का ढंग चाहे जैसा भी हो, और विचार चाहे जो कुछ हों, हम इस पर बहस के अधिकारी नहीं। पर वह ऐसे थे कि बड़े-बड़े योद्धा भी उन्हें अपना दाहना हाथ बनाने में गौरव समझते थे। वह जैसे विचारशील थे, वैसे ही साहसी भी। वह अपनी मुसलमानियत को संसार में सर्वोपरि समझते थे, और उनकी यह बात देश के लिये चाहे भी जितनी हानिकर हो, प्यार करने के योग्य थी।

उनका शरीर रोबीला, शाही जमाने के प्रतिष्ठित मुसलमानों-जैसा, नेत्रों में तेज, होठों पर दृढता, मूँछों में ऐंठ और खड़े होने के ढंग में एक सिंह का बाँकपन था। बोलना क्या था, दहाड़ना था। केवल स्वर ही नहीं, शब्द भी मानो तोप के गोले-से निकलते थे। कर्नल वैजवुड ने एक बार लिखा था—"कमरे में सिर्फ़

छीन लेंगे। किंतु जब मैं अंग्रेज़ों से लड़ने की शक्ति रखता हूं, तब मैं अपने भाइयों से भी लड़ लूँगा, किंतु मुझे लड़ने की सामग्री तो दो। मुझे दासता देकर न लौटा देना। यदि हमें स्वाधीनता प्राप्त हो गई, तो यहीं आकर हम लड़ भिड़कर तय कर लेंगे। हमें स्वतंत्रता चाहिए। परन्तु भारत में लड़ने में मेरी असफलता होगी। किंतु स्वतंत्र भारत में लड़ने में मुझे सफलता ही नहीं, संतोष होगा। श्रीयुत जयकर युवक भारत के संबंध में बोलने का दावा करते हैं। किंतु उन्हें अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं आयु में उनसे ज्येष्ठ हूं, किंतु मेरा हृदय युवक है, मेरी आत्मा युवक है, और भारत की स्वाधीनता के युद्ध-क्षेत्र में मैं युवक हूँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय मैं असहयोग कर रहा था, मि० जयकर वकालत कर रहे थे। मुझे तथा मेरे बड़े भाई को लार्ड रीडिंग ने जेल भेजा था। मैंने देश के लिये जेल भी काटी, किंतु मि० जयकर ने जेल यात्रा नहीं की है। इसके लिये मुझे मि० जयकर से कोई द्वेष नहीं। एक वह समय था कि लार्ड रीडिंग ने मुझे जेल भेजा था। मैं ऐसा ही स्वराज्य चाहता हूं कि यदि भारत में लार्ड रीडिंग बड़े लाट होकर जायँ, तो मैं स्वाधीन भारत में उनके अपराध करने पर उन्हें जेल भेज सकूं। मैं यहाँ औपनिवेशिक स्वराज्य की भीख माँगने नहीं आया। मैं औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य पर विश्वास भी नहीं करता। यदि मैं कोई चीज़ माँगता हूँ, तो वह पूर्ण स्वाधीनता है। गत सन् १९२७ की मद्रास की कांग्रेस-

नहीं देना चाहते, तो उसके बदले में मुझे मेरी कब्र की जमीन दीजिए। मैं परतंत्र भारत में मरना भी अच्छा नहीं समझता। आज हम सब लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं? हम शांति, मित्रता और स्वतंत्रता के लिये यहाँ आए हैं, और वही जीवन-धन लेकर वापस जाना चाहते हैं।

"यदि स्वाधीनता न मिली, तो समझ लेना होगा कि जो युद्ध आज दस वर्ष से जारी है, उसी में जाकर हम लोग भी सम्मिलित हो जायँगे। इस समय वे चाहे हमें देश-द्रोही अथवा वाक्-बाज़ ही क्यों न कहें, ब्रिटिश हमें अपना बगावती क्यों न समझें, किंतु यदि हमारे अंतिम उद्देश्य की पूर्ति न हुई, तो हम लोग भारत जाकर, जहाँ दस वर्ष पहले थे, वहीं फिर खड़े हो जायँगे। साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पर हमें विचार नहीं करना। यह रिपोर्ट तो अत्यंत असंतोष-जनक है। अब तो हमें अपना 'ऐतिहासिक कागज़' तैयार करना होगा। दो देशों के विशाल हृदय तथा विशाल दिमागवाले एकत्र हैं। इनमें बहुतेरे प्रधान नेता, जिनकी यहाँ परमावश्यकता थी, आज भारत की जेलों में पड़े हैं। मैं तथा जयकर-सप्रू, गांधीजी और वाइसराय महोदय के बीच, समझौता कराने में सचेष्ट थे; किंतु वह भी असफल हुआ।

"हम असफल होने से भारत न लौटेंगे। हम पूर्ण स्वाधीनता लेकर भारत जाना चाहते हैं। लॉर्ड पील ने कहा है—जब आप भारत में स्वाधीनता लेकर जायँगे, तब लोग आपसे स्वाधीनता

हुई थी, उस समय कितने ही वक्ताओं ने महात्माजी के नवीन तत्त्वज्ञान पर भाषण किया। मैंने भी उस सभा में उपस्थित होकर कहा था—हिंसा की इच्छा से कोई भी युद्ध में सफल नहीं हो सकता। युद्ध में सम्मिलित होकर लड़ाई में विजय प्राप्त करनेवालों में बलिदान की पवित्र मनोकामना होनी चाहिए। भारतीयों में मारने की शक्ति नहीं, किन्तु मरने की इच्छा है। तीस करोड़ आदमियों को मारना खेल नहीं। मशीन की उपयोगिता के लिये धन की आवश्यकता है। इतना धन भी ब्रिटेन के पास न होगा, जिससे सब भारतीयों को मार डाला जाय। युद्ध समय के लिये मान भी लिया जाय कि आपके पास सब कुछ है, तो तीस करोड़ आदमियों को मारने की नैतिक शक्ति नहीं हो सकती। मारने के लिए हममें मरने की भावना है, जो दिन दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब भारतीयों में बलिदान की सच्ची भावना उत्पन्न होगी, तब अंगरेजों में यह साहस ही न रह जायगा कि वे निरस्त्र भारतीयों को निरन्तर गोली से मारते चले जायँ।

'हिंदू-मुसलमान भी एक समस्या है। आज हममें मतभेद है, इसीलिये आप हम पर राज्य कर रहे हैं। यदि हम अपने मतभेद को भूल जायँ, तो आपको राज्य करना मुश्किल हो जायगा। यहाँ हम अपने मतभेद को भूल जाने की ही प्रतिज्ञा करके आए हैं। भारत पर होनेवाली ब्रिटेन की प्रधानता अवश्य नष्ट होगी। बहुतेरे लोग मुझसे पूछते हैं कि राजनीति में और

कमेटी में मैंने पूर्ण स्वाधीनता के लिये प्रस्ताव पास किया था। उस समय भारत में कुछ दलबंदी हो रही थी। नेहरू-रिपोर्ट का भी उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य ही था। यही नहीं, मेरे पुराने मंत्री पं० जवाहरलाल भी अपने पूज्य पिता के विचारों से भिन्न थे। फारसी में कहावत है—छोटा भाई होने की अपेक्षा कुत्ता होना बेहतर है। यह कहावत ठीक हम पर घटती है। आप देखते हैं कि मेरे बड़े भाई पूरे लंबे-चौड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार पं० जवाहरलाल के संबंध में भी एक कहावत है—अपने पिता का पुत्र होने की अपेक्षा बिल्ली होना उत्तम है। गत १९२८ ई० में कांग्रेस के सभापति पं० मोतीलाल ने पं० जवाहरलाल के गर्म जोश पर ठंडा पानी छिड़क दिया, उठती हुई उमंग को दबा दिया। जब मैं उनके स्थान पर आया, तो मैंने औपनिवेशिक स्वराज्य का एकदम विरोध किया, और पूर्ण स्वाधीनता के लिये आवाज़ ऊँची की। जब तक भारत नवीन उपनिवेश न होगा, तब तक हम भारत न लौटेंगे। हम लोग साम्राज्य से अलग हुए एक उपनिवेश में लौटेंगे। हम भारतीय बत्तीस करोड़ हैं। जब भारत हज़ारों आदमियों को अकाल तथा प्लेग की बीमारी से खो बैठता है, तब वह अपनी संतति को ब्रिटिश गोली का शिकार बनने में गर्व समझेगा। प्लेग तथा अकाल से मरने की अपेक्षा ब्रिटिश की गोली से मरना कहीं उत्तम होगा। महात्मा गांधी का यही उपदेश है। जिस समय मि० जी० के० चेस्टर्टन के सभापतित्व में एक सभा

"वह योद्धा था, और युद्ध करते हुए काम आया।"

गोल-सभा के सभी सदस्य होटल में अपने इस तेजस्वी सह-योगी के अंतिम प्रदर्शन के लिये ससम्मान आए, और सभी की यह सम्मति थी कि भारत की अक्षय हानि हुई।

लॉर्ड पील ने मौलाना शौकतअली को एक पत्र लिखकर गोल-सभा के अँगरेज नरम दल की ओर से भेजा था। इसमें लिखा था कि उन्हें स्वयं अपने इस साथी को खो देने का बहुत खेद है। मि० बेन और मि० जॉर्ज लैंसबरी ने भी ऐसे ही पत्र लिखे थे। मि० बेन ने लिखा था कि इंडिया-हाउस आपको इस क्रिया-कर्म-विधान में हर तरह की सहायता देने को तैयार है। गोल-सभा के नरेश-सदस्यों ने अपने मिनिस्टरों और ए० डी० सी० लोगों को समवेदना प्रदर्शनार्थ होटल भेजा था।

मृत्यु-संवाद सुनकर सर तेजबहादुर सप्रू अत्यंत मर्माहत हुए, और कहा—"वह मौलाना को ३० वर्ष से जानते हैं। उनमें दैवी शक्ति और व्यक्तित्व था।" श्रीजयकर ने कहा—"उनकी विवेचना की गोल सभा में बड़ी आवश्यकता थी। वह भारतीय राजनीति के एक चमत्कार रत्न थे। वह मरकर भारत को हानि दे गए।" सर अकबर हैदरी ने हार्दिक शोक प्रकट किया, और कहा—"कल ही तो उन्होंने अपनी स्कीम मेरे पास भेजी थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम-समस्या पर प्रकाश डाला था।" सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने कहा—"वह एक बम के गोले थे। उनके बिना भारतीय राजनीति में एक खंदक पड़ गई।"

हिंदू मुस्लिम-मतभेद से क्या संबंध है ? मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि धर्म भी अपने ढंग की निराली राजनीति है। मेरा पहला कर्तव्य मेरे परवरदिगार के लिये है। डॉ० मुंजे का भी पहला धर्म परमेश्वर के लिये है। जहाँ इस कर्तव्य का प्रश्न है, वहाँ मैं प्रथम मुसलमान हूँ, और डॉ० मुंजे प्रथम हिंदू हैं। किंतु जहाँ भारत का संबंध है, जहाँ स्वाधीनता का प्रश्न है, और जहाँ भारत के लाभ का प्रश्न है, वहाँ मैं प्रथम भारतीय, द्वितीय भारतीय और अंतिम भारतीय हूँ। यही नहीं, जहाँ कर तथा लगान आदि का प्रश्न है, वहाँ भला मेरे मुख से यह कैसे निकल सकता है कि मैं मुसलमान हूँ, और वह हिंदू है ? भारत में हिंदू-मुसलमानों की लड़ाई के प्रश्न पर विश्वास करना गलती करना है।"

मृत्यु के एक दिन पूर्व मौलाना आधी रात तक काम करते रहे। आप एक अपील लिख रहे थे, जिसमें साम्प्रदायिक भेद-भावों को भूलकर भारतीय राष्ट्र के लिये मिलकर काम करने की योजना थी। अधिक दिमागी काम करने से उनके मस्तिष्क की रक्त-नाली फट गई। ५ बजे सुबह वह बेहोश हो गए। मौलाना शौकतअली वहाँ हाज़िर न थे, एक सप्ताह पूर्व आयर्लैंड गए हुए थे। प्रातःकाल ही वह लंदन आए, परंतु उन्हें भाई से बात-चीत करने का अवसर न मिला। ६ बजकर ३० मिनट पर उनके वीर प्राण नश्वर शरीर से जुदा हो गए। उस समय मौलाना शौकतअली के मुख से जो वाक्य निकले, वे ये थे—

सर आगा खां और महाराजा हरिसिंह बहादुर, काश्मीर
बात चीत कर रहे हैं।

मृत्यु के समय आपके पास आपकी धर्म-पत्नी, पुत्री, दोनों जामाता और बड़े भाई मौलाना शौकतअली उपस्थित थे। उनकी धर्म-पत्नी ने इँगलैंड में पर्दा उठा दिया था। इस विषय में मौलाना ने पत्र-प्रतिनिधि से कहा था कि "मेरी पत्नी, जो एक शब्द भी विदेशी भाषा का नहीं बोल सकती, आज पहली बार पर्दे को उठाकर मेरी सेवा करने मेरे साथ आई हैं।" अपनी मृत्यु से थोड़ी देर पहले मौलाना ने, सांप्रदायिकता के संहार के लिये, जो पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक सदस्य का अपने समाज के अतिरिक्त दूसरी जातिवालों के मत भी, एक निर्दिष्ट संख्या में, प्राप्त करना ज़रूरी माना जाय। पत्र में यह भी घोषित किया था कि यदि मुसलमानों-सहित भारतवर्ष को स्वाधीनता न मिली, तो मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जायँगे—

"We want to go back not just with separate electorates with weightage but with freedom for India including freedom for Musalmans. And unless we secure that I can assure the Premier that Musalmans will join the Civil Disobedience Movement without the least hesitation."

इस प्रकार मौलाना ने सांप्रदायिकता के संहार का उपाय किया जाना बताया।

ग्यारहवाँ अध्याय

प्रस्थान और स्वागत

निमंत्रित प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुभीते के खयाल से प्रस्थान किया। कुछ तो इंपीरियल कान्फ्रेंस में देखने की इच्छा से पहले ही चल दिए थे। यह कान्फ्रेंस १ अक्टोबर सन ३० को हुई थी। ब्रिटिश-उपनिवेशों की यह सम्मिलित बैठक प्रतिवर्ष वहाँ होती है। भारत की ओर से सर मुहम्मदशफी प्रतिनिधि थे। इस कान्फ्रेंस में भी उपनिवेश और अधिक स्वतंत्रता चाहते थे, और दक्षिण-आफ्रिका के प्रधान मंत्री जनरल हरजाग के ऐसा प्रस्ताव रखने पर इंगलैंड का राजनीतिक वायु-मंडल विचलित हो उठा था। लेकिन आतिथ्य-सत्कार, खुशामद, दावतों और सैर-सपाटों की इतनी अधिक भरमार थी कि वह महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव यों ही पड़ा रह गया। इन दावतों से ऊबकर लदन के 'डेली हेरल्ड' में मजदूर-दल के प्रमुख सदस्य कमांडर केनवर्दी का एक लेख लिख-कर दावतों का विरोध करना पड़ा था। खैर।

कई-कई प्रतिनिधि साथ मिलकर, भिन्न-भिन्न दलों में, भारत से रवाना हुए। जनता ने इन्हें विदा करते समय कोई उत्साह और प्रेम नहीं प्रदर्शित किया। स्वयं सर सप्रू ने इस विषय में कहा था—"हम लोग अपने देशवासियों के उपहास-पात्र बनकर
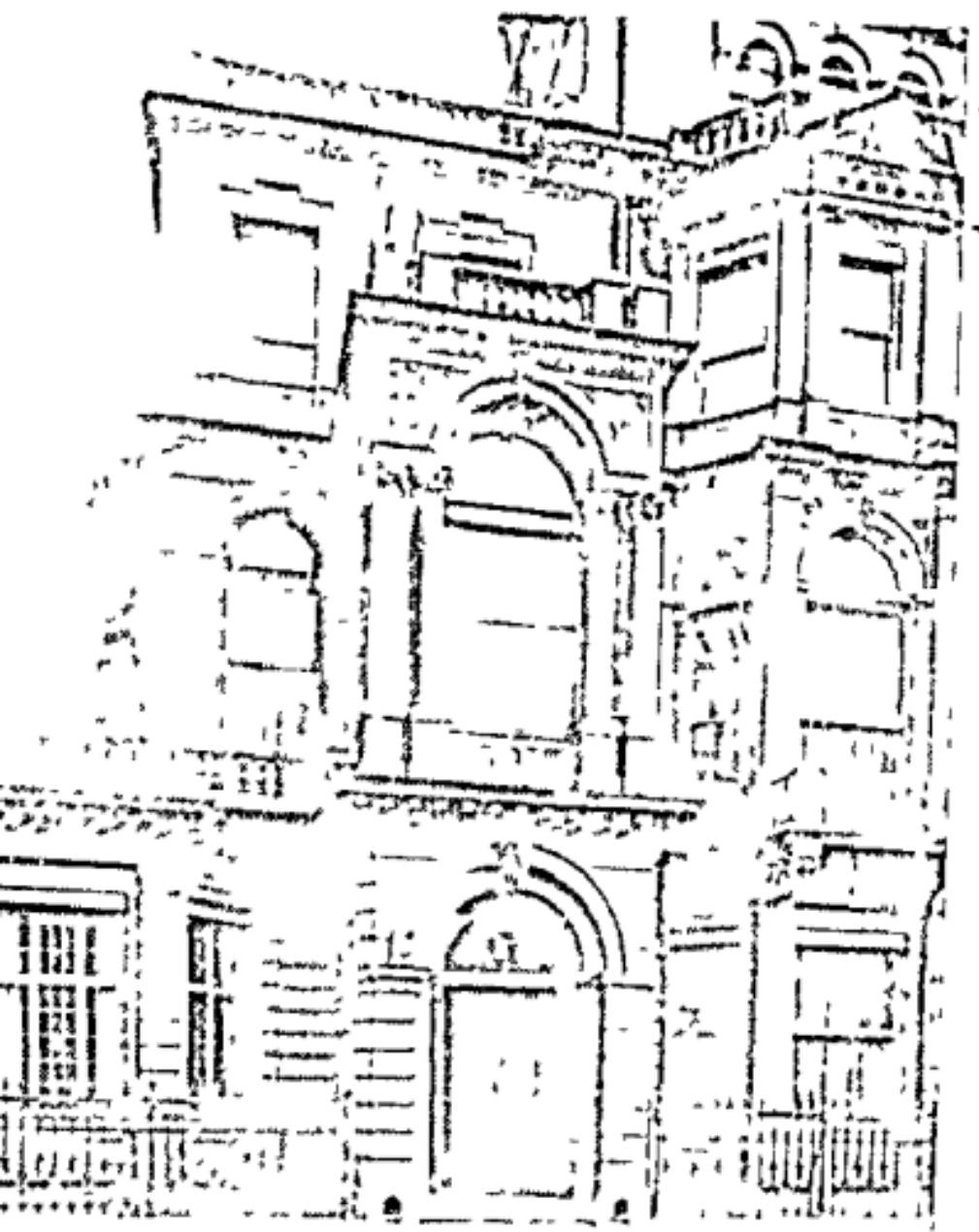
लन्दन की वह बिल्डिङ्ग जहां प्रतिनिधि ठहराये गये हैं।

सामग्री प्रस्तुत थी। उन्हें पूरा-पूरा आराम पहुँचाने का सुप्रबंध था। प्रधान मंत्री मि० रेमजे मैकडानेल्ड की गूढ़ नीति इस अवसर का चूक नहीं सकती थी। उन्होंने भारतीयों को आदर-सत्कार से ही प्रसन्न और संतुष्ट कर देने की भरपूर चेष्टा की। नरेशों ने तो और भी गहरे गोते लगाए। एक दावत के अवसर पर अलवर प्रभु ने, बगल में बैठी प्रधान मंत्री की कुमारी कन्या मिस इसाबेल मैकडानेल्ड से वे-वे हास्य परिहास किए कि बेचारी शर्मा गई। उधर महाराजा बड़ौदा की बगल में बैठी मिसेस आर्थर कनाट हँस रही थीं।

भोजों, अवकाशों, मेलों और निमंत्रणों की भरमार थी। पर इनमें तथ्य क्या था, यह इस घटना से भले प्रकार प्रकट होता है। एक अवसर क्रायडन में हवाई मेलों का था, और उसमें प्रतिनिधियों का भी निमंत्रण दिया गया था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर इनका कुछ भी स्वागत नहीं किया गया। बैठने की सीटें तक नहीं थीं। नाश्ता पानी भी कुछ नहीं था। 'सैंडविचेच' जल्दी से मँगाया गया, और वह उन बेचारे राज-अतिथियों ने उसी प्रकार खाया, जिस प्रकार कौए मकान के छप्पर पर बैठकर खाते हैं। उस समय प्रधान मंत्री उधर होकर निकले भी, पर दृष्टि बचाकर चले गए। इस स्वागत-सत्कार की पराकाष्ठा तो उस समय हुई, जब एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी ने सी० पी० के भूतपूर्व गवर्नर श्री० ताबे से पूछा कि क्या प्रतिनिधियों में से कोई अँगरेज़ी भी जानता है? श्रीजयकर की मनोवृत्ति ने विचित्र रूप धारण कर लिया।

ही अनेक समुद्र पार करके यहाँ आए हैं।" फिर भी ये सज्जन, देश के विरोध करते रहने पर भी, अपनी बड़ी आशाओं को लेकर गए, और लोगों को आश्वासन दे गए कि ज़रा धीरज धरो, हम अवश्य स्वराज्य लेकर आते हैं। सर्दी की विशेष पोशाकें बनवाई गई थीं। विशेष अवसरों पर पहनने योग्य अलग-अलग सूट सिलवाए गए थे। खाने-पीने का आवश्यक सामान और फुटकर औषध आदि संग्रह की गई थी। मौ० मुहम्मदअली तो लगभग अपने सारे परिवार को ही ले गए थे।

प्रस्थान से प्रथम किस प्रतिनिधि ने क्या-क्या बातें संगृहीत कीं, सो तो कहना अशक्य है। परंतु मर सप्रू ने नैनी-जेल में जाकर मालवीयजी से कई घंटे तक गुप्त परामर्श किया था। जेल के कर्मचारी तक उपस्थित न थे।

आखिर बड़ी-बड़ी आशाओं से ओत-प्रोत होकर, गर्वित भाव और गंभीरता से इन सज्जनों ने, बंबई से, जहाजों से, प्रस्थान किया। तमाम यात्रा-भर इनके मस्तिष्क में लंबी-लंबी स्पीचों और विचारों के ड्राफ्ट उमड़ते पड़ते होंगे। इनका विश्वास था कि हमारी वाक्पटुता लंदन की ईंटों को हिला देगी, और उनमें से स्वराज्य झनाझन बिखर पड़ेगा।

इँगलैंड की भूमि पर पैर रखते ही गवर्नमेंट की ओर से मि० बेन, इंडिया ऑफिस के प्रतिनिधि तथा अन्य लोगों ने अपने मेहमानों का स्वागत किया। उन्हें हाइड-पार्क के भव्य होटलों और महलों में ठहराया गया, जहाँ सब प्रकार की विलास-

बारहवाँ अध्याय

उद्घाटन-समारोह

१२ नवंबर को, दोपहर के समय, गोल-सभा का उद्घाटन-समारोह, बड़े शानदार ढंग से, हुआ। सम्राट् ने माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल किया। माइक्रोफ़ोन एक यंत्र है, जो ख़ास सम्राट् के लिये रिज़र्व है। इससे आवाज़ बुलंद होकर चारो ओर सुनाई देती है। यह चाँदी-सोने का बना हुआ है। इसके ऊपर चाँदी की एक प्लेट है, जिस पर इसको व्यवहार में लाने की तारीख़ें और अवसर खुदे रहते हैं। अब तक यह नौ बार इस्तेमाल हो चुका है। सबसे पिछली बार Five Power Naval Conference (जनवरी ३०) पर इस्तेमाल हुआ था।

छ शाही माइक्रोफ़ोन डेलीगेटों के लिये भी लगाए गए थे। इसके सिवा ७ लाउड स्पीकर (सुनहरी) भी लगाए गए थे। साथ ही स्पीच को रिकॉर्ड पर भी उतार लिया गया। यह स्पीच रेडियो द्वारा पृथ्वी-भर में सुनी गई थी।

हाउस ऑफ़् लॉर्ड्स के बाहर एक भारी भीड़ सम्राट् की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। राजा लोग भड़कीली दर्बारी पोशाकें और हीरे धारण किए हुए थे। गैलरी में, सिंहासन के दाहने पार्श्व में, प्रधान मंत्री का स्थान था। इसके सामने घोड़े

उन्होंने क्षोभ से कहा यदि गवर्नमेंट के आतिथ्य और स्वागत का यही नमूना है, तो मैं ऐसे स्वागत को कभी स्वीकार न करूँगा। गोल-सभा के बहुत-से सदस्य गुस्सा होकर वहाँ से जल्दी ही उठकर चले गए। इसके बाद जंगी जहाजों का प्रदर्शन था, पर इसका निमंत्रण यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि कायडन में किए गए व्यवहार की पुनरावृत्ति होने की जोखिम हम नहीं उठा सकते।

संदेश देते हुए, मैंने यह बात कही थी कि भारत की भावष्य उन्नति के लिये इस सभा की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि दस वर्ष का समय किसी भी राष्ट्र के जीवन में बहुत थोड़ा समय है, परंतु इन दस वर्षों में केवल भारत में ही नहीं, ब्रिटिश कामनवेल्थ के प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं का विशेष तीव्रता से विकास हुआ है। यह विकास दस वर्षों के भीतर ही हुआ, यह बात बिल्कुल असाधारण हुई है।

"इस युग के मनुष्यों के लिये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज से दस वर्ष पहले जिन विधानों का प्रारंभ हुआ था, उनके फलों की जाँच करने और भविष्य के लिये और प्रबंध करने का समय इतना शीघ्र आ गया है।

"ऐसी ही जाँच के लिये मैंने साइमन-कमीशन भेजा था और उसके परिश्रम का परिणाम आपके सामने है। उसके साथ ही कुछ और सामग्री भी प्राप्त की जा सकी है। आपके सामने जो महान् समस्या आई है, उसे हल करने में आप लोगों ने उस सामग्री से काम लिया है, और ले सकते हैं। आपने जिस महत्त्व-पूर्ण काम में हाथ लगाया है, उसके संबंध में आप लोगों की बातचीत पर तमाम ब्रिटिश कामनवेल्थ का भविष्य कितना निर्भर है, यह आप लोगों में से प्रत्येक जानता है। इसी सामूहिक उपयोग के कारण मैं यह कहने को प्रेरित हो रहा हूँ कि ये बड़े ही शुभ लक्षण हैं कि आज ब्रिटिश कॉमन-वेल्थ के प्रत्येक उपनिवेश में हमारी सर-

की नाल की शक्ल की दो मेजों के गिर्द बैठने का प्रबंध था। इनके पीछे और मेजें और बैठने का स्थान था। भारतीय राज्यों के १६, ब्रिटिश भारत के ५७ और ब्रिटिश पार्लियामेंट के १३ प्रतिनिधि कुल मिलाकर ८६ सभासद उपस्थित थे। दोपहर में जब सम्राट् सिंहासन पर पधारे, तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, और जब तक भाषण होता रहा, सब खड़े रहे। सम्राट् ने कहा—

"अपने साम्राज्य की राजधानी में आज भारत के नरेशों, सरदारों और जनता के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। मेरे मंत्रियों तथा पार्लियामेंट के दूसरे दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हो रहा है, उसका उद्घाटन करने में भी मुझे बड़ा संतोष हो रहा है।

"यद्यपि ब्रिटेन के अधिपतियों ने कई बार भारत की भूमि में कितने ही प्रसिद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया है, पर विलायत और भारत के राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि भारतीय देशी नरेशों के साथ एक साथ एकत्र होकर, भारत के भविष्य-विधान का समझौता करने के लिये, आज से पहले कभी एकत्र नहीं हुए थे। यह सम्मेलन एकमत होकर हमारी पार्लियामेंट को पथ दिखलाएगा, जिससे वह भारत के भविष्य-विधान का ठीक-ठीक आधार निश्चित कर सकेगी।

"लगभग दस वर्ष हुए, अपनी भारतीय व्यवस्था सभा को

प्रधान मंत्री

इसके उपरांत सम्राट् चले गए। तब महाराज पटियाला ने प्रधान मंत्री मिस्टर मैक्डानल्ड के सभापतित्व ग्रहण करने का प्रस्ताव किया। सर आगाखाँ के समर्थन और सबकी स्वीकृति से प्रधान मंत्री आसनासीन हुए।

प्रधान मंत्री ने सम्मेलन की ओर से सम्राट् के प्रति, विनीत भाव से, हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित की।

इसके बाद मिस्टर मैक्डानल्ड ने कहा—"हमारा कार्य महान् है। हम नवीन इतिहास की उत्पत्ति के समय एकत्र हुए हैं। ब्रिटेन के नरेशों और राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर जो यह कहा है कि उसका कर्तव्य भारत को स्वराज्य के लिये तैयार करना है, वह स्पष्ट ही है। यदि कुछ लोग कहते हैं कि यह काम भयानक सुस्ती से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक स्थायी विकास में सुस्ती देर ही पड़ती है। मैं ऐसे लोगों की बात से नहीं चिढ़ता, जो कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उन्हें पूरा कर रहा हूँ।

"हम लोग यहाँ इसलिये इकट्ठे हुए हैं कि एकमत होकर इस बात को मान लेने की कोशिश करें कि भारतवर्ष अब विधानात्मक विकास के एक विशेष शीर्ष-बिंदु पर पहुँच चुका है। हम एकमत होकर मानी हुई हमारी बात को बहुत-से लोग कम बतलावेंगे, बहुत-से लोग उसे अधिक कहेंगे, पर हम साहस-पूर्वक अपने निर्णयों को शिक्षित और अभिज्ञ जनता के सामने रख सकेंगे।"

कार के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं बड़े ही मनोयोग और सहानुभूति के साथ आपकी कार्यवाही का सूक्ष्म निरीक्षण करूँगा। मेरा निरीक्षण बिल्कुल निश्शंक भाव से तो नहीं होगा, पर शंका से अधिक विश्वास की ही प्रधानता रहेगी।

"भारतवर्ष की मेरी प्रजा की अवस्था का मुझ पर गहरा असर पड़ता है, और वह असर आपकी सम्मेलन की बातचीत में बराबर बना रहेगा। क्या बहुसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक, स्त्री और पुरुष, नागरिक और किसान, मज़दूर, ज़मींदार और रैयत, बलशाली, निर्बल, धनी, दरिद्र, जातियाँ, समुदाय, सब पर मेरी दृष्टि रहती है, और उनके अधिकारों पर मैं विचार करता हूँ। संपूर्ण भारत का जन-समूह मेरा गहन ध्यान आकर्षित करता है।

"मुझे इसमें संदेह नहीं कि स्वराज्य की नींव भिन्न-भिन्न माँगों और उस जवाबदेही के संयोग से बँधती है। उन माँगों और उस जवाबदेही का स्वीकार करना और उसका भार ग्रहण करना पड़ता है। भारत की भविष्य शासन-विधि इस नींव पर खड़ी होकर अपनी माननीय आकांक्षाओं को प्रकट करेगी। आपकी बातचीत इसी परिणाम की प्राप्ति के लिये मार्ग-प्रदर्शक हो, और आपके नाम इतिहास में सच्चे भारत-हितैषी और मेरी प्रजा के हितकामियों तथा हित-संवर्द्धकों के रूप में अंकित हों। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान् आपको प्रचुर ज्ञान, धैर्य और सद्भाव प्रदान करे।"

यह भाषण ८ मिनट में समाप्त हुआ।

निज़ाम हैदराबाद के प्रतिनिधि

मोहम्मद अकबर हैदरी

ने कहा कि मैं साम्राज्य के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो संबंध भारत के रजवाड़ों का ब्रिटिश पार्लियामेंट से है, उसे कोई पृथक् नहीं कर सकता। आपने साथ ही यह भी कहा कि रियासती भारतवाले ब्रिटिश भारतवालों का भी स्थान चाहते हैं, जिसे इस सभा के परिणामस्वरूप मिलने की उम्मेद की।

श्रीनिवास शास्त्री

ने कहा कि गलतफ़हमी या पक्षपात के काले बादलों से ढकी हुई समस्याओं पर नीति के दो चमकते हुए तारे नजर आए हैं, जिनकी मदद से हम अपना मार्ग अनुसंधान कर सकते हैं। इन दोनों में से एक तो एक वर्ष पूर्व की वाइसराय की घोषणा थी, जिसमें उन्होंने १९१७ की घोषणा के अनुसार भारत का लक्ष्य 'डोमीनियन स्टेटस' प्राप्त करना बतलाया था। दूसरा गत जुलाई मास का वाइसराय का भाषण है।

इसी दिन सभा के भारतीय प्रतिनिधियों के नाम बहुत-से लोगों ने मिलकर यह पत्र, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ, भेजा था—

"She stood before her traitors bound and bare,
Clothed with her wound and with her naked shame,
As with a weed of fiery tears and flame,
Their mother land, their common weal and care
And they turned from her and denied, sware,
They did not know this woman nor her name.

इसके उपरांत प्रधान मंत्री ने व्यवस्था भंग की नीति का विरोध किया, मिलकर उदारता पूर्वक काम करने का निवेदन किया, और सम्राट् के मनोयोग को कार्य-सिद्धि में सहायक बतलाया। "सभा में शरीक होनेवाले पार्लियामेंट के तीनो प्रधान दलों क एकत्र हाने में सभा की गुरुता ही प्रकट होती है" आदि बातें कहकर और सम्मेलन के महत्त्व का दिग्दर्शन कराकर उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

महाराजा काश्मीर

ने कहा कि इंगलैंड तथा भारतवर्ष दोनो में से कोई भी इस कान्फ्रेंस की असफलता सहन नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे से मिलकर रहने के लिये कुछ आदान प्रदान करना पड़ेगा। यदि हम इसमें सफल न हुए, तो इँगलैंड को अपेक्षा भारत की कुछ कम हानि न होगी। हम एक दूसरे के साझेदार हैं, यहाँ मिलकर बैठें, और साझे के लाभ को तय कर लें।

महाराजा बड़ौदा

ने कहा कि राज्यों तथा भारत की जातियों की आकांक्षाओं में थोड़ी रियायत से काम लेकर ही हम स्व० महारानी विक्टोरिया के शब्दों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि "उनकी समृद्धि में हमारा बल, उनके संतोष में हमारी स्थिरता और उनकी कृतज्ञता में उनका मीठा फल है।" हमें चाहिए कि हम सचे दिल से एक दूसरे मे विश्वास रखते हुए ऐसे महान् आदर्श की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हों।

से देखा, जिससे वे उसका मुख देख सकें, जिसका वे त्याग और अवहेलना कर चुके हैं। उन्होंने जब उसकी ओर दृष्टि-पात किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कितने पतित हो गए थे, और उसके उपरात वे मर गए।"

फ़रवरी, १८७० कविवर स्विनबर्न

"मैं तुम्हें और तुम्हारे उन साथियों के लिये, जिन्होंने 'निष्ठुर और अत्याचारी अधिपतियों' से संधि कर ली है, स्विनबर्न की वह कविता समर्पित करती हूँ, जो उसने ६० वर्ष पहले उस समय के इटली के नर्म-दलवालों के संबंध मे लिखी थी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि एक क्षण के लिये कपट और पाखंड दूर कर दो। यदि तुममें शक्ति है, तो थोड़ी देर अपने अतःकरण का संयन करो, और फिर इसका उत्तर दो कि क्या उपर्युक्त कविता में तुम्हारा सच्चा चित्र चित्रित नहीं किया गया है? याद रक्खो, इटली के नर्म-दलवालों का अब नाम-निशान भी नहीं है, और उनके स्थान मे इटली अब एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र है, जो संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों में अपना अस्तित्व रखता है। उस समय को बीते अब ६० वर्ष गुज़र गए। संसार ने द्रुत गति से अपनी उन्नति की मंज़िलें तय की हैं, परंतु तुम अपनी मातृभूमि को कुचलने और ठुकराने-वाले रँगे सियार अब भी ६० वर्ष पहले के इटली के नर्म दल-वालों का पार्ट खेल रहे हो। यदि तुम अपने रास्ते जाना चाहते हो, तो भले ही जाओ, परंतु तुमसे अधिक समझदार देश-

And they took truce with tyrants and grew tame
And gathered up cast crowns and creeds to wear
And rags and shards regilded, then she took
In her bruised hands their broken pledges and eyed
These men so late so loud upon her side
With one inevitable and tearless look,
That they might see her face whom they forsook,
And they beheld what they had left, and died."

February, 1870 —Swinburne

भावार्थ—"उनकी मातृभूमि, उन सबका लाड़-प्यार से पालन-पोषण करनेवाली जननी, आहत, घावों से क्षत-विक्षत, नग्न, शर्म से गर्दन झुकाए हुए और जंजीरों से कसी हुई अपने देश-द्रोहियों के सामने खड़ी हुई है। परंतु उसे देखते ही उन्होंने उपेक्षा से अपना मुँह फेर लिया, और शपथ-पूर्वक कहा कि न तो वे इस स्त्री से परिचित हैं, और न वे उसका नाम ही जानते हैं। उन्होंने निष्ठुर, अत्याचारी अधिपतियों से संधि कर ली, और उनके वशीभूत होकर पालतू कुत्तों की नाईं पूँछ हिलाने लगे, और पुराने मान सम्मान और अंध-विश्वासों की ओट में अपने को छिपाने लगे, और पुराने चिथड़ों को पेबंद लगाकर, उन्हें नया बनाकर, पहनने लगे। तब वह अपने क्षत-विक्षत और घाव-पूर्ण हाथों में उनकी कुचली और टुकड़ाई प्रतिज्ञाएँ लेकर उनके सम्मुख गई, और उन लोगों की ओर, जिन्होंने अभी-अभी उसकी तरफ़ से गर्जना की थी, और उसे मुक्त करने की डींग मारते थे, अश्रु रहित, परंतु भाव-पूर्ण आँखों

तेरहवाँ अध्याय

प्रारंभिक भाषण

१७ नवंबर को गोल-सभा की दूसरी सामूहिक बैठक सेंट जेम्स महल में प्रारंभ हुई। ब्रिटिश भारत के ५७, देशी राज्यों के १७ और पार्लियामेंट के १५ सदस्यों के अतिरिक्त ३१ मंत्री और सलाहकार और ५ उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सर्दी खूब थी, और हाल में भट्टी जल रही थी।

प्रधान मंत्री के नियमानुसार धन्यवाद देने के उपरांत सर सप्रू ने अपना भाषण आरंभ किया। उन्होंने कहा—"आज हम भारत और इँगलैंड के पारस्परिक संबंध के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय लिखने के लिये यहाँ आए हैं। देखें, हम क्या कर पाते हैं। भारत उत्कंठित और बेचैन होकर देख रहा है, और तमाम संसार की आँखें समझौते पर लगी हुई हैं। केवल भारत ही नहीं, ब्रिटेन की संपूर्ण राजनीतिज्ञता की परीक्षा का अवसर आया हुआ है।"

इसके उपरांत सर सप्रू ने सभा के किए जाने की पूर्व परिस्थिति का विवरण दिया, और वाइसराय के प्रति सम्मान-भाव प्रकट किया।

इन्होंने फिर कहा—"हम अपने ही देशवासियों की घुड़कियाँ

भक्त और परिस्थिति, जिन्हें तुम पीछे छोड़ गए हो, अपनी गुलाम और पद-दलित माता को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। उसकी उस 'अश्रु-रहित और भाव-पूर्ण' दृष्टि से सदैव सावधान रहो, जिससे वह अब तुम्हारी ओर देख रही है। अब भी सोचने का समय है। या तो अपने ठीक रास्ते पर आ जाओ, और या वह परिणाम भोगने के लिये तैयार रहो, जो ६० वर्ष पहले तुम्हारे साथियों को भोगना पड़ा था।"

'भारत माता'

साथ केंद्रीय शासन में निश्चित और स्पष्ट परिवर्तन करना होगा। उसे व्यवस्था-सभा के अधीन कर देना पड़ेगा। यहीं यह प्रश्न खड़ा होता है कि आगामी विधान संघात्मक हो या नहीं।"

इसी प्रसंग में सर सप्रू ने देश-भक्त देशी नरेशों से प्रार्थना की कि वे अपने दृष्टिकोण को 'भारत के तृतीयांश' तक ही परिमित न रक्खें। वे और उदार होकर संपूर्ण भारत की एकता को स्वीकार करें। इस संपूर्ण भारत के विविध भाग घरेलू मामलों में स्वतंत्र रहेंगे, पर आपस में संबंधित भी रक्खे जायँगे। क्या देशी नरेश भारतीय संघ के प्रतिबंधन में बँधने को तैयार हैं? भारत-सरकार इस भारतीय संघ को दूर की वस्तु समझती है पर हमारे लिये तो यह ज्वलंत प्रश्न अभी सामने आया हुआ है।

भविष्य विधान के संबंध में सर सप्रू ने कितनी ही कठिनाइयाँ स्वीकार कीं। आपने कहा—शांति, व्यवस्था, न्यायालय, अर्थ और योरपियन स्वार्थ आदि के प्रश्न कठिन अवश्य हैं, पर वे हल किए जाने चाहिए। पिछले पचीस वर्षों में जो प्रबल आंदोलन हुए हैं, उनको समझने में जो गलतियाँ की गई हैं, वे भारतीय मंत्रियों के होते कभी न की जातीं।

हम योरपीय व्यवसायियों को हानि पहुँचाने या उनकी पूँजी छीनने का लक्ष्य नहीं रखते। योरपियन हितों की रक्षा के लिये जो माँगें पेश की जायँगी, हम उनका स्वागत करेंगे।

अर्थ-विभाग के संबंध में उन्होंने कहा कि अँगरेज़ों ने तो साम्राज्य के बाहर के छोटे-छोटे देशों तक को कर्ज़ में बड़ी-बड़ी

और परिहास सहकर सात समुद्र-पार आए हुए हैं। हम अपने देश में विश्वासघातक समझे जाते हैं, फिर भी हम स्पष्ट रीति से साफ़-साफ़ बातचीत करने आए हैं, जिससे अंत में हम सिद्ध कर सकें कि हमारी हँसी उड़ानेवालों की भविष्य-वाणी ठीक नहीं थी।

"इसके बाद आपने पिछले दस वर्षों की बदली हुई स्थिति का दिग्दर्शन कराया, और सत्याग्रह-संग्राम की गंभीरता बतलाई। उन्होंने कहा कि आज से पहले कभी भारतवर्ष पर एजेंटों और उप-एजेंटों का शासन नहीं था। मुग़ल-शासन-काल में भी ऐसा नहीं था। पार्लियामेंट के शासन का वास्तविक अर्थ क्या है? लगभग आधे दर्जन मनुष्य इँगलैंड में और उतने ही भारत में इकट्ठे होकर राज्य कर रहे हैं। इसलिये हमारे लिये यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम स्वराज्य के लिये सचेष्ट हों।

"आज जब हम निषिद्ध शब्द 'औपनिवेशिक स्वराज्य' का नाम लेते हैं, तो औसत दर्जे का अँगरेज़ पूछता है कि इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यही सवाल औसत दर्जे के अँगरेज़ ने सन् १८६५ में कनेडा, सन् १९०० में आस्ट्रेलिया और सन् १९०६ में दक्षिण-आफ़्रिका के संबंध में पूछा था? भारत बराबरी का अधिकार लेने और प्रतिनिधि-शासन की व्यवस्था करने का निश्चय कर चुका है।

"प्रांतीय स्वाधीनता कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। उसके

उस सरकार में राज्यों और उनकी प्रजा के अधिकारों, हितों और रियायतों को सुरक्षित रक्खा जाय।"

जयकर

ने कहा—"यह बड़ा महत्त्व-पूर्ण समय है। आज अगर भारत का औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय, तो बाक़ी सारी चिल्लाहट अपने आप बंद हो जायगी। परंतु यदि इस समय उसकी माँगों पर ध्यान न दिया गया, तो छ महीने के बाद उसे उतना पा जाने पर हरगिज़ संतोष न होगा, जितना पा जाने पर आज वह संतुष्ट हो जायगा। .... विदेशी व्यापारियों के किसी स्वार्थ पर हम हस्तक्षेप न करेंगे। किंतु यह चेतावनी मैं उन्हें दिए देता हूँ कि अभी तक उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र पर जो एकाधिपत्य किया है, वह न होगा।"

दूसरे दिन की कार्यवाही

दूसरे दिन, १८ तारीख़ को, सभा की फिर बैठक हुई। लॉर्ड पील ही आज के प्रमुख वक्ता थे।

लॉर्ड पील

लार्ड पील ने व्याख्यान के सिलसिले में कहा—"भारत में बढ़ते हुए असहयोग-आंदोलन से अँगरेज़ों के दिलों में अनेक प्रकार की शंकाएँ पैदा हो गई हैं। वाइसराय की १५ जनवरी की घोषणा का यह मतलब नहीं कि भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। अँगरेज़ों को चिंता है कि यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जायगा, तो भारत भी सब

रकमें दी हैं। उनकी साख उठ जाने की बात तो ब्रिटेन ने कभी नहीं कही, फिर भारत के संबंध में वह ऐसी धारणा क्यों रखता है ?

फ़ौज-विभाग के बारे में यह कहना ठीक नहीं कि अँगरेज़ अपने ऊपर भारतीय अफसरों का रहना पसंद नहीं करेंगे। जब हाईकोर्ट के प्रधान भारतीय जज के मातहत कितने ही अँगरेज़ न्यायाधीश रहते और सिविल सर्विस में भी उनका अधिकार मानते हैं, तो इस क्षेत्र में भी मानेंगे। जातीय प्रश्न उठाना कभी ठीक नहीं। सब सम्राट् की प्रजा हैं, और सभी अधिकार रखते हैं।

अंत में सर सप्रू ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है दृष्टिकोण बदल देने की। श्रीसप्रू ने लॉर्ड रीडिंग की इस बात पर व्यक्तिगत रीति से विचार करने का कहा कि प्रांतीय स्वाधीनता बिना केंद्रीय अधिकार के नहीं चल सकती। ऐसा क्रम तो हफ्ते-भर में टूट जायगा। कल्याण इसी में है कि विश्वास और साहस के साथ भारतीय स्थिति का सामना और भारत की योग्यता पर विश्वास किया जाय। भारत बेचैन हो रहा है, उसे सिर्फ़ धीरज दिलाने से काम नहीं चलेगा।

बीकानेर-नरेश

ने कहा—"भारत की उन्नति में हम सब तरह से सहयोग देने के लिये तैयार हैं। पर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो संधियाँ की गई हैं, वे ज्यों-की-त्यों रहें। भारत की फ़ेडरल-प्रणाली में भी हम शामिल होने के लिये तैयार हैं, बशर्ते कि

डॉक्टर मुंजे

ने कहा—"अँगरेज़ों ने भारत की जो सेवाएँ की हैं, वे ऐसी ही हैं, जैसी सेवाएँ कोई किसान दूध देनेवाली गाय की किया करता है। बंबई के एक गवर्नर सर डब्ल्यू० मैकिनोक्र को सहायता देकर भारत के जहाज़ी कारबार का आलम्ब मिटा दिया गया।" प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् विल्सन का हवाला देते हुए उन्होंने बतलाया कि 'पैसिली और मैंचेस्टर के लाभ के लिये भारत का वस्त्र व्यवसाय नष्ट कर दिया गया। लॉर्ड पील एकाधिपत्य की बात नहीं स्वीकार करते। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सेना, सिविल सर्विस या मेडिकल सर्विस पर अँगरेज़ों का आधिपत्य नहीं? वाइसराय लॉर्ड इरविन ने औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वादा कभी नहीं किया, इसे मैं मानता हूँ, पर साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि ब्रिटेन यह कहने के लिये तैयार होगा कि अगर तुम 'भारतीय प्रतिनिधि' अपनी योग्यता दिखा दो, तो हम तुम्हें औपनिवेशिक स्वराज्य दे देंगे। मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि हिंदू-प्रतिनिधि इसके पूर्ण योग्य हैं।"

बीच में ही एक प्रतिनिधि की आवाज़ आई, आप 'हिंदू प्रतिनिधि' नहीं, बल्कि 'भारतीय प्रतिनिधि' कहिए। डॉक्टर मुंजे ने तुरंत ही जवाब दिया 'हिंदू' शब्द से सारे भारत का मतलब है। सारे भारत में वर्तमान शासन-प्रणाली से असंतुष्ट होने के कारण आंदोलन चल रहा है, और जनता हँसते-हँसते कष्ट सहन कर रही है। मैं स्वयं भी दो-दो बार जेल हो आया

तरह से शक्तिशाली और संगठित होकर उससे अनुचित लाभ उठावेगा, और पूर्ण स्वतंत्र होने की चेष्टा करेगा। महासमर में भारतीयों तथा भारतीय नरेशों ने जो सेवाएँ कीं, उनके लिये ब्रिटेन उन्हें धन्यवाद देता है; पर उन्हें यह भी स्मरण रहे कि सभा का निर्णय पार्लियामेंट के सामने भी, बिल के रूप में, विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता है। सभा ने ब्रिटेन से सारा संबंध-विच्छेद करने की घोषणा की है, जिसके लिये मुझे खेद है। ब्रिटेन की कञ्जर्वेटिव पार्टी (अनुदार-दल) पर इस घोषणा का बहुत प्रभाव पड़ा है। मिस्टर जयकर का यह कहना ठीक नहीं कि व्यापारिक क्षेत्र पर अँगरेज़ों का एकच्छत्र साम्राज्य है। इसी प्रकार सर सप्रू का भी यह कहना ठीक नहीं कि अँगरेज़ विदेशी की हैसियत से भारत पर शासन कर रहे हैं। अँगरेज़ भी भारत के निवासी हो गए हैं, और भारत में उनका क़ानूनी हक़ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की बड़ी सेवाएँ की हैं।"

लॉर्ड पील के इस भाषण से फ़्री प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिनिधि नाराज़ हो गए थे; परंतु अगर सच पूछा जाय, तो लॉर्ड पील धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रतिनिधियों के लिये लच्छेदार शब्दों के जाल को छोड़कर दिल की सीधी-सीधी बातें कहने का दरवाज़ा खोल दिया। लॉर्ड पील के भाषण की डॉक्टर मुंजे ने खूब धज्जियाँ उड़ाईं, उनकी स्पष्ट-वादिता की प्रशंसा करते हुए उन्हें खूब मुँहतोड़ उत्तर दिया।

हूँ । अब वह समय निकल गया कि लोग पशु-बल से दबाए जा सकें । भारतीय अब पशु-बल-प्रदर्शन से डरनेवाले नहीं। ब्रिटेन और भारत के १२५ वर्षों के संबंध का खयाल करके ही मैं देश-द्रोही का दोषारोपण सहकर आया हूँ । यह अंतिम परीक्षा है । देखना है, अँगरेज़ों में उत्तीर्ण होने का साहस है या नहीं ? भारत साम्राज्य के भीतर रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य का उपयोग करना चाहता है, परंतु यदि अँगरेज़ों के भय और संदेह के कारण उसे औपनिवेशिक स्वराज्य न मिला, तो पूर्ण उत्तरदायित्व-पूर्ण सरकार के बिना वह संतुष्ट न होगा ।

सर शफ़ी

ने कहा—"असहयोग-आंदोलन केवल शिक्षितों तक ही नहीं सीमित है, इसमें अशिक्षित भी हैं, और वे सब तरह का कष्ट सहन कर रहे हैं ।

"मुसलमान भी औपनिवेशिक स्वराज्य और समानाधिकार के अभिलाषी हैं । मुसलमान चाहते हैं कि ब्रिटिश-साम्राज्य के अंतर्गत रहकर समानाधिकार प्राप्त कर शासन-विधान-संबंधी विकास में, प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों में, उचित अधिकार पावें ।"

देशी नरेशों के अनुदार-दल की ओर से

महाराज रीवाँ

ने कहा—"शासन सुधार सावधानी से होना चाहिए । भारत-सरकार में कुछ परिवर्तन किए जाने पर भी हम अपने अधिकारों